खण्ड-221, अंक-9
शुक्रवार, 17 चैत्र, शक संवत् 1883
(7 अप्रैल, 1961 ई0)

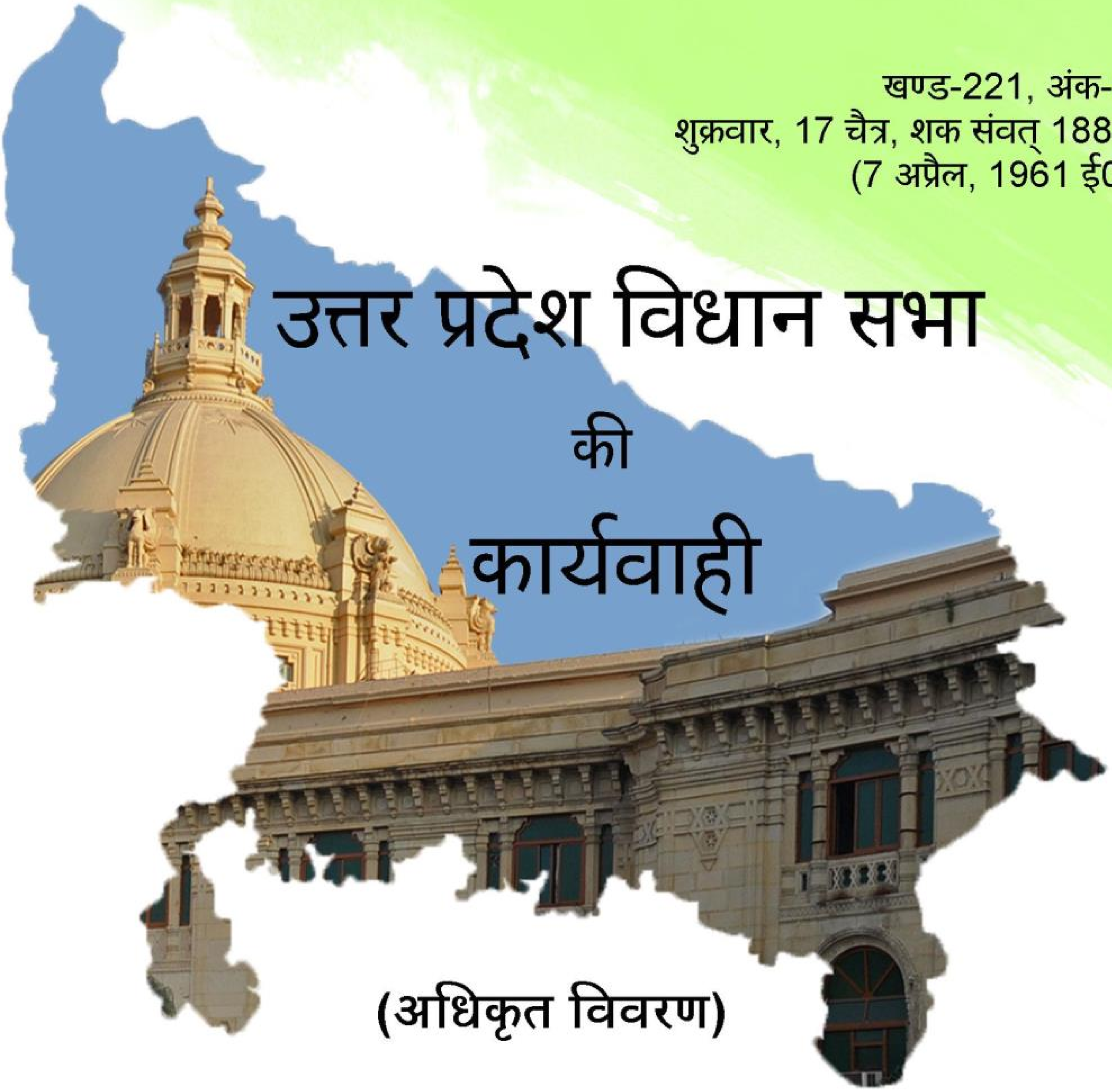

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 221 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६३

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ७ अप्रैल, १९६१

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३५१

अक्षयवरसिंह, श्री
अतीकुल रहमान, श्री
अनन्तराम वर्मा, श्री
अब्दुल रऊफ लारी, श्री
अब्दुल लतीफ नोमानी, श्री
अब्दस्समी, श्री
अभयराम यादव, श्री
अमरनाथ, श्री
अमरेशचन्द्र पांडेय, श्री
अमोलादेवी, श्रीमती
अयोध्याप्रसाद आर्य, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशकुमार सिनहा, डाक्टर
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अवधेश प्रताप सिंह, श्री
आत्माराम पांडेय, श्री
आनन्दब्रह्मशाह, श्री
आर्थर सी० ग्राइस, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उमाशंकर शुक्ल, श्री
उल्फतसिंह, श्री
एस० अहमद हसन, श्री
ओंकारनाथ, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमरुद्दीन, श्री
कमलकुमारी गोईंदी, कुमारी
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
काशीप्रसाद पांडेय, श्री
किशनसिंह, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
केशव पांडेय, श्री
केशवराम, श्री
कैलाशकुमारसिंह, श्री
कैलाशनारायण गुप्त, श्री
कैलाशवती, श्रीमती
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खजानसिंह चौधरी, श्री
खयालीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाप्रसाद, श्री (गोंडा)
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री (एटा)
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गजेन्द्रसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशप्रसाद पांडेय, श्री
गनेशचन्द्र काछी, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाबख्शसिंह, श्री
गयूर अली खां, श्री
गरीबदास, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुप्तारसिंह, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री

गेंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीकृष्ण आजाद, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
गोविन्दसिंह विष्ट, श्री
गौरीराम गुप्त, श्री
घनश्याम डिमरी, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रबली शास्त्री ब्रह्मचारी, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास मिश्र, श्री
चन्द्रावती, श्रीमती
चन्द्रिकाप्रसाद, श्री
चित्तरसिंह निरंजन, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
छत्तरसिंह, श्री
छेदीलाल, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जंगबहादुर वर्मा, श्री
जगदीशनारायण, श्री
जगदीशनारायणदत्तसिंह, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथ लहरी, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जयगोपाल, डाक्टर
जयदेवसिंह आर्य, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जवाहरलाल, श्री
जवाहरलाल रोहतगी, डाक्टर
जागेश्वर, श्री
जोखई, श्री
ज्वालाप्रसाद कुरील, श्री
टम्बरेश्वरप्रसाद, श्री
टीकाराम, श्री
टीकाराम पुजारी, श्री
डूंगरसिंह, श्री
ताराचन्द माहेश्वरी, श्री
तारादेवी, डाक्टर
तिरमलसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीसिंह, श्री
दत्त, श्री एस० जी०
दर्शनसिंह, श्री
दशरथप्रसाद, श्री
दाताराम चौधरी, श्री
दीनदयालु शर्मा, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपङ्कर, आचार्य
दीपनारायणमणि त्रिपाठी, श्री
दुर्योधन, श्री
देवनारायण भारतीय, श्री
देवराम, श्री
द्वारिकाप्रसाद, श्री (फर्रुखाबाद)
द्वारिकाप्रसाद पांडेय, श्री (गोरखपुर)
धनीराम, श्री
धनुषधारी पांडेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मपालसिंह, श्री
धर्मसिंह, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नत्थूसिंह, श्री (बरेली)
नत्थूसिंह, श्री (मैनपुरी)
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नन्दराम, श्री
नरदेवसिंह दतियानवी, श्री
नरेन्द्रसिंह भंडारी, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नवलकिशोर, श्री
नागेश्वरप्रसाद, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास पासी, श्री
नेकरामशर्मा, श्री
पद्माकरलाल श्रीवास्तव, श्री
पब्बरराम, श्री
परमानन्दसिनहा, श्री
परमेश्वरदीन वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रतापबहादुरसिंह, श्री
प्रतापभानप्रकाशसिंह, श्री
प्रतापसिंह, श्री
प्रभावती मिश्र, श्रीमती
प्रभुदयाल, श्री
फतेहसिंह राणा, श्री
बंशीधर शुक्ल, श्री
बदलूराम, श्री
बलदेवसिंह, श्री

बलदेवसिंह आर्य, श्री
बसंतलाल, श्री
बादामसिंह, श्री
बाबूराम, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालकराम, श्री
बालेश्वरप्रसादसिंह, श्री
बिन्दुमती दास, श्रीमती
बिशम्बरसिंह, श्री
बिहारीलाल, श्री
बुद्धीलाल, श्री
बुद्धीसिंह, श्री
बुलाकीराम, श्री
बृजबासीलाल, श्री
बृजरानी मिश्र, श्रीमती
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बेनीबाई, श्रीमती
बैजूराम, श्री
ब्रजनारायण तिवारी, श्री
ब्रह्मदत्त दीक्षित, श्री
भगवतीसिंह विशारद, श्री
भगौतीप्रसाद वर्मा, श्री
भजनलाल, श्री
भीमसेन, श्री
भूपकिशोर, श्री
मंजूरुलनबी, श्री
मथुराप्रसाद, पांडेय, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदन पांडेय, श्री
मन्नालाल, श्री
मलखानसिंह, श्री
मलिखानसिंह, श्री (मैनपुरी)
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)
महमूद हुसैन खां, श्री
महादेवप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महीलाल, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुकुटविहारीलाल अग्रवाल, श्री
मुक्तिनाथराय, श्री
मुनीन्द्रपालसिंह, श्री
मुबारक अली खां, श्री
मुरलीधर, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुल्लाप्रसाद 'हंस', श्री
मुहम्मद फारूक चिश्ती, श्री
मुहम्मद हुसैन, श्री
मूलचन्द, श्री
मोतीलाल अवस्थी, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनसिंह मेहता, श्री
यशपालसिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रऊफ जाफरी, श्री
रघुनाथसहाय यादव, श्री
रघुनन्दनबहादुरसिंह, श्री
रघुवीरराम, श्री
रघुवीरसिंह, श्री (एटा)
रघुवीरसिंह, श्री (मेरठ)
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकांतसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजदेव उपाध्याय, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजबिहारीसिंह, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी, श्रीमती
राजेन्द्रदत्त, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअभिलाख, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार वैद्य, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामकृष्ण सारस्वत, श्री
रामचन्द्र उनियाल, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामजीसहाय, श्री
रामदास आर्य, श्री
रामदीन, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री

रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामबली, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतनप्रसाद, श्री
रामरतीदेवी, श्रीमती
रामलक्षण तिवारी, श्री
रामलखन, श्री (वाराणसी)
रामलखनसिंह, श्री (जौनपुर)
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशरण यादव, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह चौहान वद्य, श्री
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप यादव, श्री
रामस्वरूप वर्मा, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरप्रसाद, श्री
रूपसिंह, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीनारायण, श्री
लखमीसिंह, श्री
लायकसिंह चौधरी, श्री
लालबहादुर, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री
लुत्फ अली खां, श्री
लोकनाथसिंह, श्री
वजरंगबिहारीलाल रावत, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
वसी नकवी, श्री
वासुदेव दीक्षित, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विद्यावती वाजपेयी, श्रीमती
विनयलक्ष्मी सुमन, श्रीमती
विशालसिंह, श्री
विश्वासराय, श्री
विश्वनाथसिंह गौतम, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्र वर्मा ,श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुंतलादेवी, श्रीमती
शब्बीर हसन, श्री
शमसुल इस्लाम, श्री
शम्भुदयाल, श्री
शांतिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवगोपाल तिवारी, श्री
शिवप्रसाद नागर, श्री (खीरी)
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजबहादुर, श्री
शिवराम, श्री
शिवराम पांडेय, श्री
शिववचनराव, श्री
शिवशंकरसिंह, श्री
शीतलाप्रसाद, श्री
शोभनाथ, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामलाल यादव, श्री
श्रीकृष्ण गोयल, श्री
श्रीकृष्णदत्त वालीवाल, श्री
श्रीनाथ, श्री (आजमगढ़)
श्रीनाथ भार्गव, श्री (मथुरा)
श्रीपालसिंह, कुंवर
संग्रामसिंह, श्री
सईद अहमद अन्सारी, श्री
सजीवनलाल, श्री
सत्यवतीदेवी रावल, श्रीमती
सरस्वतीदेवी शुक्ल, श्रीमती
सियादुलारी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सीताराम शुक्ल, श्री
सुक्खनलाल, श्री
सुखरानीदेवी, श्रीमती
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री
सुखीराम भारतीय, श्री
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुनीता चौहान, श्रीमती
सुन्दरलाल, श्री
सुरथबहादुरशाह, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री

सूरतचन्द रमोला, श्री
सूर्यबली पांडेय, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीदुल्ला खां, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरिदत्त काण्डपाल, श्री
हरिहरबख्शसिंह, श्री
हरीशचन्द्र अष्ठाना, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन (राहत मौलाई,), श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेमवतीनन्दन बहुगुणा, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नोट—श्रम मंत्री, श्रीमती सुचेता कृपालानी तथा वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ७ अप्रैल, १९६१

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

बढ़नी व परसा रेलवे स्टेशनों पर गन्ने का वजन पर्चियों पर न दर्ज करना

१—श्री मथुराप्रसाद पांडेय** (जिला बस्ती)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बस्ती के अन्तर्गत बढ़नी व परसा रेलवे स्टेशन पर जो किसानों का गन्ना मिलों द्वारा लिया जा रहा है उसकी जो पर्चियां किसानों को दी जा रही हैं उन पर उनके गन्ने का मूल्य दर्ज नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ?

सूचना उपमंत्री (श्री रऊफ जाफरी)—जी हां। बस्ती जिले के बढ़नी क्षेत्र के अन्तर्गत पैदा होने वाला सी० ओ० २८५ नम्बर का गन्ना काश्त के लिये निषिद्ध घोषित किया जा चुका है और उसकी रिकवरी भी कम है, अतएव निर्दिष्ट रेल सेंटर्स पर संबंधित चीनी मिलों द्वारा जो गन्ना खरीदा जा रहा है, उनका कहना है कि इस गन्ने का मूल्य रिकवरी के आधार पर ही भुगतान होना चाहिये। इसी वजह से चीनी मिलें पर्चियों पर निर्धारित गन्ने का मूल्य दर्ज नहीं कर रही हैं।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय—क्या मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विभागीय अधिकारियों ने सरकार को यह रिपोर्ट दी है कि यह बैन्ड वैराइटी का गन्ना नहीं है ?

श्री रऊफ जाफरी—ऐसा तो नहीं है कि यह कहा हो कि उस किस्म का गन्ना नहीं है, लेकिन यह जरूर है कि उसमें और किस्म का गन्ना मिला हुआ है । इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को बतला देना चाहता हूं कि यह गन्ना शुगर रिसर्च स्टेशन पर देखने के लिये भेजा गया है कि उसकी किस्म क्या है और रिकवरी क्या है। उसकी रिपोर्ट का इन्तजार है और इस सिलसिले में वहां के डायरेक्टर जो थे वह यहां आये थे । उनकी एक मीटिंग २६ तारीख को हुई थी और उसकी शिकायत की थी कि पर्चियों के ऊपर मूल्य नहीं लिखा जा रहा है । चुनांचे इस सिलसिले में वहां के जिला अधिकारियों को और इंस्पेक्टर को यह हुक्म भेज दिया गया है कि मिल को नोटिस दे दें कि वह कानून की खिलाफवर्जी कर रहे हैं, पर्चियों पर गन्ने के दाम लिखने चाहिये । अगर ऐसा नहीं करेंगे तो कानून के मुताबिक कार्यवाही की जायगी । सेक्शन २२ में ६ महीने की सजा और ५ हजार रुपया जुर्माना हो सकता है।

श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह (जिला गोंडा)—क्या मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि केन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट द्वारा उन काश्तकारों पर यह रोक लगाई गई थी कि यह गन्ना न बोया जाय ?

श्री रऊफ जाफरी—रोक लगाने का कोई कानून नहीं है । कोई गन्ना बोया जा सकता है, लकिन उनको सलाह दी गई थी और यह घोषित किया गया था कि इस गन्ने को नहीं बोना चाहिये और मिलवालों को भी सलाह दी गई थी । उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की थी, लकिन उन्होंने बोया । वहां के किसान भी आये थे और कहते थे कि अगले साल नहीं बोयेंगे, लेकिन मालूम हुआ कि २८५ नम्बर का गन्ना उनके पास है ।

श्री धनुषधारी पांडेय (जिला बस्ती)—क्या सरकार को यह ज्ञात है कि बढ़नी की शुगर फैक्टरी और तुलसीपुर और आनन्द नगर की फैक्टरीज से ऐग्रीमेंट हो चुका है कि ११ लाख मन गन्ना इन फैक्टरियों को लेना है ?

श्री रऊफ जाफरी—जी हां, यह हो चुका है, लेकिन गुड वैराइटी आफ केन इसके मातहत होती है और जब उस गन्ने को बैन्ड वैराइटी करार दिया गया है तो उसको गुड वैराइटी तो कहा नहीं जा सकता ।

आनन्द शुगर मिल वालों का एक तार आया था कि एक दफा तो पहले उन्होंने गन्ना लेना बन्द कर दिया था, लेकिन फिर उनको कह कर खरीद कराई गई । उन्होंने कहा कि चूंकि वह २८५ नम्बर का गन्ना दे रहे हैं, इसलिये हम नहीं लेंगे । उनको यह कहा गया कि नहीं, बन्द न करो, लेते रहो और इस मामले पर गवर्नमेंट विचार कर रही है । तो उस रिपोर्ट का इन्तजार है जो शुगर केन रिसर्च स्टेशन से आने वाली है ।

श्री मथुराप्रसाद पांडेय—क्या सरकार को यह मालूम है कि ऐग्रीमेंट करते वक्त मिल वालों को मालूम था कि यह गन्ना बैड वैराइटी का है ?

श्री रऊफ जाफरी—मैं भी यह समझता हूं कि उनको जरूर मालूम था, इसलिये उनसे कह रहे हैं कि आपने उस वक्त एतराज नहीं किया, इसलिये आपको लेना चाहिये ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब सरकार की ओर से खरीदने का दबाव पड़ा तभी से पर्चियों पर दाम लिखने बन्द किये हैं ?

श्री रऊफ जाफरी—यह सही है ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री जी को ज्ञात है कि केन इंस्पेक्टर और दूसरे अधिकारियों को इस हिदायत के भेजने के बावजूद भी अभी तक जो गन्ना लिया जा रहा है, उन पर्चियों पर दाम नहीं लिखे जा रहे हैं, तो क्या वह सोच रहे हैं कि मिल वालों के खिलाफ कोई दूसरा सख्त कदम उठायें ?

श्री रऊफ जाफरी—इसका तो जवाब दिया जा चुका है ।

श्री देवनारायण भारतीय (जिला शाहजहांपुर)—क्या मंत्री जी ऐसा कोई स्टेप लने जा रहे हैं जिससे भविष्य में इस गन्ने का उत्पादन ही उत्पादक आगे न करे और करे तो मिलों को वह गन्ना लेना जरूरी हो जाय ? यह प्रबन्ध पहले से करने की कृपा करेंगे ?

श्री रऊफ जाफरी—जहां तक यह है कि काश्तकार बोयें नहीं जब तक कि मंजूरी न मिले, ऐसा नहीं किया जा सकता और जब बैन्ड वैराइटी हो गई है तो कानूनी तरीके पर मिलों को मजबूर नहीं कर सकते कि वह लें ।

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ।]

*१—३—**श्री शिवराजबहादुर** (जिला बरेली) तथा **श्री होरीलाल यादव** (जिला फर्रुखाबाद)—[२१ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

[नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये ३१-३-६१ के स्थगित प्रश्न ।]

वाराणसी एक्साइज समिति द्वारा मदिरालय का ठेका देने की जानकारी

*१—श्री ऊदल (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वाराणसी एक्साइज समिति ने बहुमत से ९ जनवरी, १९६१ को वाराणसी के एक स्पेशल (फर्स्ट क्लास) मैजिस्ट्रेट को मदिरालय का ठेका दिया है ?

आबकारी मंत्री (डाक्टर सीताराम)—जी नहीं ।

* २—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि वह सार्वजनिक स्थान के पास इस मदिरालय को खोलने की इजाजत दे रही है ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं ।

* ३—श्री ऊदल (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समिति के कौन-कौन सदस्य थे और ठेके के लिये कितने तथा कौन-कौन उम्मीदवार थे ?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ ८६३ पर)

श्री दाताराम चौधरी (जिला सहारनपुर)—क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है कि आबकारी की दूकानें सार्वजनिक स्थानों पर खोली जाया करें ?

डाक्टर सीताराम—प्रश्नोत्तर में स्वयं बताया गया कि जी नहीं ।

श्री शिवप्रसाद नागर (जिला खीरी)—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यदि ऐसा नहीं है तो यह मदिरालय कहां पर खुला है ?

डाक्टर सीताराम—खुल नहीं रहा है । वह संस्तुतियां जो कि कलेक्टर या कमिश्नर के द्वारा सरकार को भेजी गई थीं उनको सरकार ने नहीं माना है ।

[७ अप्रैल, १९६१ के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१-२—श्री ताराचन्द माहेश्वरी (जिला सीतापुर)—[४ अप्रैल, १९६१ को प्रश्न ६-७ के अन्तर्गत उत्तर दिये गये ।]

गोरखपुर अन्तरिम जिला परिषद् के शिक्षकों का वेतन वितरण

*३—श्री मदन पांडेय—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जिले की अन्तरिम जिला परिषद् के मातहत काम करने वाले शिक्षकों का वेतन प्रत्येक मास में किस तारीख तक बंट जाता है ?

शिक्षा उप-मंत्री (श्री रामस्वरूप यादव)—अन्तरिम जिला परिषद्, गोरखपुर द्वारा अप्रैल, १९६० से जनवरी, १९६१ तक शिक्षकों को वेतन वितरण किये गये प्रत्येक मास की तिथियों की सूची संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ ८६४ पर)

*४—श्री मदन पांडेय—क्या यह सही है कि उक्त शिक्षकों को गत कई मास से नियमित रूप से तनख्वाहें नहीं बंटी हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव—जी नहीं ।

नोट—तारांकित प्रश्न १—३ श्री रघुरनतेजबहादुरसिंह ने पूछे ।

श्री मदन पांडय---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो अप्रैल महीने से १९६० का हिसाब दे रखा है तो अप्रैल में १८-५-६० को तनख्वाह दी गयी है। यह कितने महीने की एक साथ दी गयी है ? यह पिछले महीने की थी या कई महीनों की दी गयी है ?

श्री रामस्वरूप यादव---प्रश्न में अप्रैल, १९६० से जनवरी, १९६१ की तनख्वाह पूछी गयी थी। मैं यह तो नहीं कह सकता हूं कि वह कितने महीनों की थी, इसके लिए नोटिस चाहिए।

श्री मदन पांडेय---क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि जनवरी का वेतन, जैसा कि उसमें दिया गया है कि तीन तारीख को बटा है, तो फरवरी और मार्च की तनख्वाह जो बटी है वह किन तारीख में बंटी है, क्या इसको देखते हुए एक निश्चित आदेश देने जा रहे हैं कि महीन के पहले हफ्ते में अवश्य ही शिक्षकों को तनख्वाह मिल जाय?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो पहले सेही राजाज्ञा मौजूद है कि पन्द्रह तारीख तक अवश्य भुगतान हो जाना चाहिये।

श्री अब्दुल रऊफ लारी (जिला गोरखपुर)---क्या माननीय मंत्री जी को यह पता है कि बोर्ड के इन अध्यापकों की तनख्वाहें १५ तारीख के अन्दर नहीं मिलती हैं ? यदि हां, तो क्या उसके लिये वह कुछ व्यवस्था करने का विचार करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव---यह तो ठीक ही है। अक्सर १५ तारीख तक नहीं मिलती है और बार-बार उनको आदेश दिये गये हैं कि १५ तारीख के अन्दर ही दें। पिछले महीनों का वेतन दे दिया गया है, उनकी कठिनाइयां होती हैं।

"कैम्पस ग्राण्ट" के अन्तर्गत संस्तुत हायर सेकेण्डरी स्कूल

*५---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि प्रदेश के हायर सेकेन्डरी स्कूलों में "हाल" के निर्माण में सहायता दिये जाने के लिये भारत सरकार ने "कैम्पस ग्रान्ट" वित्तीय वर्ष १९६०--६१ के अन्तर्गत दिये जाने के लिये स्कूलों के नाम मांगे थे और यह सब नाम दिसम्बर, १९६० में भारत सरकार को भेज दिये गये हैं ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, किन्तु स्कूलों के नाम भारत सरकार को २९ नवम्बर, १९६० को भेजे गये थे न कि दिसम्बर, १९६० में।

*६---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि शिक्षा संचालक, उत्तर प्रदेश द्वारा जो सूची शिक्षा मंत्री के सम्मुख प्रस्तुत की गई उनमें जिस प्रकार नामों का क्रम था, क्या उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---जी हां, एक नाम शासन द्वारा परिवर्तित किया गया था और शेष ९ संस्थाओं में कुछ का क्रम परिवर्तित किया गया था।

*७---**श्री ताराचन्द माहेश्वरी**---यदि हां, तो क्या सरकार शिक्षा संचालक द्वारा प्रस्तुत सूची और शिक्षा मंत्री द्वारा परिवर्तित सूची को सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---सूची 'क' तथा 'ख' सदस्य महोदय की मेज पर रख दी गई है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ ८६५ पर)

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि संचालकालय की सूची के नवें नम्बर पर जिस स्कूल का नाम है शासन द्वारा स्वीकृत सूची में उस नाम को हटा कर नया नाम क्यों शामिल कर दिया गया ?

श्री रामस्वरूप यादव---शासन की राय में जो नाम शामिल किया गया है वह पिछड़े हुए क्षेत्र का ही था। उस विद्यालय के संचालक लोग बड़े उद्योगी और साहसी भी थे।

श्री धनुषधारी पांडेय---क्या सरकार बतायेगी कि बस्ती के स्कूल को काट कर जो दूसरा स्कूल किया गया है वह किस स्थान पर है ? क्या वह पिछड़े हुए क्षेत्र में नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव---उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पिंडी, जिला देवरिया को उसकी जगह किया गया है । बस्ती जिले के दो विद्यालय लिस्ट में थे, उसमें से एक को काट दिया गया लेकिन दूसरा, हीरालाल माध्यमिक विद्यालय उसमें रहा ।

श्री उपाध्यक्ष---इसका उत्तर और दे दीजिये कि वह पिछड़े हुए इलाके में था या नहीं ?

श्री रामस्वरूप यादव---जो देवरिया वाला स्कूल रखा गया है उसकी स्थिति बस्ती वाले स्कूल की स्थिति के मुकाबिले में पिछड़ेपन की दृष्टि से अधिक अनुकूल है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या सरकार बतायेगी कि बस्ती के जिस स्कूल को काटा गया वह स्कूल कब से चल रहा था और जो स्कूल बढ़ाया गया वह कब से चल रहा था ?

श्री रामस्वरूप यादव ---इसके लिये नोटिस की आवश्यता होगी ।

श्री देवनारायण भारतीय---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि क्या सरकार की मंशा पिछड़े हुए क्षेत्र को अथवा पिछड़े वर्ग को आगे बढ़ाने की नहीं है ?

श्री उपाध्यक्ष---उन्होंने तो जवाब दिया कि जिस स्कूल को शामिल किया गया वह ज्यादा पिछड़े हुए क्षेत्र में है ।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी---क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि शेष ९ स्कूलों के नाम के क्रम में परिवर्तन क्यों किया गया है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, शासन को अपने विवेक को प्रयोग करने का अधिकार है । उसने क्रम में परिवर्तन करना ठीक समझा इसलिये कर दिया गया ।

रोडवेज क्षेत्र गोरखपुर में जूनियर क्लर्क्स

*८---**श्री उग्रसेन** (जिला देवरिया) (अनुपस्थित)---क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि ३१ दिसम्बर ,१९५९ को गोरखपुर रीजन में कितने जूनियर क्लर्क थे और ह ? जो जूनियर क्लर्क ३१ दिसम्बर, १९५९ के बाद बढ़ाये गये हैं उनमें कितने सीधी नियुक्ति से और कितने विभागीय प्रोमोशन से आये हैं ?

डाक्टर सीताराम---३१ दिसम्बर, १९५९ को जूनियर क्लर्कों की संख्या ३४७ थी और २८ फरवरी १९६१ को इनकी संख्या ४२३ थी । जो जूनियर क्लर्क ३१ दिसम्बर, १९५९ के बाद बढ़ाये गये उनमें से ५ सीधी भर्ती से, २५ पदोन्नति द्वारा और शेष असिस्टेन्ट बुकिंग क्लर्क के पद समाप्त होने के कारण ।

*९---**श्री उग्रसेन** (अनुपस्थित)---क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि क्या तृतीय पंचवर्षीय योजना में प्रदेश में परिवहन कर्मचारियों के आवास हेतु कुछ क्वार्टरों के बनाने की भी योजना है ? यदि हां, तो कितने क्वार्टर बनाये जायेंगे ?

डाक्टर सीताराम---परिवहन विभाग पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत नहीं आता है ।

श्री देवनारायण भारतीय---माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा कि ७६ पद बढ़ाये गये हैं इनमें से ५ सीधी भर्ती से, २५ पदोन्नति के द्वारा और शेष असिस्टेन्ट बुकिंग क्लर्क का पद समाप्त होने के कारण । मैं यह जानना चाहता हूं कि असिस्टेन्ट बुकिंग क्लर्क के कितन पद समाप्त किये गये थे और क्या वे सब के सब यहां पर लगा दिये गये अथवा उनमें से कुछ शेष रह गये ?

नोट---तारांकित प्रश्न ८-९ श्री देवनारायण भारतीय ने पूछे ।

डाक्टर सीताराम—पारसाल १९६०-६१ के बजट में इस सदन ने तय किया था कि असिस्टेन्ट बुकिंग क्लर्क के पद समाप्त किये जायं। गोरखपुर डिवीजन के बारे में प्रश्न पूछा गया है, उसमें कितने और बाकी हैं इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी लेकिन जहां तक ७६ में से ४६ लोगों का प्रश्न है उन्हीं असिस्टेन्ट बुकिंग क्लर्स में से उनकी पदोन्नति हुई है।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)—क्या मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि गोरखपुर रीजन में असिस्टेन्ट बुकिंग क्लर्क्स के पद समाप्त किये गये थे जिस की वजह से बहुत से लोग अभी तक किसी जगह पर नहीं लिये जा सके हैं और बिना काम के हैं ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं, ऐसा कोई नहीं है जो बिना काम के हो ?

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि अगर तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत कोई योजना नहीं है तो नान प्लान्ड आइटम्स जो होते हैं उनके अनुसार क्वार्टर्स बनाने की कोई योजना है ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, ६१-६२ में १३ जगहों पर कर्मचारियों के लिये आवास गृह बनाये जायेंगे।

एटा-लखनऊ बस सर्विस की मांग

*१०—**श्री गनेशचन्द्र काछी** (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार इस पर विचार करने की कृपा करेगी कि एटा से लखनऊ तक सीधी सरकारी बसें चला दी जावें ?

डाक्टर सीताराम—एटा-बेवर मार्ग के राष्ट्रीयकरण के बाद इस पर विचार किया जा सकेगा।

श्री गनेशचन्द्र काछी—क्या सरकार बतायेगी कि एटा से बेवर लाइन पर सरकारी बसेज किस तारीख तक चल जायंगी ?

डाक्टर सीताराम—एटा से बेवर के रूट को लेने का नोटिस दिया जा चुका है। इस पर जो आपत्तियां आयी हैं वे डी० एल० आर० के यहां विचाराधीन हैं। जब तक उन पर निर्णय नहीं होता है तब तक सरकारी बसेज नहीं चल सकेंगी।

*११-१२—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[२१ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

*१३—**श्री रामसुन्दर पांडेय**—[२१ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया।]

लखनऊ जिले से राजनीतिक पीड़ितों के पेन्शन के लिए प्रार्थना-पत्र

*१४—**श्री रामशरण यादव** (जिला लखनऊ) (अनुपस्थित)—क्या मंत्री परिवहन कृपया बतायेंगे कि लखनऊ जिले के कितने व्यक्तियों ने पंचांग वर्ष १९६० में राजनीतिक पीड़ित पेन्शन के लिये प्रार्थना-पत्र दिये थे, उनमें से कितने स्वीकृत हुये और कितने अस्वीकृत हुये ?

परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री कृपाशंकर)—४२ व्यक्तियों ने पेंशन के लिए, जिनमें पेंशन वृद्धि के भी मामले सम्मिलित हैं, प्रार्थना-पत्र दिये। उनमें से ३ प्रार्थना-पत्र स्वीकृत किए गए और ५ अस्वीकृत किये जा चुके हैं। शेष प्रार्थना-पत्र विचाराधीन हैं।

*१५—**श्री रामशरण यादव** (अनुपस्थित)—उक्त प्रार्थना-पत्र अस्वीकृत किये जाने के मुख्य कारण क्या हैं ?

नोट—तारांकित प्रश्न १४-१५ श्री रामसुन्दर पांडेय ने पूछे।

श्री कृपाशंकर---पेंशन का एक प्रार्थना-पत्र इसलिये अस्वीकृत किया गया क्योंकि प्रार्थी की जेल यातनाएं अप्रमाणित थीं और उनकी आर्थिक अवस्था भी ठीक थी। अन्य ४ मामलों में संबंधित व्यक्तियों को जो पेंशनें पहले से मिल रही हैं वे पर्याप्त समझी गईं और उनमें वृद्धि की आवश्यकता नहीं समझी गई।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि ८ प्रार्थना-पत्रों के संबंध में निर्णय किया गया है तो शेष का कब तक निर्णय हो जायगा ?

श्री कृपाशंकर---शेष प्रार्थना-पत्रों में से कुछ ऐसे हैं जिन पर कार्यवाही हो रही है और कुछ ऐसे हैं जिन पर अभी कार्यवाही नहीं हो पाई है।

श्री होरीलाल यादव---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सरकार की ऐसी नीति है कि जो एक बार जेल गया है उसका प्रार्थना-पत्र स्वीकार नहीं किया जाता है ?

श्री कृपाशंकर---आम तौर से तो ऐसा ही है लेकिन अगर कोई एक बार जेल गया है और उसकी अवस्था ज्यादा खराब है और कोई खास बात है तो विचार किया जाता है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---क्या मंत्री जी बतायेंगे कि इन ४२ प्रार्थना-पत्रों में से कितने ऐसे हैं जो दफ्तर में ही पड़े हैं और जांच के लिये नहीं भेजे गये हैं ?

श्री कृपाशंकर---१६।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या मंत्री जी यह देखते हुये कि स्वतंत्रता संग्राम के जो सेनानी हैं, उनको कोई दान नहीं देते हैं बल्कि हक अदा करते हैं, इसलिये सहायता दी जाती है। किसी को लड़की की शादी के लिये और किसी को दूसरी चीज के लिये सहायता दी जाती है तो क्या वह ऐसी व्यवस्था करेंगे कि विभाग उन पर प्राथमिकता दे कि जो प्रार्थना-पत्र आयें उन पर सीधी कार्यवाही हो ताकि ज्यादा दिनों तक इंतजार न करना पड़े ?

श्री कृपाशंकर---यह हक नहीं दिया जाता है बल्कि सहायता दी जाती है। कोई राजनीतिक पीड़ित है, उसकी हालत अच्छी है और खाने-पीने की कोई दिक्कत नहीं है तो उसको सहायता नहीं दी जाती है यह तो एक सहायता है, जो मजबूर हो, खाने पीने को न हो, कोई जायदाद न हो उसको दी जाती है। कोई बार-बार जेल गया है इसलिये नहीं दी जाती है। अगर कोई लड़की की शादी के संबंध में प्रार्थना-पत्र होता है तो उस पर शीघ्र कार्यवाही की जाती है और की जा रही है।

नटवरलाल को जेल से भगाने में दण्डित व्यक्ति

*१६---**श्री झारखंडेराय** (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २४ फरवरी, १९५७ को सरेशाम कुख्यात जालसाज नटवरलाल लखनऊ जिला जेल से भाग गया था ?

डाक्टर सीताराम---जी हां।

*१७---**श्री झारखंडेराय** (अनुपस्थित)---क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उस सम्बन्ध में कितने व्यक्तियों पर मुकदमा चलाया गया और उसमें कितने व्यक्तियों को क्या-क्या सजायें हुईं ?

डाक्टर सीताराम---कुल २१ व्यक्तियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया जिनमें ६ व्यक्ति बरी कर दिये गये। शेष १५ व्यक्तियों को सजायें मिलीं जिसका विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ ८६६ पर)

नोट---तारांकित प्रश्न १६-१८ श्री शिवप्रसाद नागर ने पूछे।

*१८—**श्री झारखंडेराय** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जो अभियुक्त न्यायालय से मुक्त करके निर्दोष घोषित कर दिये गये उनमें क्या सब को पुनः अपनी नौकरियों पर बहाल कर दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं, केवल एक व्यक्ति नौकरी पर बहाल करके तुरन्त रिटायर कर दिया गया। एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। शेष तीन कर्मचारी जो अदालत द्वारा बरी हुये थे अब भी मुअत्तल हैं क्योंकि उनके विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने का प्रश्न सरकार के सामने है।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि २४ फरवरी, १९५७ को नटवरलाल के भागने के बाद सरकार ने इस बात की छानबीन की कि उसके भगाने में किस अधिकारी का हाथ था ?

डाक्टर सीताराम—उसके बारे में पिछली बार भी सदन में प्रश्नोत्तर हुए थे। जो कर्मचारी जुर्मी पाये गये उनमें १० के विरुद्ध स्पेशल जज, लखनऊ की अदालत में केस चला। वे पांच कर्मचारी उसी ग्राउन्ड पर डिस्मिस हो गये और पांच को उन्होंने बरी कर दिया। इसके अलावा जो ११ गैर-सरकारी आदमी थे, उनमें से १० को स्पेशल जज ने कनविक्ट किया और साथ ही साथ एक को छोड़ दिया।

श्री मदन पांडेय—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि यह जो ६ व्यक्ति बरी किये गये हैं इनमें से कितनों को संदेह के लाभ पर मुक्त किया गया है और कितने लोगों का क्लियर अक्विटल हुआ है ?

डाक्टर सीताराम—अध्यक्ष महोदय, यह तो बहुत डिटेल की बात है। डिफरेंट केसेज है। वह मेरे पास सूचना उपलब्ध नहीं है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो अधिकारी पुनःस्थापित करके फिर रिटायर कर दिया गया वह इसलिये पुनःस्थापित करके रिटायर कर दिया गया कि उसकी नौकरी कंटीन्यू करवानी थी या दण्ड स्वरूप रिटायर करने के लिये बाध्य किया गया ?

डाक्टर सीताराम—उनका रिटायरमेन्ट ड्यू था। इसलिये उनको उबाइन कराके रिटायर कर दिया गया।

अनैतिक व्यापार दमन कानून

*१९—**श्री ऊदल** (अनुपस्थित)—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि क्या अनैतिक व्यापार दमन कानून संबंधी नियम अब तक नहीं बनाये गये हैं ? यदि हां, तो इसका क्या कारण है ?

समाज कल्याण मंत्री (श्रीमती प्रकाशवती सूद)—सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रेफिक इन वीमेन ऐण्ड गर्ल्स ऐक्ट के अन्तर्गत नियम बनाये जा चुके हैं और राज्य सरकार के गजट दिनांक १८ फरवरी, १९६१ में प्रकाशित कर दिये गये हैं।

श्री सजीवनलाल (जिला उन्नाव)—क्या मंत्राणी जी ने पहले जो अंग्रेजी में कुछ अपनी बातें कहीं उनको हिन्दी में करने की कृपा करेंगी ?

श्री उपाध्यक्ष—वही जो आपके प्रश्न में है, वही कहा है। उसी के मातहत नियम बन गये।

नोट—तारांकित प्रश्न १९ श्री सजीवनलाल ने पूछा।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या माननीय मंत्राणी जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह लोग कलाकार भी हैं, इन नियमों के अन्तर्गत उनकी कलाकारी को संरक्षण देने की कृपा करेंगी ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---यह नियम थोड़े दिनों के अन्दर प्रेस से छप कर आयेंगे। उस समय माननीय सदस्यों की मेज पर रख दिये जायंगे। उस समय अगर माननीय सदस्य कोई इस ओर ध्यान दिलायेंगे तो उसमें संशोधन कर दिया जायगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो नियम बनाये गये हैं और प्रकाशित कर दिये गये हैं, वह प्रकाशित किये जाने के दिन से लागू हो गये हैं या अभी नहीं लागू किये गये हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---वह गजट होने के बाद से लागू हो गये हैं।

श्री ब्रजनारायण तिवारी (जिला देवरिया)---क्या मंत्री जी इसको स्पष्ट करेंगे कि इन नियमों के मुताबिक वेश्यावृत्ति करने वालों के अलावा और किसी वर्ग पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---इस ऐक्ट के अन्दर जो भी सुविधाएं हैं, उनको प्राप्त करने वालों पर प्रभाव पड़ेगा। अन्य दूसरे पर नहीं।

श्री शिवप्रसाद नागर---क्या मंत्राणी जी बताने की कृपा करेंगी कि इस ऐक्ट के मातहत निश्चित रूप से इनकी कलाकारी पर प्रभाव पड़ा है, तो इनकी कलाकारी को संरक्षण प्रदान करने के लिये वह क्या विचार कर रही हैं ?

श्रीमती प्रकाशवती सूद---मेरे विचार में तो ऐसा नहीं है कि कलाकारों के ऊपर इसका प्रभाव पड़े। मेरे विचार में इसमें कुछ हिफाजत भी मिल गयी है, जो वेश्यावृत्ति धारण किये हैं, वह कलाकारों के नाम पर इससे बच जाती हैं।

कुमायूं विश्वविद्यालय न खुल सकना

*२०---**श्री नारायणदत्त तिवारी**---संरक्षक समिति, नैनीताल द्वारा पारित प्रस्तावों के विषय में तारीख २४ फरवरी, १९६१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४९ के उत्तर के संदर्भ में क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उसके इस कथन का कि कुमायूं विश्वविद्यालय की स्थापना के निश्चय का कार्यान्वयन अगले सत्र से आरम्भ करने के लिये किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है, क्या आधार है और किसी कार्यवाही की आवश्यकता क्यों नहीं है ?

श्री रामस्वरूप यादव---अगले सत्र से विश्वविद्यालय का आरम्भ करना किसी भी प्रकार सम्भव नहीं है। इसलिये उक्त उत्तर दिया गया था। अभी इस मसले पर विचार विनिमय चल रहा है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---माननीय मंत्री जी इस बात को स्पष्ट करेंगे कि कुमायूं विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये क्या कार्यवाही हुई है और विचार-विनिमय किस स्तर पर है तथा किससे चल रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, अभी शासन का इरादा इस विश्वविद्यालय को चलाने का नहीं है। शासन की यह नीति है कि ज्यादा विश्वविद्यालय न खोले जायं, उसके बजाय आटोनामस कालेजेज खोलने के बारे में यूनिवर्सिटी कमीशन को रेफरेन्स किया गया है। उनके विचार आने के बाद यह विचार किया जायगा कि आटोनामस कालेज खोले जायं या बहुत आवश्यकता होने पर विश्वविद्यालय के खोलने पर विचार किया जाय।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुए कि कुमायूं विश्वविद्यालय की स्थापना के सिद्धान्त को इस सदन ने स्वीकार किया था तथा पूज्य पंत जी के स्वर्गवास के बाद वहां के निवासियों ने सरकार के पास कोई इस प्रकार का प्रार्थनापत्र भेजा है कि इस विश्वविद्यालय का नामकरण पूज्य पंत जी के नाम पर कर दिया जाय ? यदि हां, तो क्या सरकार उसको प्राथमिकता देगी और तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण में ही उसको स्थापित कर देगी ?

श्री रामस्वरूप यादव---श्रीमन्, जैसा कि मैंने निवेदन किया आज की स्थिति में सरकार का विचार कोई विश्वविद्यालय खोलने का नहीं है। अगर बहुत आवश्यक हुआ तभी विश्वविद्यालय खोला जायगा। मैंने निवेदन किया कि यूनिवर्सिटी कमीशन के सामने भी यह प्रश्न है, उसकी रिपोर्ट आने के बाद जैसी आवश्यकता होगी वैसा किया जायगा।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय शिक्षा मंत्री स्पष्ट करेंगे कि आटोनामस कालेजेज बना कर उनसे काम चलाने की नीति वर्तमान सरकार ने अपनायी है या इससे पहले की सरकार की भी यही नीति रही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---आगरा यूनिवर्सिटी अधिनियम में इसके बारे में पहले ही से दिया हुआ है और उसी के आधार पर इस वक्त आटोनामस कालेजेज खोलने का विचार है कि बजाय विश्वविद्यालयों की संख्या बढ़ाने के ऐसे कालेजों की व्यवस्था ही क्यों न की जाय ? यूनिवर्सिटी कमीशन के सामने भी यह प्रश्न है और उसकी रिपोर्ट आने के बाद ही कोई निश्चय किया जायगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या यह सही है कि नैनीताल क्षेत्र के सदस्य ने सन् १९५६ में एक कुमायूं विश्वविद्यालय विधेयक पेश किया था जो, सर्व सम्मति से जनमत के लिये प्रसारित हुआ था और तत्कालीन शिक्षा मंत्री, श्री हरगोविन्द सिंह ने यह आश्वासन दिया था सदन को कि कुमायूं विश्वविद्यालय की स्थापना की जायगी ? यदि हां, तो आज जो माननीय मंत्री जी ने कहा वह उत्तर सही है या जो उस वक्त सरकार ने आश्वासन दिया था, वह सही है ?

श्री रामस्वरूप यादव---मैंने तो आज जो नीति सरकार की है वह बतलायी। मुझे उस प्रस्ताव का ज्ञान नहीं है, उसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

बस्ती जिले में प्रशिक्षित हरिजन बस कण्डक्टरों का नियुक्ति

*२१---**श्री रामलाल** (जिला बस्ती)---क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि क्या जिला बस्ती में सन् १९६० में कुछ कन्डक्टरों की जगहों के लिये परीक्षा हुई थी जिसमें केवल हरिजन ही परीक्षा में बैठे थे ? यदि हां, तो उस परीक्षा में कितने हरिजन उत्तीर्ण हुए और कितनों को उसमें से बस कन्डक्टरी की ट्रेनिंग दी गई ? क्या उनमें से किसी को काम मिला ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम---जी हां, सितम्बर, १९६० में एक इन्टरव्यू लिया गया था जिसके आधार पर ४१ व्यक्तियों को ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग में सफल २५ व्यक्तियों में से ६ की नियुक्ति के आदेश जारी हो रहे हैं।

श्री रामलाल---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि ४१ व्यक्तियों में जो १६ व्यक्ति ट्रेनिंग में असफल हुए हैं उनको दोबारा ट्रेनिंग देने के लिये सरकार आदेश जारी करेगी ?

डाक्टर सीताराम---जो ट्रेनिंग में फेल होते हैं उनके लिये फिर दोबारा ट्रेनिंग देने की तो कोई व्यवस्था नहीं है लेकिन अगर जनरल मैनेजर एक्सेप्शनली किसी केस में परमिशन

देना चाहें तो दे सकते हैं लेकिन चूंकि यहां १६ व्यक्ति फेल हुए हैं, इसलिये एक्सेप्शन का केस भी नहीं हो सकता ।

*२२-२४--श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)--[२० अप्रैल, १९६१ के लिये प्रश्न ३५-३७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*२५-२६--श्री सुदामाप्रसाद गोस्वामी (जिला झांसी)--[२१ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये ।]

*२७--श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)--[२१ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किया गया ।]

परिवहन विभाग में नवीन नियमों के प्रवर्त्तन पर हटाये गये कर्मचारी

*२८--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती) (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि रोडवेज कर्मचारी की नौकरियों की पिछली सेवा के शर्तनामों को समाप्त कर नौकरी के नये शर्तनामों पर हस्ताक्षर करा के सिलसिले में राज्य भर में (Region Wise) (रोडवेज के जनरल मैनेजर वाले रीजन) ३१ दिसम्बर, १९६० तक हस्ताक्षर करने से इंकार करने पर पृथक-पृथक कितने-कितने ड्राइवर, कन्डक्टर, ए० डी० आई०, जे० एस० आई० क्लर्क तथा बाकी श्रेणियों के अन्य कर्मचारी नौकरी से निकाले गये ?

परिवहन मंत्री (श्री मुजफ्फर हसन)--वांछित सूचना सदन की मेज पर रख दी गई है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ ८६७ पर)

*२९--श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (अनुपस्थित)--क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उपर्युक्त सिलसिले में गाड़ियों के बन्द होने से राज्य के प्रत्येक (Region) में कितने-कितने रुपयों की हानि हुई ?

श्री मुजफ्फर हसन--लखनऊ रीजन में तख्मीनन ३३,०४७ रुपये का कम मुनाफा हुआ । बाकी रीजनों के मुनाफे पर कोई असर नहीं पड़ा ।

हिन्द फ्लाइंग क्लब लखनऊ को सहायता

*३०--श्री होरीलाल यादव--क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि हिन्द फ्लाइंग क्लब, लखनऊ को सरकार द्वारा कितनी आर्थिक सहायता पिछले दो वर्षों में दी गई और इस क्लब को उसके कार्य में इस बीच में कितना घाटा हुआ ?

डाक्टर सीताराम--१९५९-६० और १९६०-६१ में क्लब को ४,९०,००० और ४,५०,००० रु० की आर्थिक सहायता सरकार ने दी । १९५९-६० में क्लब को घाटा नहीं हुआ । १९६०-६१ की बैलेन्स शीट अभी तैयार नहीं है।

श्री होरीलाल यादव--क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि इस क्लब द्वारा कितने शिक्षार्थियों को शिक्षा दी गयी है ?

डाक्टर सीताराम--इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि आर्थिक सहायता जो क्लब को दी जाती है वह किस उद्देश्य के लिये दी जाती है और क्या सरकार ने इस बात की जांच की है कि जिस प्रयोजन के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है उसमें उसका प्रयोग हो रहा है ?

डाक्टर सीताराम--जी हां, उसी में हो रहा है। साढ़े ४ लाख रुपये की जो सबसिडी उनको दी जाती है उसके द्वारा पाइलटों को ए० बी० श्रेणी की ट्रेनिंग दी जाती है और इसके अलावा क्लब के पास जो २ बड़े और ३ छोटे जहाज हैं उसका एक्सपेंडिचर भी उससे मीट करते हैं, इन कार्यों के लिये उनको सहायता दी जाती है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--क्या माननीय मंत्री जी के पास ऐसी शिकायतें आयी हैं कि क्लब को जिन प्रयोजनों के लिये आर्थिक सहायता दी जाती है उनमें उसका प्रयोग नहीं होता है? यदि हां, तो क्या सरकार आडिट पार्टी भेज कर उनके हिसाब-किताब की जांच करायेगी?

†**डाक्टर सीताराम**--इस क्लब के हिसाब-किताब की जांच ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट के डिप्टी ट्रांसपोर्ट कमिश्नर करते हैं और जांच के बाद ही बैलेंश शीट तयार होती है। सरकार के पास क्लब की एक शिकायत आई है जिस पर जांच की जा रही है।

श्री प्रतापसिंह--इस बात को मानते हुए कि यह रुपया हमारे एक्सचेकर से दिया जाता है, डिप्टी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर की जो आडिट की जांच की रिपोर्ट है उसको सदन के सामने रखेंगे ताकि हिसाब की जांच हो सके?

†**डाक्टर सीताराम**--डिप्टी ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर जो इस की चेकिंग करते ह वह अपनी सूचना ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर और सरकार को देते हैं और अगर कोई गड़बड़ होती है तो सरकार की ओर से और ट्रान्सपोर्ट कमिश्नर की ओर से खुद कार्यवाही की जाती है। सरकार के पास क्लब की एक शिकायत आई है जिस पर जांच की जा रही है।

श्री होरीलाल यादव--क्या सरकार बतायेगी कि इस क्लब के सब से बड़े वैतनिक अफसर कौन हैं और उनको मासिक वेतन क्या मिलता है?

डाक्टर सीताराम--वेतन नहीं मिलता, एलाउन्स मिलता है।

श्री उपाध्यक्ष--वह कौन हैं और उनको कितना एलाउन्स मिलता है?

डाक्टर सीताराम--बी० पी० सिंह हैं और १,००० रुपया एलाउन्स मिलता है।

*३१-३२--**श्री गौरीशंकर राय** (जिला बलिया)--[१४ अप्रैल, १९६१ के लिये स्थगित किये गये।]

शराबबन्दी कानून का लागू किया जाना

*३३--**श्री बलदेवसिंह** (जिला गोंडा) (अनुपस्थित)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १ जनवरी, १९४८ से ३१ दिसम्बर, १९६० तक प्रदेश के कितने जिलों में शराबबन्दी कानून लागू किया गया है?

डाक्टर सीताराम--१ जनवरी, सन् १९४८ से ३१ दिसम्बर, सन् १९६० तक प्रदेश के कुल ४ जिलों में शराबबन्दी कानून लागू किया गया।

जिला जेल, पीलीभीत में कैदी

*३४--**श्री प्रतापसिंह**--क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला जेल, पीलीभीत में इस समय कितने कैदी हैं और उनमें से कितने ऐसे हैं जिनके केस अदालत में ५ साल से अधिक समय से पड़े हैं और जिनका अभी तक फैसला नहीं हुआ है?

डाक्टर सीताराम--२२३। इनमें ऐसा कोई बन्दी नहीं है जिसका केस अदालत में ५ साल से अधिक समय से पड़ा हो और फैसला न हुआ हो।

---

†परिवहन मन्त्री द्वारा २० मई, १९६१ को दिये गये वक्तव्य के अनुसार संशोधित।

श्री प्रतापसिंह ---क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन २२३ कैदियों में से कितने अन्डर-ट्रायल्स हैं ?

डाक्टर सीताराम---१३९ ।

श्री प्रतापसिंह---क्या मंत्री जी प्रश्न कर्त्ता की सूचना को सही मानते हुए कि वहां के जो ऐसे कैदी हैं जिनके केसेज ५ साल से अधिक के हैं और जो ४-४, ५-५ साल के केसेज अन्डरट्रायल्स के पड़े है उनके बारे में विभाग को लिखकर एक्सपीडाइट करायेंगे ?

डाक्टर सीताराम---जेल डिपार्टमेन्ट तो करेक्टोडियन डिपार्टमेन्ट है। अन्डरट्रायल्स के केसेज सेशन कोर्टस और मैजिस्ट्रेसी में हो सकते हैं और १३९ अन्डर-ट्रायल्स के खिलाफ भी केसेज मुख्तलिफ कोर्टस में होंगे, इसलिये उनके फैसले में काफी समय लगेगा। अगर माननीय सदस्य चाहेंगे तो इत्तला मंगाकर दी जा सकती है।

नैनीताल जिले में जेल विभाग की जमीन

*३५---श्री प्रतापसिंह---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला नैनीताल में जेल विभाग के अधिकार में कितनी जमीन है ?

डाक्टर सीताराम---लगभग ५,९८५ एकड़ भूमि ।

श्री प्रतापसिंह---क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस ५९५० एकड़ भूमि में से कितने एकड़ भूमि ऐसी है जो जबरदस्ती काश्तकारों से छीनी गई है ?

डाक्टर सीताराम---एक इंच जमीन भी काश्तकारों से जबरदस्ती नहीं छीनी गई है।

श्री नारायणदत्त तिवारी---जेल विभाग के अधिकार में जो जमीन है उसमें ओपिन जेल फार्म बनाया गया है, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इसके बारे में नई सरकार की नीति क्या है ?

डाक्टर सीताराम---उस नीति के मातहत ही वहां पर यह कैम्प खोला गया है जिसके अन्तर्गत कुल जमीन ५,९६५ एकड़ है और उसमें से ३,११५ एकड़ भूमि ऐसी है जो खेती योग्य है और बाकी २,८५० एकड़ ऐसी है जोकि जंगलों से घिरी है और कंकरीली पथरीली है और जहां तक ३,११५ एकड़ का प्रश्न है उसके सम्बन्ध में सरकार की नीति है कि जेलों में जो भी गल्ला कैदियों के लिये खरीद कर दिया जाता है, उस सम्बन्ध में माननीय सदस्य द्वारा शिकायतें भी की गईं, तो इन सब बातों को ध्यान में रख कर ऐसा बड़ा फार्म खोला गया कि जहां गेहूं, जौ या और भी जो खाद्य पदार्थ हैं वह पैदा किये जायें। इन्हीं चीजों के लिये खोला गया है और सरकार की नीति है कि तरक्की की जाय।

श्री उपाध्यक्ष---ओपिन कैम्प के भविष्य के बारे में पूछा था, उसका क्या हो रहा है ?

डाक्टर सीताराम---भविष्य के ही बारे में कहा कि एक हजार कैदी वहां पर कार्य कर रहे हैं, वह फार्म चलता रहेगा।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो दो हजार एकड़ से अधिक पथरीली व जंगल वाली जगह है इसे जेल के लिये एक्वायर करने के क्या कारण हैं ?

डाक्टर सीताराम---उसको भी रिक्लेम करके उसमें पैदावार की जायगी। यही कारण है उसको लेने का।

शिक्षा प्रसार के लिए चल-चित्रों वाली मोटरें

*३६—श्री काशीप्रसाद पांडेय (जिला सुल्तानपुर) (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा प्रसार योजना के अन्तर्गत प्रदेश भर में कुल कितनी मोटरें ऐसी हैं जो चलचित्रों द्वारा शिक्षा प्रसार का कार्य कर रही हैं ?

शिक्षा मंत्री (आचार्य जुगलकिशोर)—९ मोटरें।

*३७—श्री काशीप्रसाद पांडेय (अनुपस्थित)—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इन मोटरों के द्वारा किन-किन जिलों में शिक्षा के प्रसार का कार्य हो रहा है ?

आचार्य जुगलकिशोर—उत्तर प्रदेश के समस्त जिलों का।

लड़कियों का शिक्षा के लिए केन्द्राय योजना का कार्यान्वयन

*३८—श्री ताराचन्द माहेश्वरी—विधान सभा के १८ मार्च, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ६-७ के उत्तर के क्रम में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अन्तरिम जिला परिषदों को ४०० अंशकालीन दाइयों की नियुक्ति के लिये जो ३६,००० रुपये का अनावर्तक अनुदान दिया गया है उसमें कितनी अन्तरिम जिला परिषदों ने इस अनुदान के अन्तर्गत दाइयों की नियुक्ति ३१ जनवरी, १९६० तक कर ली है और कितनी ऐसी अन्तरिम जिला परिषदें हैं जिन्होंने उपर्युक्त अवधि तक दाइयों की नियुक्ति नहीं की है ?

श्री रामस्वरूप यादव—सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री ताराचन्द माहेश्वरी—श्रीमन्, न्याय विभाग से सम्बन्धित एक प्रश्न है जो पांच मर्तबा स्थगित हो चुका है और यह भी स्थगित किया गया है दोबारा, तो मैं जानना चाहता हूं कि इस सेशन में स्थगित प्रश्नों के जवाब सूचना एकत्रित करके सरकार दे देगी या नहीं ?

श्री उपाध्यक्ष—यह आदेश दिया गया है माननीय अध्यक्ष की तरफ से कि जब माननीय मन्त्री जी किसी प्रश्न के बारे में यह उत्तर दें कि सूचना एकत्र की जा रही है तो वह प्रश्न १५ दिन बाद एनलिस्ट कर दिया जायगा एजेन्डे में। अब १५ दिन बाद आपको इसका उत्तर मिलेगा और यह भी आदेश है माननीय अध्यक्ष का कि उसके बाद माननीय मन्त्री जी यदि स्थगन के लिये प्रार्थना करें तो वह अस्वीकृत हो जायगी।

श्री मदन पांडेय—नम्बर अक्सर पिछड़ जाता है, उसका क्या होगा ?

श्री उपाध्यक्ष—इसके बारे में लिखकर भेजिये।

शिक्षित जनता का प्रतिशत

*३९—श्री प्रतापसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शिक्षित जनता का प्रतिशत क्या है ?

श्री रामस्वरूप यादव—लगभग १७ प्रतिशत।

*४०—श्री प्रतापसिंह—क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि इसमें शिक्षित महिलाओं की शिक्षा का क्या प्रतिशत है ?

श्री रामस्वरूप यादव—लगभग ३ प्रतिशत।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी सदन की जानकारी के लिये बतायेंगे कि सेकेन्ड फाइव ईयर प्लान के आखिर तक क्या टार्गेट था लिटरेसी का और १७ परसेन्ट उससे कितना नीचे है ?

श्री रामस्वरूप यादव—उसके लिये तो नोटिस की आवश्यकता है, लेकिन कम तो है ही, यह मैं मानता हूं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि उन्होंने जो आंकड़े दिये हैं वह शिक्षित लोगों के हैं या साक्षर लोगों के?

श्री रामस्वरूप यादव—शिक्षित जनता का प्रतिशत पूछा गया है, वही मैंने उत्तर दिया है।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—शिक्षित का मतलब साक्षर से है या उन लोगों से जो डिग्री वगैरह पास हैं, शिक्षित के क्या माने हैं, स्पष्ट कर दें?

श्री रामस्वरूप यादव—जो पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं वही शिक्षित कहलाते हैं।

श्री मोतीलाल अवस्थी—यह जो ३ परसेन्ट महिलायें शिक्षित बताई गई हैं, क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था उससे यह कितनी कम या ज्यादा हैं?

श्री उपाध्यक्ष—उन्होंने बता दिया कि नोटिस की आवश्यकता है।

श्री अब्दुल रऊफ लारी—यह प्रतिशत बहुत कम है और खासतौर से स्त्रियों के लिये बहुत कम है, तो क्या मन्त्री जी बतायेंगे कि इसको बढ़ाने के लिये वह क्या प्रबन्ध कर रहे हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—बढ़ाने का प्रश्न तो हमेशा सरकार के सामने रहता है। प्रौढ़ शिक्षा में प्रगति नहीं हुई। बालिकाओं की शिक्षा में तो प्रगति हो रही है। उस ओर प्रयत्न कर रहे हैं। कन्या विद्यालय खोले जा रहे हैं और जहां हैं वहां सुविधायें दी जा रही हैं ताकि अध्यापिकायें रह सकें। यही प्रयत्न हो सकता है और वह हो रहा है।

छात्रवृत्ति न पाने वाले एच० टी० सी० तथा जे० टी० सी० छात्राध्यापक

*४१—**श्री नागेश्वरप्रसाद** (जिला जौनपुर)—क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सारे प्रदेश में इस समय राजकीय प्रशिक्षण विद्यालयों में प्रशिक्षण पाने वाले एच० टी० सी० और जे० टी० सी० के कितने-कितने छात्राध्यापक बिना छात्रवृत्ति के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं?

श्री रामस्वरूप यादव—एच० टी० सी० में ६६७ छात्राध्यापक तथा जे० टी० सी० में २३२ छात्राध्यापक बिना छात्रवृत्ति के प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

श्री नागेश्वरप्रसाद—क्या सरकार बतायेगी कि इतनी बड़ी संख्या में इन छात्राध्यापकों को छात्रवृत्ति न दिये जाने का क्या कारण है?

श्री रामस्वरूप यादव—श्रीमन्, पुराने राजकीय नार्मल स्कूलों में हर साल १० व्यक्ति ऐसे नामजद किये जाते हैं जिनको छात्रवृत्ति नहीं मिलनी चाहिये। कुछ ऐसे होते थे जो प्रथम वर्ष में फेल हो जाते थे उनको नहीं मिल सकी और मुख्य कारण यह हुआ कि इस साल ८२९ एच० टी० सी० में नामजद किये गये और ३१६ जे० टी० सी० में नामजद किये गये जबकि छात्रवृत्ति केवल ४७० एच० टी० सी० और ७१ जे० टी० सी० वालों को दी जा सकती है। इसलिये बाकी को कोई छात्रवृत्ति नहीं मिल सकी।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मन्त्री जी बतायेंगे कि जो ४७० एच० टी० सी० विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दी जा सकी है तो जो शेष बच गये उनको छात्रवृत्ति न दिये जाने के क्या कारण हैं?

श्री रामस्वरूप यादव--एच० टी० सी० और जे० टी० सी० वालों ने आग्रह किया कि उनको भेज दिया जाय अतः उनको भेज दिया गया, लेकिन यह वायदा नहीं किया गया कि हर एक को छात्रवृत्ति दी जायगी।

इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देने का प्रस्ताव

*४२--**श्री नारायणदत्त तिवारी**--क्या शिक्षा मन्त्री को सूचना है कि ३० अक्तूबर, १९६० को इलाहाबाद विश्वविद्यालय एक्जीक्यूटिव कौन्सिल ने अपना एक प्रस्ताव अपने विश्वविद्यालय के कुछ कर्मचारियों की तनख्वाह तथा महंगाई भत्ते आदि के सम्बन्ध में सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने हेतु भेजा है? यदि हां, तो सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री रामस्वरूप यादव--केवल महंगाई भत्ता बढ़ाने के लिये प्रस्ताव आया था। महंगाई भत्ता बढ़ा दिया गया है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--मन्त्री जी बतायेंगे कि प्रस्ताव में कितने महंगाई भत्ते की सिफारिश की गई थी और कब से बढ़ाने की मांग की गई थी और उसके अनुसार कब से और कितना बढ़ाया गया है?

श्री रामस्वरूप यादव--हमने १ जुलाई,१९६० से इसकी स्वीकृति दी है कि भत्ता बढ़ादिया जाय।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्,मैंने पूछा था कि प्रस्ताव में कब से और कितना महंगाई भत्ता बढ़ाने की सिफारिश आई थी और उसके अनुसार कब से स्वीकार किया गया?

श्री उपाध्यक्ष--माननीय मन्त्री बतायें कि कितना बढ़ाया गया?

श्री रामस्वरूप यादव--जो सरकारी रेट था, ५० रुपये वालों को ३३ रुपया, ५१ से १५० रुपये तक ३५ रुपया और १५१ से ३०० रुपया पाने वालों को ४० रुपया और ३०१ से ३३० तक जितना ३४० से कम होगा वह दिया जायगा।

श्री प्रतापसिंह--मन्त्री जी बतायेंगे कि जब महंगाई भत्ता सब कर्मचारियों को मिलता था तो एग्जीक्यूटिव कौन्सिल के बिना प्रस्ताव के सरकार ने उसको क्यों नहीं कार्यान्वित किया?

श्री रामस्वरूप यादव--एग्जीक्यूटिव कौन्सिल ने शासन को स्वीकृति के लिये भेजा था और शासन ने उसको स्वीकार किया। इससे पहले नहीं कर सके थे, अब कर दिया है।

श्री मदन पांडेय--मन्त्री जी बतायेंगे कि जो बढ़ा हुआ मंहगाई भत्ता इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को मिला है वही दरें और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को भी मिली हैं? यदि नहीं, तो उन्हें भी देने की कृपा करेंगे?

श्री रामस्वरूप यादव--इलाहाबाद विश्वविद्यालय की कार्यकारिणी ने भेजा था, उन्हें स्वीकृति दे दी गई। औरों के बारे में मेरे पास सूचना नहीं है।

श्री नारायणदत्त तिवारी--श्रीमन्, मेरे प्रथम प्रश्न का उत्तर नहीं मिला कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की एग्जीक्यूटिव कौन्सिल ने कितना रिकमेन्ड किया था, किस स्केल पर और कब से?

श्री रामस्वरूप यादव--जो सरकारी व्यक्तियों को मिलता है वही रेट चाहते थे, वह स्वीकार कर लिया गया है। लेकिन वह लोग पुरानी तिथि से चाहते थे। एग्जीक्यूटिव कौन्सिल ने उस हिसाब से अपनी सिफारिश नहीं भेजी थी। उसके बाद उन्होंने अपनी मांग

उठा ली थी। सरकार के लिये भी पहली जुलाई, १९६० से पहले से देना मुश्किल था। इसलिये पहली जुलाई, १९६० से ही दिया गया।

रोडवेज ड्राइवर तथा लखनऊ क्षेत्र में बसें न चलने से हानि

*४३—श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (अनुपस्थित)—क्या सरकार राज्य भर के रोडवेज के ऐसे ड्राइवरों की सूची उनकी नियुक्ति की तिथि सहित सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी जो कि १९५७ से पहले नियुक्त किये गये थे और जिन्हें १९५७ से अब तक एक भी वेतन वृद्धि नहीं मिली है?

*४४—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपर्युक्त सूची में गिनाये गये ड्राइवरों की नियुक्ति की तिथि से बाद की तिथि में नियुक्त किये गये ड्राइवरों में से Clear vacancy में नियुक्त किये गये हैं? यदि हां, तो ऐसा किस आधार पर किया गया है?

*४५—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी लखनऊ रोडवेज रीजन में कर्मचारियों को नौकरी के शर्तनामे के मसले पर हाल में जो गाड़ियां चलना बन्द हुई थीं उससे कितने रुपये की हानि हुई हैं?

डाक्टर सीताराम—वांछित सूचना एकत्र की जा रही है।

श्री मोतीलाल अवस्थी—मैं यह जानना चाहूंगा कि यह वांछित सूचना कब तक आ जायेगी। कई महीने हुये यह मांगा गई थीं और अभी तक नहीं आई, तो अभी और कितने महीने इसमें लगेंगे?

डाक्टर सीताराम—कई महीने तो नहीं हुए। थोड़े दिन हुये। लेकिन यह बहुत ब्योरे का प्रश्न है। प्रान्त में कई जिलों से इसे मांगना पड़ेगा। इसलिये इसमें समय अवश्य लगेगा। लेकिन आशा ऐसी की जाती है कि यह सूचना शीघ्रातिशीघ्र शासन को उपलब्ध हो जायगी।

श्री प्रतापसिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब शासन को सूचना प्राप्त हो जायगी तो उसके बाद कब वह आदरणीय सदन में सूचना रखेंगे?

श्री उपाध्यक्ष—यह मैंने आपको बताया कि वह १५ दिन के बाद एजेंडे पर प्रश्न रख दिये जायेंगे और उस समय तक आशा है कि माननीय मन्त्री जी सूचना मंगा लेंगे और नहीं तो आप लोग फिर अनुपूरक प्रश्न पूछ लीजियेगा।

श्री ब्रजनारायण तिवारी—क्या मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इस प्रकार का प्रश्न कई बार इस सदन में उपस्थित किया जा चुका है कि जो रोडवेज के कर्मचारी हैं, खास तौर से जो बहुत पहले से काम कर रहे हैं, उनकी नौकरी की स्थिरता के बारे में या अन्य सुविधाओं के बारे में अभी सरकार ने एक हाल में आश्वासन भी दिया था कि अभी मैनुअल तैयार किया जा रहा है, तो क्या यह सही है कि उस प्रकार का मैनुअल अब तक सरकार ने तैयार नहीं किया?

डाक्टर सीताराम—अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न से तो मैनुअल का कोई प्रश्न नहीं उठता। इस समय तो सवाल नम्बर ४३, ४४ और ४५ के बारे में प्रश्न हो सकता है।

कर्नल ईश्वरसिंह इंटर कालेज, शेखपुर बुजुर्ग का प्रबंधक कमेटी

*४६—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या यह सही है कि जिला जालौन में कर्नल ईश्वरसिंह इन्टर कालेज, शेखपुर बुजुर्ग में कोई प्रबन्धक कमेटी नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उसका कारण बताने की कृपा करेगी कि कमेटी क्यों नहीं बनाई जाती तथा भविष्य में कब तक कमेटी बना दी जायगी?

नोट—तारांकित प्रश्न ४३–४५ श्री मोतीलाल अवस्थी ने पूंछे।

*४७--क्या यह सही है कि मुख्य दानदाता संरक्षक श्री ठकुरान साहब ने जिलाधीश, जालौन को प्रार्थनापत्र दिया है कि कमेटी शीघ्र बना दी जावे ?

श्री रामस्वरूप यादव--सूचना एकत्र की जा रही है।

राजा वीरेन्द्रशाह--सूचना एकत्रित करने के लिये सरकार ने उसको स्थगित कराया था और दोबारा फिर वही हालत है। एक महीने से ऊपर हो गया। मेरी समझ में नहीं आता कि इसमें इतना विलम्ब क्यों हो रहा है ?

श्री रामस्वरूप यादव--मेरे दफ्तर ने बहुत प्रयत्न किया कि सूचना मिल जाय, लेकिन वह जिले से प्राप्त नहीं हो सकी। इस वजह से उत्तर नहीं दे सका।

श्री प्रतापसिंह--मन्त्री जी इस प्रश्न को फिर से देखने की कृपा करें। जिसमें यह लिखा है कि इस इन्टर कालेज में कोई कमेटी है कि नहीं? क्या मन्त्री जी टेलीफोन से या और किसी तरह से पूछने की कृपा करेंगे ?

श्री रामस्वरूप यादव--तार और चिट्ठियों का तो प्रयोग हो चुका है। टेलीफोन का नहीं हुआ है। जब यह उत्तर स्वीकृत होने के लिये मेरे पास आया तो मैंने स्वयं यह कहा कि विभाग के लोगों की गलती है, यह सूचना आ जानी चाहिये थी, लेकिन नहीं आ सकी।

श्री उपाध्यक्ष--ऐसे कर्मचारियों के खिलाफ कुछ सख्ती बरती जाय। सूचना इस प्रकार नहीं देंगे तो कठिनाई होगी। आम तौर पर ऐसा हो रहा है, लिहाजा सरकार के प्रत्येक माननीय मन्त्री जी जरा इस तरफ ध्यान दें।

श्री रामस्वरूप यादव--स्थानीय संस्थायें भी इसमें शामिल हैं।

श्री उपाध्यक्ष--सूचना तो आपको अपने अधिकारी से ही मिलेगी।

मद्य-निषेध क्षेत्र में सरकारी कर्मचारियों को शराब के परमिट

*४८--**श्री लक्ष्मणराव कदम** (जिला झांसी)--क्या आबकारी मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मद्य-निषेध क्षेत्र (Dry ea) के किस-किस जिले में कितने-कितने सरकारी कर्मचारी शराब के परमिट लिये हुये हैं ?

डाक्टर सीताराम--वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ ८६८ पर)

श्री लक्ष्मणराव कदम--क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि परमिट जिन-जिन लोगों को दिये गये हैं वे किन-किन पदों पर काम करते हैं और परमिट दिये जाने का क्या कारण है ?

डाक्टर सीताराम--कानपुर में जो दो परमिट दिये गये हैं वे दोनों रिटायर्ड आफिसर्स हैं और रायबरेली में जिनको परमिट दिया गया है वे डिस्ट्रिक्ट व सेशन जज हैं और सुल्तानपुर में जिनको परमिट दिया गया है भी डिस्ट्रिक्ट जज हैं। इन लोगों को स्वास्थ्य के आधार पर परमिट मेडिकल आफिसर्स द्वारा दिये गये हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल--आगरे शहर में कितने लोगों को ये परमिट दिये गये हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--उत्तर में आगरा नहीं है। यह ड्राई एरिया का प्रश्न था।

परिवहन विभाग, आजमगढ़ के विरुद्ध शिकायत

*४९—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्त्ता द्वारा २८ जुलाई, १९६० को प्रेषित कोई पत्र प्राप्त हुआ है जिसमें यह शिकायत की गई थी कि परिवहन विभाग, आजमगढ़ ने कुछ अवैध कार्य किये हैं ? यदि हां तो, उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ?

डाक्टर सीताराम—जी नहीं, कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या परिवहन मंत्री फिर से अपने कार्यालय में छानबीन करेंगे कि यह पत्र उनके कार्यालय में भेजा गया है और गोरखपुर के सामान्य प्रबन्धक ने यह सूचित किया है कि इस पर कार्यवाही करके जल्दी उत्तर देंगे ?

डाक्टर सीताराम—जी हां, माननीय सदस्य उस लेटर की कापी मुझे दे दें तो मैं अधिकारियों से उसकी जांच करा कर सूचित कर दूंगा।

बिलथरा रोड बस स्टेशन का निर्माण तथा रोडवेज कर्मचारियों की सेवा-नियमावली

*५०—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि बिलथरा रोड, जिला बलिया, मधुबन, घोसी, एवं दोहरी घाट, जिला आजमगढ़ में राजकीय रोडवेज बस स्टेशन कब तक बनेंगे ?

डाक्टर सीताराम—सियर-बिल्थरा रोड में राजकीय रोडवेज का बस स्टेशन बन रहा है। निर्माण-कार्य इस वित्तीय वर्ष में पूर्ण होने की आशा है।

मधुवन, घोसी एवं दोहरी घाट, जिला आजमगढ़ में, बस स्टेशन जमीन मिलने पर बनाया जायगा।

*५१—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या मंत्री परिवहन बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय रोडवेज कर्मचारियों की सेवा नियमावली कब तक बन जायेगी ?

डाक्टर सीताराम—कर्मचारियों की सेवा नियमावली के तैयार होने में समय लगेगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या परिवहन मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि मधुवन, घोसी और दोहरी घाट का बस स्टेशन बनाने के संबंध में अब तक सरकार की ओर से क्या कार्यवाही की गयी है ?

डाक्टर सीताराम—मधुबन में जमीन १.११७ एकड़ ५९१ रुपये में ले ली गयी है और उसके लिये कार्यवाही हो रही है। घोसी बस स्टेशन अभी तक २० रुपये मासिक किराये के मकान में स्थित है और उसके लिये ३.११३ एकड़ जमीन ले ली गयी है जिसका मूल्य २,१७९ रुपये १० नये पैसे है। इसी तरह से दोहरी घाट में भी व्यवस्था की गयी है। जमीन मिल गयी है और उस पर बस स्टेशन बनाने की जो अग्रिम कार्यवाही है वह की जा रही है।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या माननीय मंत्री बतलायेंगे कि इस विभाग की सेवा नियमावली सन् ९४७ से अब तक क्यों नहीं बनी है और नियमावली की ड्राफ्टिंग इस समय किस स्टेज पर है ?

डाक्टर सीताराम—ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट एक बिलकुल नया डिपार्टमेन्ट है। इसकी नियमावली बनाने में समय लगेगा ही। कामर्शियल डिपार्टमेन्ट होने के कारण इसकी नियमावली बहुत अंशों में जो और डिपार्टमेन्ट्स हैं उनसे भिन्न होगी, इसलिये समय लग रहा है।

श्री रामसुन्दर पांडेय---माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह परिवहन विभाग उनकी समझ से कब पुराना समझा जायगा ?

(हंसी---उत्तर नहीं दिया गया ।)

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १३ साल इस विभाग की स्थापना को हो गये हैं, तो १३ साल से अब तक जो रूल्स नहीं बनाये गये वे कब तक बन जायंगे और अब तक किन रूल्स से वहां के कर्मचारियों को गवर्न किया जाता है ?

डाक्टर सीताराम---जो गजटेड कर्मचारी हैं वे सरकार के और विभागों में जिन रूल्स के मुताबिक गजटेड अफसर गवर्न होते हैं उन्हीं के द्वारा वे भी गवर्न होते हैं और जो सबार्डिनेट काडर के कर्मचारी हैं उनसे सरकार के और विभागों में जो नियम हैं उनके मुताबिक काम लिया जाता है । लेकिन सेन्ट्रल वर्कशाप, कानपुर, ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के बारे में नियमावली बन रही है, उसमें समय लगेगा । वह कब बन कर तैयार हो जायगी, यह इस समय बताना कठिन है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतायेंगे कि ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेन्ट के कर्मचारियों की सेवा नियमावली पब्लिक सर्विस कमीशन के पास से एप्रूव होकर आ गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसे जल्दी लागू करेगी ?

डाक्टर सीताराम---पब्लिक सर्विस कमीशन से अभी नहीं आयी है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---माननीय मंत्री जी ने कहा है कि कमर्शियल विभाग होने के नाते इसमें विभिन्नतायें होंगी । तो क्या संक्षेप में वे स्पष्ट करेंगे कि किन-किन विषयों में विभिन्नता है, जिसके कारण देर लग रही है ?

डाक्टर सीताराम---ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, मेकेनिक्स, फोरमैन्स सर्विस, मैनेजर, सेन्ट्रल वर्कशाप कानपुर, ये सर्विसेज ऐसी हैं जो और डिपार्टमेन्ट्स से बिलकुल भिन्न हैं । इसीलिये उनके बारे में नियमावली बनाने में देरी हो गयी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन बस स्टेशनों को बनाने के लिये जमीन ली जाने की कार्यवाही की जा चुकी है उनका वित्तीय वर्ष में बनना प्रारम्भ हो जायगा ?

डाक्टर सीताराम---सब कार्यवाही की जा रही है, आशा तो यही की जाती है ।

अनुसूचित जातियों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व जांच समिति का प्रतिवेदन

संसदीय विषयक उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)---उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियुक्ति विभाग द्वारा प्रस्तुत अनुसूचित जातियों का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व जांच समिति के प्रतिवेदन से संबंधित पत्र विज्ञप्ति को सदन की सूचनार्थ सदन की मेज पर रखता हूं ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, यह सदन की मेज पर तो रख दिया गया, लेकिन मैं चाहूंगा कि अगर आवश्यकता पड़े तो उसके लिये आप कुछ समय निर्धारित करने की कृपा करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष---आप उसके बारे में लिखिए । उसकी महत्ता को देखते हुए सरकार से बात की जायगी ।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)---श्रीमन्, जो अभी आपने बताया, क्या उस पर कोई विवाद का भी मौका दिया जायगा ?

---

†छापा नहीं गया ।

श्री उपाध्यक्ष---अब आप लोग लिखकर आवश्यकता बतावें कि उस पर विवाद की आवश्यकता है तो उस पर भी विचार कर लिया जायगा ।

नियम ५२ के अन्तर्गत ध्यान आकर्षणार्थ प्रश्नों की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष---मेरे पास दो प्रश्न नियम ५२ के अन्तर्गत आये हैं । उनमें से मैं किसी को भी नियम ५२ के लायक नहीं समझता । उनके ऊपर अल्पसूचित तारांकित प्रश्न पूछ लिये जायं । मैं इस बात की व्यवस्था करूंगा कि माननीय मंत्रिगण जल्द से जल्द उनका जवाब दें ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---यह श्रीमन्, बड़ा आवश्यक प्रश्न था···

श्री उपाध्यक्ष---मैंने बताया कि आप उसके लिये अल्पसूचित तारांकित प्रश्न कर लें ।

बहेड़ी (जिला बरेली) चीनी मिल में मजदूरों की हड़ताल के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष---अब सर्वश्री मदन पाण्डेय तथा दुर्योधन प्रसाद द्वारा दिनांक ३ अप्रैल, १९६१ को दी गई सूचना पर बरेली जिले की बहेड़ी में स्थित चीनी मिल के मजदूरों द्वारा बोनस आदि की मांग पर मिल मालिकों तथा सरकार द्वारा ध्यान न दिये जाने के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत श्रम मंत्री वक्तव्य देंगे ।

श्रम उप मंत्री (श्री वसी नकवी)---श्रीमन्, ११ मार्च, सन् १९६१ ई० को ए० आई० टी० यू० सी० से सम्बद्ध लेबर यूनियन, बहेड़ी ने मेसर्स कैसर शुगर वर्क्स लिमिटेड, बहेड़ी, जिला बरेली के प्रबन्धकों को हड़ताल का एक नोटिस दिया जिसमें उन्होंने कहा कि यदि हड़ताल की नोटिस में दी गई उनकी २० शर्तें प्रबन्धक पूरी नहीं करेंगे तो हड़ताल की उक्त नोटिस तामील होने के १४ दिन बाद उक्त प्रतिष्ठान के श्रमिक हड़ताल कर देंगे । श्रमिक संघ की मांगें और उन पर प्रकट किये गये विचार परिशिष्ट १ में दिये गये हैं । श्रमिकों की मुख्य मांग (मांग संख्या १) १९५१-५२ के लाभांश (बोनस) के विषय में है । यह मामला सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट, इलाहाबाद के पास निर्णयार्थ भेजा है जो अभी विचाराधीन है ।

२४ मार्च, १९६१ को प्रादेशिक संराधन अधिकारी कारखाने में आये थे और सेवा-योजकों तथा संबंधित श्रमिक संघ के प्रतिनिधियों से मिलकर इस मामले में समझौता कराने का प्रयत्न किया था । पहले तो दोनों पक्षों ने निम्नलिखित शर्तें मान लीं परन्तु बाद में श्रमिक संघ के सभापति ने राजीनामे पर हस्ताक्षर नहीं किया ।

(१) दोनों पक्षों को स्वीकार है कि प्रादेशिक संराधन अधिकारी, बरेली हड़ताल की नोटिस में दी गई मांग संख्या १ और १५ को छोड़कर अन्य मांगों की जांच करके उन पर अपने जो विचार प्रकट करेंगे उससे दोनों पक्ष बाध्य होंगे ।

(२) मांग संख्या १ और १५ प्रबन्धकों के सद्बिचार पर छोड़ दी गई ।

(३) अतः श्रमिक संघ प्रबन्धकों को दी गई हड़ताल की अपनी उक्त नोटिस वापस लेता है ।

(४) श्रमिक संघ प्रतिष्ठान के सुचारु रूप से चलने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करेगा ।

(५) आज तक के पारस्परिक समस्त मतभेदों को दूर करने के लिये एक पक्ष दूसरे को धन्यवाद देता है ।

[श्री वसी नकवी]

२८ मार्च, १९६१ ई० को ११ बजे रात को श्रमिकों ने सहसा काम बन्द कर दिया। लगभग २०० श्रमिकों ने मिल के फाटक पर एकत्र होकर हर किसी को कारखाने के अन्दर जाने से रोका। प्रादेशिक संराधन अधिकारी तथा श्रम निरीक्षक भी, जो २९-३-६१ को ८ १/२ बजे प्रातः कारखाने गये थे, रोके गये और कारखाने के अन्दर नहीं जाने दिये गये। २९ मार्च, १९६१ ई० को परगना अधिकारी, बहेड़ी भी कारखाने गये थे। सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस तथा अन्य जिला अधिकारियों द्वारा राय दिये जाने पर ३० मार्च, १९६१ ई० की रात को श्रमिक कारखाने के फाटक से हट गये और तभी फैक्टरी मैनेजर कुछ क्लर्कों के साथ कारखाने के अन्दर जा सके। श्रमिक संघ के नेताओं ने मिल के फाटक पर सभाएं कीं।

३१ मार्च, १९६१ ई० को आई० एन० टी० यू० सी० से सम्बद्ध राष्ट्रीय कैसर मजदूर संघ, बहेड़ी के पदाधिकारियों ने, जो हड़ताल के पक्ष में नहीं थे, अपने सदस्य श्रमिकों को काम पर पर जाने के लिये समझाया जिसके फलस्वरूप प्रातः ८ बजे प्रारम्भ होने वाली पाली में २०० श्रमिक काम पर आये और २ बजे अपराह्न से प्रारम्भ होने वाली दूसरी पाली में श्रमिकों की उपस्थिति संख्या बढ़कर ५१० तक पहुंच गई। अन्य श्रमिक संघ अर्थात् लेबर यूनियन, बहेड़ी के पदाधिकारी यही प्रचार करते रहे और श्रमिकों को राय देते रहे कि वे काम पर न जायं परन्तु राष्ट्रीय कैसर मजदूर संघ, बहेड़ी के पदाधिकारी श्रमिकों को काम पर जाने के लिये प्रेरित करते रहे। १ अप्रैल, १९६१ ई० को जब लेबर यूनियन बहेड़ी के सदस्य श्रमिकों ने, जिनकी संख्या २५० थी, प्रातःकाल की पाली के समय मिल के फाटक पर एकत्र होकर ड्यूटी पर जाने वाले श्रमिकों को रोकना प्रारम्भ किया तो जिला अधिकारियों ने पांच बजे शाम को धारा १४४ दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन आदेश लागू किया। इस आदेश का उल्लंघन करने पर ५ व्यक्ति, जिनमें दो श्रमिक भी सम्मिलित हैं, गिरफ्तार किये गये।

२ अप्रैल, १९६१ ई० को ८ बजे प्रातः प्रारम्भ होने वाली पाली में श्रमिक शांतिपूर्वक मिल के अन्दर आये और कारखाने में श्रमिकों की उपस्थिति पूर्णतया संतोषजनक थी। शाम की पाली में कुल २८१ श्रमिकों में २४७ श्रमिक अपने काम पर उपस्थित थे। पेराई के काम की स्थिति अत्यन्त संतोषजनक थी और मिल का काम भी शांतिपूर्वक चलता रहा और उस समय तक हड़ताल का जोर कम पड़ गया था।

२ अप्रैल, १९६१ ई० की शाम को लेबर यूनियन की उपसमिति ने प्रबन्धकों के नाम एक पत्र भेजकर अपनी हड़ताल की नोटिस वापस ले ली। ३ अप्रैल, १९६१ ई० को समस्त श्रमिक काम पर आये। इस समय कारखाने में सुचारुरूप से काम चल रहा है। लेबर यूनियन बहेड़ी की हड़ताल नोटिस संयुक्त प्रांतीय औद्योगिक झगड़ों का ऐक्ट, सन् १९४७ की धारा ६(घ) के उपबन्धों के अनुकूल नहीं है और चूंकि उक्त ऐक्ट की धारा ६(घ) के विरुद्ध हड़ताल हुई, इसलिये उक्त एक्ट की धारा ६(न) के उपबन्धों के अनुसार वह हड़ताल अवैधानिक है।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)—क्या माननीय मंत्री को ज्ञात है कि जिस कथित समझौते का उल्लेख किया गया है आर०सी० ओ० की मौजूदगी में २४ मार्च को, उसमें १ और १५ वीं मांग को मालिक की मर्जी पर छोड़ने का फैसला उस वार्ता के अनुसार होता अगर श्रमिक लोग उसको मंजूर कर लेते? उसके संबंध में क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि सन् ५२ में लेबर कमिश्नर ने एक पत्र लिखा था जिसकी कापी इसमें मौजूद है, मैं उनको नम्बर बतला दूंगा, जिसमें उन्होंने स्पष्ट लिखा था कि जितनी चीनी बनी थी उसके हिसाब से ८ आने मन के हिसाब से मिलना चाहिये था; लेकिन जो खामी बतलायी थी उसके लिये दो आने मन के हिसाब से कटौती करके उनको दिया जाना चाहिए था; उसके सम्बन्ध में हाईकोर्ट में एक अपील कर रखी थी और उसके बाद सुप्रीमकोर्ट जाना पड़ा और इस

फैसले को अपहोल्ड किया गया। फिर कुछ बात हाईकोर्ट को रेफर की गयी थी। तो क्यों उस मामले को मिल मालिकों की मर्जी पर छोड़ा जाना मुनासिब समझा गया और नहीं तो मजदूरों द्वारा उस समझौते का न माना जाना उचित न होता ?

श्री उपाध्यक्ष---यह तो राय का सवाल है ।

आचार्य दीपंकर (जिला नैनीताल)---स्ट्राइक का नोटिस दिये जाने के बाद और हड़ताल शुरू होने के पहले सरकार ने कंसीलियेशन प्रोसीडिंग्स चलाने के लिये किसी अधिकारी को क्या वहां नियुक्त किया ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)---यह तो बयान में बतलाया गया। जो आर० सी० ओ० २४ तारीख को वहां थे वे लगातार वहां रहे और उन्होंने समझौता कराने की कोशिश की।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार कि ६ आने के हिसाब से बोनस दिया जाय, कार्य न करके उसे दूसरे को फिर क्यों सौंपा गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---सुप्रीम कोर्ट ने वह सारी बातें हाईकोर्ट को रेफर की हैं। सबजुडिस मैटर है और जब तक हाईकोर्ट का फैसला न आ जाय, कुछ नहीं किया जा सकता ।

श्री मदन पांडेय---१ लाख ९५ हजार जो उस साल के बोनस का निकलता उस फैसले के मुताबिक, उसमें से १ लाख रुपया मिल मालिकों के पास मौजूद है और जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है उस मामले में और उसे हाईकोर्ट में भेजा है, उसके अनुसार स्पष्ट है कि लेबर कमिश्नर का आर्डर अपहोल्ड किया गया है तो किन कारणों से यह फैसला मिल मालिकों की मर्जी पर छोड़ा गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---आप जो राय रखते हैं, हमारे पास लीगल राय वह नहीं है ।

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---हड़ताल की नोटिस में १४ दिन का नोटिस कानून के अनुसार दिया गया था ? यदि हां, तो वह अवैधानिक कैसे घोषित की गयी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---अवैधानिक इसलिये है कि उसमें तारीख मुकर्रर नहीं की गयी थी।

श्री नारायणदत्त तिवारी---क्या माननीय मंत्री जी के पास उस नोटिस की कापी है ? यदि हां, तो क्या संबंधित उद्धरण को वे पढ़ने की कृपा करेंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी---उसकी कापी इस समय मेरे पास नहीं है, लेकिन उसमें ११ तारीख को १४ दिन का नोटिस बतलाया है। नियम है कि उनको तारीख बतलाना चाहिये थी।

श्री बाबूराम (जिला बरेली)---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिन दिनों फैक्ट्री बन्द थी उन दिनों काश्तकारों का जो गन्ना खेतों में सूखता रहा, उसमें कितने का नुकसान हुआ और क्या उस नुकसान को सरकार काश्तकारों को देने की कृपा करेगी ?

श्री उपाध्यक्ष---यह तो आप उद्योग मंत्री से पूछिये।

आचार्य द्रीपंकर--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जो मजदूर नेता गिरफ्तार किये गये हैं उन्होंने उस अवसर पर शांतिपूर्वक धरना देने के अलावा भी कोई अहिन्सात्मक कार्यवाही की थी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--मेरे पास और कोई सूचना नहीं है सिवाय इसके कि जो सेक्शन १४४ था, उसको उन्होंने भंग किया था।

श्री मदन पांडेय--आज सबेरे भी मजदूर यूनियन के प्रेसीडेंट और कुछ लोग उनसे मिले थे और यदि मिले थे तो उन्होंने क्या निवेदन किया और उनको क्या आश्वासन दिया गया ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--माननीय सदस्य को अच्छी तरह उसकी जानकारी है क्योंकि उनके साथ वे खुद भी थे, वे ही उनको लाये थे। (हंसी)

श्री प्रतापसिंह--क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब मजदूरों ने १४ दिन पूर्व नोटिस दिया था कि हम अपनी वैधानिक मांगों को लेकर हड़ताल करेंगे तो सरकार ने उस हड़ताल को रोकने के लिये प्रयत्न क्यों नहीं किया और मजदूरों और मालिकों के संबंध में समन्वय कराने की कोशिश क्यों नहीं की ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--इसका पूरा जवाब जो अभी बयान दिया है उसमें दिया गया है। आर०सी० ओ० ने जाकर पूरी कोशिश की, मगर बाद में जो यूनियन का प्रेसीडेंट था वह मुकर गया।

श्री नत्थूसिंह (जिला बरेली)--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो पांच सज्जन गिरफ्तार हुये हैं वे किस पार्टी के हैं और क्या नाम हैं ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--यह मैं नहीं बता सकती, मुझे मालूम नहीं है। वे यूनियन के मेम्बर हैं।

श्री प्रतापसिंह--क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उसको इस बात का पता कब चला कि मजदूर अपनी वैधानिक मांगों को लेकर हड़ताल करने वाले हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--यह बयान में दिया गया है।

आचार्य दीपंकर--माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में यह बात कही कि जिस वक्त हड़ताल हुई, आई० एन० टी० यू० सी० के मेम्बर मिल में जाकर काम करना चाहते थे, तो मैं यह जानना चाहता हूं कि उनका हड़ताल कराने के अलावा कुछ और काम भी है ?

श्री उपाध्यक्ष--अब यह समाप्त किया जाता है।

१९६१-६२ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--अनुदान संख्या ४९--सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर पूंजीगत लागत

श्री उपाध्यक्ष--माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री, आप कृपया पहले अनुदान संख्या ४९ उपस्थित कर दें, मैं उस पर राय ले लूंगा। उसके बाद आप तीनों अनुदान एक साथ पेश कर दें।

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ४९--सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर १२,७१,२२,९०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१-६२ के लिये स्वीकार की जाय।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या ४९—सार्वजनिक निर्माण-कार्यों पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर १२,७१,२२,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनुदान संख्या ३३-सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं, अनुदान संख्या ३४—संचार साधनों का सुधार तथा अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान

श्री गिरधारीलाल—उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३—सार्वजनिक निर्माण-कार्य जो राजस्व से पूरे किये जाते हैं के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर ५,६२,८०,३०० रुपये की मांग वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४—संचार साधनों का सुधार के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़ कर ६१,४५,९०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

मैं श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५—सार्वजनिक निर्माण-कार्य अधिष्ठान के अन्तर्गत लेखानुदान द्वारा स्वीकृत अनुदान को छोड़कर ९९,४४,८०० रुपये की मांग, वित्तीय वर्ष १९६१–६२ के लिये स्वीकार की जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, इस वक्त मैं इन अनुदानों के सिलसिले में कोई विशेष बात नहीं कहूंगा, क्योंकि जो साहित्य है उसको सभी माननीय सदस्यों ने अच्छी तरह पढ़ लिया होगा। माननीय सदस्यों की बातें सुनने के बाद, जो आवश्यक होगा, मैं उसको कहूंगा और उस समय अपने विचार उनके सामने रखूंगा। इस समय मैं कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३३ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है—

विभागीय भ्रष्टाचार व अदूरदर्शी नीति पर चर्चा करना।

श्रीमन्....

श्री उपाध्यक्ष—आप तीनों ग्रान्टों में कटौती का प्रस्ताव कर दीजिये।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट—आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३४ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्य—नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है—

विभागीय भ्रष्टाचार व कार्यों की खराबी की चर्चा करना।

आपकी आज्ञा से मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या ३५ के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय।

कमी करने का उद्देश्यय—नीति का ब्यौरा जिस पर चर्चा करने का अभिप्राय है—

सड़कों के निर्माण में पक्षपातपूर्ण व गलत नीति के अपनाने पर चर्चा करना।

श्रीमन्, यह ग्रान्ट्स दो दिन की हैं। मैं जानना चाहता हूं कि मुझे कितनी देर बोलने को मिलेगा ?

श्री उपाध्यक्ष--आप २५ मिनट बोलिये।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--३० मिनट दे दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष--आपने ३० मिनट कहा है तो ३० मिनट ही दे दूंगा।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट--श्रीमन्, मनुष्य का इतिहास जैसा कि हम देखते आये हैं जब मनुष्य पहले पैदा हुआ तो वह जंगलों में रहा करता था और उसका काम आखेट करना था। उसी से वह जीविकोपार्जन करता था। उस समय भी उसे जंगल में ट्रैक्स बनाने पड़ते थे। धीरे-धीरे जैसे सभ्यता बढ़ी, मनुष्य को लगा कि किसी तरह के यातायात के साधन होने चाहिये। पाश्चात्य मुल्कों में सड़कों का सूत्रपात करीब ३०० ए० डी० में मिलता है और अगर हम अपने यहां देखें तो ढाई तीन हजार वर्ष पूर्व की सड़कें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा में निकली हैं। इतनी पुरानी हमारी सभ्यता थी। आज भी उसके अवशेष मौजूद हैं। इस तरह से धीरे-धीरे सड़कों का आविर्भाव हुआ। ज्यों-ज्यों मनुष्य आगे बढ़ने लगे उनको लगा कि बिना सड़कों के हमारा काम नहीं चल सकता। पहले खास कर सेना तो पैदल ही चला करती थी। भारतवर्ष में सेना में रथ, हाथी वगैरह का इस्तेमाल होता था। महाभारत काल में जब रथ चलते थे तो सड़कें अवश्य रही होंगी। ब्रिटेन वगैरह में तो रोमन्स के जाने के बाद सड़कें बननी शुरू हुईं, यह निर्विवाद है। जूलियस सीजर के जमाने में ब्रिटेन में लोग अर्द्धनग्नावस्था में रहते थे और उस समय हमारे यहां हजारों मील सड़कें थीं और आज जब हम अपने यहां देखते हैं तो इंगलैण्ड के मुकाबले में बिलकुल उलटी बातें ही दिखाई देती हैं।

किसी भी ग्राम या नगर की तरक्की तब तक नहीं हो सकती जब तक कि सड़कें न हों। सड़कों के कारण ही मंडियां बसती हैं और शिक्षा का आदान-प्रदान होता है। एक गांव के बच्चे जिसमें कि शिक्षा की व्यवस्था न हो, सड़कों के कारण दूसरी जगह शिक्षा ग्रहण करने जा सकते हैं। उद्योग भी बिना सड़कों के नहीं चल सकते। कहने का मतलब यह कि हर एक चीज के लिये यातायात की आवश्यकता है। इसके अलावा, श्रीमन्, भारतवर्ष में इस समय सुरक्षा का प्रश्न हमारे सामने उपस्थित है जिसके लिये बहुत अच्छी सड़कों की आवश्यकता है। यह मानी हुई बात है कि जिस देश के पास मीन्स आफ ट्रान्सपोर्ट अच्छे होंगे वह दुश्मन पर हावी रहेगा। वैसे मीन्स आफ ट्रान्सपोर्ट में एयरवेज और वाटरवेज भी आते हैं लेकिन सड़कों पर मनुष्य पैदल भी चलते हैं। पाश्चात्य देशों में रेलवे के मुकाबले में सड़कों की तरफ रेल चलने के बाद कम ध्यान गया। अपने यहां भी कुछ कमी हुई लेकिन रोडवेज में मोटर से जो हमारी सड़कों पर यातायात होता है उससे जनता को ज्यादा फायदा है, क्योंकि कोई भी माल या कोई आदमी, असबाब हम उसके डेस्टिनेशन पर छोड़ सकते हैं। रेल हर जगह नहीं जा सकती है। विदेशों में अब सड़क परिवहन पर जोर दिया गया है।

अब इंगलैन्ड के मुकाबले में डिस्पेरिटी देखें। इंगलैन्ड में पहले यह था कि जो वहां पर सामान १९५२ में ले जाते थे वह ४३ परसेंट रेल से और ४७ परसेंट सड़क से, लेकिन १९५८ की हालत वहां यह है कि तीन चौथाई हिस्सा टोटल टनेज का रोडवेज से जाने लगा है। १९,००० मील लम्बी जहां रेल की पटरी बिछी है वहां ९०,००० मील इतने छोटे से ब्रिटिश टापू में सड़कें बनी हुई हैं। यही हाल सब जगह सभ्य कहे जाने वाले देशों में, अमरीका वगैरह में है और वहां रेल और रोडवेज का कम्पेटीशन चल रहा है। मौजूदा जमाने में Road Traffic और Transport cheaper और Easier ईजियर पड़ रहा है।

अपने यहां खास कर देखते हैं कि कोयले का यातायात अक्सर कम हो जाता है। रेलें उतने Wagons नहीं दे सकतीं। पेट्रोल हमारे यहां नहीं है। भगवान न करे यदि हमें लड़ना पड़े तो बाहर से पेट्रोल की सप्लाई खत्म हो जायगी, लेकिन उसके लिये हमारे यहां गन्ने से अल्कोहल बनता है, उससे उसका सबस्टीयूट कर सकते हैं, ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम अपनी सड़कों को बढ़ायें और Vehicles बढ़ायें जिससे

यह कोयले का जो Bottleneck हो जाता है वह खत्म हो जाय। फिर सीधे झरिया रानीगंज से कोयला रोड ट्रांसपोर्ट से आसानी से हर जगह पहुंच सकता है। इसलिये सड़कों का बनना और बढ़ाना आवश्यक है।

जब प्रश्न ऐसा है तो उसमें हमें देखना होता है कि हम सड़कों के लिये क्या रहे हैं? अगर हम मौजूदा हालत देखें तो हमें पता लगेगा कि कितने पिछड़े हुए हम लोग हैं? इस पुस्तिका में पढ़ने से मालूम हो जाता है। इसमें माइलेज़ सड़कों का १०० वर्ग मील के एरिया में कितना बना है वह दिखाया गया है। बंगाल में १६·७१ मील, मद्रास में ३०·२५ मील, दिल्ली में ४८,३६ मील, आंध्र में १३·६८ मील, मैसूर में १५.४९ मील और उत्तर प्रदेश में ११·८८ मील है। लेकिन मंत्री जी ने और जगह के आकड़े तो १९५७ के दिये हैं और अपने यहां के १९६० के यानी अपनी deficiency को कवर करने की कोशिश की गयी है। या फिर यहां के आंकड़े faulty थे या प्राप्त नहीं थे। दोनों तरफ से argument दिया जा सकता है तो जब ऐसी हालत हमारे यहां सड़कों की है तो बहुत जोर लगाने की जरूरत है।

हमारे यहां जो इंजीनियर्स हैं और अन्य जिम्मेदार व्यक्ति हैं वह बराबर विचार करते रहते हैं। नागपुर रोड कांग्रेस जो हुई थी, उसके हिसाब से साढ़े सोलह हजार मील १० साल में पक्की सड़कें हो जानी चाहिये थीं, लेकिन उस टार्गेट को हम achieve नहीं कर सके। बल्कि १९६० की figures अगर देखें तो १३,४४४ मील सड़कें बनायी जा सकीं जिससे हमारा सार्वजनिक निर्माण विभाग उम्मीद करता है कि हम १४,००० मील १९६१ के आखिर में खींच ले जायंगे। पता नहीं कितना achievement उनका हुआ। ढाई हजार मील का नागपुर प्लान के अनुसार deficit है।

दूसरा प्रयास यह हुआ कि हमारे राष्ट्रपति राजेन्द्र प्रसाद जी के सभापत्वि में बाईसवीं रोड़ कांग्रेस हुई, उसमें बड़ी खुशी की बात है कि इस प्रदेश के तत्कालीन के मुख्य अभियन्ता सदारत कर रहे थे। तो उसमें यह asses किया गया कि कितनी सड़कें और कैसी होनी चाहिये और यह निर्धारित किया गया कि हर एक गांव से कोई पक्की सड़क ३ मील और कच्ची सड़क डेढ़ मील से ज्यादा दूर न हो। नंबर दो—मैदान के इलाके में २ हजार से ज्यादा की आबादी वाले जो गांवों में, आधे मैदान और आधे पहाड़ी क्षेत्र, जैसे बुन्देलखंड में १ हजार की आबादी वाले गावों में तथा पर्वतीय इलाकों में ५०० की आबादी वाले गांवों में पक्की सड़क होनी चाहिये और वे पक्की सड़क से जोड़ दिये जाने चाहिये। अगर हम चाहते हैं कि पंचवर्षीय योजना को सफलतापूर्वक आगे बढ़ायें तो हमें अपनी सड़कों को तेजी से बढ़ाना होगा।

हम देखते हैं कि दूसरे विभागों को अधिक रुपया दिया जाता है और बहुत से विभाग तो ऐसे हैं कि उस रुपये में से आधा रुपया तो लैप्स हो जाता है। आप उद्योग और शिक्षा को तरक्की देना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन यदि हम उतना खर्च नहीं कर सकते जितना उन्हें दिया जाता तो उस रुपये को रखने से क्या लाभ? उसके लिये तो आप कह देते हैं कि Foreign Exchange नहीं मिलता है लेकिन सड़क के लिये जिन साधनों और वस्तुओं की आवश्यकता होती है वे सब वहीं मिल जाती हैं। जहां तक काम करने वालों का संबंध है उनकी तो यहां कमी है ही नहीं। बल्कि बहुत से ऐसे लोग रह जाते हैं जिनको कोई काम नहीं मिलता है। ऐसी स्थिति में आपको ज्यादा सड़कें बनानी चाहिये। इससे आपके उद्योगों में भी मदद मिलेगी।

लेकिन जब मैं बजट की फिगर्स को देखता हूं तो दुःख होता है। बल्कि जो रुपया इस विभाग को दिया जाता है उसको भी बाद में काट दिया जाता है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में ५२२ लाख रुपया इस विभाग को दिया गया था और इस विभाग ने खर्च किया ५३९ लाख रुपया यानी १७ लाख एक्सेस खर्च कर दिया। एक पाई भी नहीं बचाई। उनको जो काम सौंपा गया था उन्होंने उससे भी अधिक करके दिखा दिया।

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

दूसरी पंचवर्षीय योजना में पी० डब्ल्यू० डी० को १६१२ लाख रुपया दिया गया जिसमें से उसने १,५१६ लाख रुपया व्यय किया, ९६ लाख शेष रह गया।

अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में ढ़ाई हजार मील द्वितीय पंचवर्षीय योजना की सड़कें बननी हैं, उसको पूरा करना है तथा स्टार एण्ड ग्रिड फार्मूले के हिसाब से जो और सड़कें इस बीच में बननी चाहिये, वह बननी हैं। राजेन्द्र प्रसाद जी के सभापतित्व में जो रोड कांग्रेस हुई उसके मुताबिक ५,७०० माइल सड़क बनानी थी। लेकिन इतना सब कुछ होते हुये यहां उल्टा ही हुआ। वह क्या? तृतीय पंचवर्षीय योजना में ३७,४१,००,००० रुपये का केपीटल आउट ले पी० डब्ल्यू० डी० के लिये रक्खा गया लेकिन उसको काट कर २८ करोड़ रुपया कर दिया गया। इसमें ११ करोड़ द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अधूरे कामों को पूरा करने के लिये रखा गया और १७ करोड़ नये कामों के लिये रक्खा गया। बड़े दुःख के साथ कहना पड़ता है कि हमेशा इसी विभाग में सबसे अधिक कटौती होती है क्योंकि इसी विभाग में जोड़-तोड़ होते रहते हैं। यह विभाग टूटा, सड़क टूटी, कोई इस विभाग की तरफ से लड़ने वाला ही नहीं है। अब इसमें केवल १७ करोड़ रुपया ही रह गया है जिसमें से केवल ७ करोड़ की ही नई योजनायें हैं। अब इंजीनियर लोग क्या करें? जब हम उनसे कहते हैं कि हमारी सड़क क्यों कट गई तो कहते हैं कि हमारे पास रुपया ही कहां है? मैं तो मंत्री जी से कहूंगा कि अगर वे देश का निर्माण करना चाहते हैं तो सार्वजनिक निर्माण विभाग को अधिक रुपया दें।

जहां तक सड़कों के रख रखाव और सुधार का सवाल है, शायद आज तक, प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का टार्गेट २,८०० मील का था लेकिन अफसोस है कि तृतीय पंचवर्षीय योजना में इस आइटम के लिये केवल १,२०० मील का टार्गेट ही रखा गया है। इस तरह से मालूम होता है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में यह ८०० मील ही रह जायगा। तो यह हमारी प्रगति हुई या दुर्गति हुई, यह क्या है? कहा तो यह जाता है कि हर क्षेत्र में हम टार्गेट से आगे बढ़ गये हैं लेकिन यहां देखने से मालूम होता है कि हम धीरे-धीरे पीछे की ओर ही जा रहे हैं।

नागपुर प्लान के अनुसार जो टार्गेट निश्चित हुआ था, आज देश के ज्यादा से ज्यादा प्रान्त उससे आगे बढ़ गये हैं और वहां एडिशनल माइलेज हो गया है लेकिन उत्तर प्रदेश जो, अपने को सारे हिन्दुस्तान की नाक कहता है, उसकी नाक कट गई है और एवरेज घटता ही गया है। हमारे यहां के मुख्य अभियन्ता ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है "कि यह बड़े खेद की बात है कि इस राज्य में तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक भी हम स्टार एण्ड ग्रिड फार्मूले के अनुसार उस लक्ष्य को भी नहीं प्राप्त कर सकेंगे जो दूसरे राज्य सन् ६१ तक प्राप्त कर लेंगे। इसलिये शासन को सड़क निर्माण के लिये अधिक ध्यान देने के प्रश्न पर विचार करना है।" इस तरीके से उन्होंने कहा।

अब हम थोड़ा सा दूसरे पहलू पर भी विचार करें तो ठीक है। मुझे इस विभाग से मुख्य शिकायत यह है कि जो उनका स्टाफ है वह अधिक संख्या में मुस्तकिल नहीं है। यह सोचने की बात है कि अगर स्टाफ से तुष्ट नहीं रहेगा तो लामुहाला काम में ढ़िलाई होगी। भले ही क्लर्क डेस्क पर बैठा रहेगा लेकिन जब वह देखता है कि १२-१४ वर्ष नौकरी करते रहने के बाद भी वह मुस्तकिल नहीं हुआ है तो काम करने में उसका मन नहीं लगेगा। और इस तरह से काम का जितना output होना चाहिये उसका आधा भी नहीं निकलेगा। सुनने में आया है कि एक (G. O.) निकला है कि दो तिहाई आदमियों को मुस्तकिल कर दिया जाय। इस सिलसिले में इस साल भी मैंने तथा अन्य माननीय सदस्यों ने चाहे वे इधर के बैठने वाले हों या उधर के, सरकार से कई बार कहा और इसका प्रपोजल भी बना लेकिन पता नहीं उस योजना का क्या हुआ? बार-बार इस अदरणीय सदन में कहा कहा जा चुका है कि इस विभाग में ऐसे लोग मौजूद हैं जिनके रिटायर हो जाने का मौका आ गया, पेन्शन का मौका आ गया लेकिन उनको (Confirm) नहीं किया गया। आखिर यह सब क्यों है? शायद यह कहा

जाय कि उनमें योग्यता की कमी है या वे उपयुक्त आदमी नहीं हैं। लेकिन अगर वे उपयुक्त नहीं हैं तो मेरा सरकार के ऊपर चार्ज है कि ऐसे inefficient लोगों को अब तक डिपार्टमेंट में क्यों रखा गया तथा एक साल, दो साल या तीन साल का मौका देने के बाद ही फौरन उनको क्यों नहीं निकाल दिया गया? बारह-बारह साल तक इस तरह के inefficient आदमियों को पी० डब्ल्यू० डी० हेडक्वार्टर में, तथा चीफ इंजीनियर के दफ्तर में रखना और बाद में यह कहना कि ये योग्य नहीं थे इसलिये इनको confirm नहीं किया गया, यह बड़े अफसोस की बात है। क्या सरकार ने इसे खैराती अस्पताल या धर्मशाला समझ लिया है कि जब जिसको चाहा रख लिया?

दूसरी बात जो दुःख की है वह यह कि इस विभाग के अन्तर्गत करीब २५ हजार कुली काम करते हैं जिनको माननीय मंत्री जी ने gang का नाम दिया है। श्रीमन्, gang वाले याने gangster कौन कहे जा रहे हैं? जो हड्डी तोड़ कर, खून पसीना एक कर सुबह से शाम तक काम करे वह तो Gang का आदमी हुआ और जो उसकी कमाई को खर्च करे वह ईमानदार, तो सरकार ऐसी मान्यता श्रमिक को देती है। तो ५० आदमियों का गेंग होता था....मंत्री जी क्या कुछ कह रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष---क्या कहना चाहते हैं, कहें?

श्री गिरधारीलाल---मैं यह कह रहा था कि 'गेंग' के माने जैसे हम हैं वैसे ही हमें लगाने चाहिये। 'गेंग' के माने 'दल' के हैं और दल सब किस्म का हो सकता है।

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---ठीक है, एक अन्धे से किसी ने पूछा कि एक और एक कितने होते हैं तो उसने कहा कि दो आंखें और फिर किसी ने किसी भूखे से पूछा कि एक और एक कितने होते हैं तो उसने कहा कि दो रोटी। तो इसी तरह से मंत्री जी ने भी गेंग के विषय में अपने अर्थ बता दिये। तो यह तो उन्होंने अपने दल की बात बताई है। मेरे कहने का मतलब यह है कि मंत्री जी उनका नाम कुछ भला सा रखते तो ठीक होता।

मैं माननीय मंत्रीजी से बड़े नम्र शब्दों में निवेदन करूंगा कि वह गरीब लोग जो बिलकुल नीचे स्तर के कर्मचारी हैं और जो दिन भर काम करते हैं, जिनको एक्सप्लायट किया जाता है, उनके फर्जी मस्टर रोल्स बनाये जाते हैं, रोज उनको सस्पेंड किया जाता है, रोज निकाला जाता है और फिर भर्ती किया जाता है। एक दो बार तो ऐसा हुआ कि यहां मस्टर रोल में नाम मौजूद है और उस नाम का आदमी ही वहां मौजूद नहीं है, वह पलटन में गया हुआ है लेकिन टेस्ट वर्क पर उसका नाम मौजूद है। वह आदमी जो वहां काम करते हैं इस विभाग का उसको वेतन या मजूरी मिलती रही तो मैं यहां नहीं कहना चाहता क्योंकि वह इतना हास्यास्पद है कि कहने से लाभ नहीं होगा लेकिन कहा जाता है उसके लिये मंहगाई और वेतन दिया जाता है, जो दिया जाता है वह भी एक तमाशा है। यहां तक है कि अगर कुछ लोगों को स्थायी किया भी गया तो उनको जो वेतन टेम्पोरेरी रहने पर मिलता था उससे भी कम कर दिया गया है और इस तरह से उनकी तरक्की की जगह और तनज्जुली की गई। उन गरीबों की एक बड़ी शिकायत है कि इन गरीबों को जो कुछ मिलता है वह तो है ही लेकिन उनसे जो ओवरसियर से लेकर बड़े इंजीनियर की जो बेकार ली जाती है उसकी भी कोई हद नहीं है, वह बेचारे बोझ ढोते-ढोते मर जाते हैं और उन को पुरखे याद आ जाते हैं। अस्कोट से अल्मोड़ा ७०-९० मील की दूरी पर है लेकिन वह गरीब इतने लम्बे फासले पर पैदल बोझा लेकर चलते हैं और ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि वह लोग बेगार में लगाये रखे जाते हैं और मस्टर रोल में उन की हाजिरी लगी रहती है। मैं चाहता हूं कि इन गरीब मजदूरों को स्थायी किया जाय और उनसे बेगार न ली जाय।

पी० डब्ल्यू० डी० के बारे में कहा जाता है कि वह तो हमेशा बढ़ने वाला डिपार्टमेंट है, भगवान की कृपा से विभाग की पुस्तिका में कागज चिपकाने के लिये और नाम लिखने के लिये भी बहुत

[श्री गोविन्दसिंह विष्ट]

काम हो रहा है और विभाग की जन्मपत्री भी बढ़ती जा रही है। पहले एक चीफ इंजीनियर थे तो अब होड़ सी लगती जा रही है कि जब सिंचाई विभाग में ३ चीफ इंजीनियर हैं तो पी० डब्ल्यू० डी० में कम से कम २ हों क्यों न हों ?

एक नई जगह एडीशनल चीफ इंजीनियर की बनाई गई है और उसके लिये जो कारण दिये गये हैं उनके विषय में तो बाद में बताऊंगा लेकिन मैं कह सकता हूं कि अब तो इंजीनियरों की एक पल्टन सी हो गई है और ओवरसियरों का तो क्या कहा जाय उनकी तो न मालूम एक एक जगह पर कितनी पल्टनें हो गयी हैं। यानी विभाग का काम दिनों दिन बढ़ता जा रहा है क्योंकि उनका लक्ष्य है कि हर गांव से ३ मील पर एक पक्की सड़क होगी और डेढ़ मील पर एक कच्ची सड़क जरूर होगी। यह टार्गेट काफी ऊंचे हैं, बात बहुत अच्छी है। इस हिसाब से सौ साल तक इस विभाग में कोई कमी इस पल्टन में न होगी। जब यह हालत है तो क्या कारण है कि इन गरीब मजदूर और मेटों को स्थायी नहीं किया जाता ? उन गरीबों को यह पता ही नहीं रहता कि उनको कब निकाला जायगा और कब भर्ती किया जायगा। फर्जी मस्टर रोल्स उनके भरे जाते हैं और एक बार जब एक सेट काम कर चुकता है तो उसको निकाल कर दूसरा सेट रख लिया जाता है। नतीजा यह होता है कि उन बेचारे गरीबों को खुशामद करना होती है, साहब की और मेम साहब तक की खिदमत करके, बोझा ढो कर खुश करना होता है, उनको तो ऊपर से लेकर नीचे ओवरसियर तक के बिस्तर ढोने पड़ते हैं। तो इसमें एफीशियेंसी सड़क बनाने में नहीं देखी जाती, घर के काम में देखी जाती है। इसका विरोध होना चाहिये। इस विभाग की शोहरत सर्वविदित है। माननीय गोविन्दसहाय जी कहते हैं कि यह plunder without danger वाला है यानी लूटो भी और भय भी नहीं। यह मैं नहीं कहता, कांग्रेस के प्रमुख सदस्य गोविन्दसहाय जी कहते हैं, वह शायद मिनिस्टर भी होने वाले हैं। विचित्र-नारायण जी जब पी० डब्ल्यू० डी० के मिनिस्टर थे तो बागेश्वर में उनकी स्पीच हुई। श्रमदान की महत्ता उन्होंने गांव वालों को समझाई, कि श्रमदान करो उससे रुपया मिलेगा, सस्ता काम होगा और अगर कहीं पी० डब्ल्यू० डी० से वही काम कराओगे तो रुपया खर्च होगा और दो आने का काम होगा। यह मंत्री जी का असेसमेंट है। मैंने अपने कानों से इनकी स्पीच सुनी थी।

ओवरसियर की तरक्की होनी चाहिये, खुशी की बात है। लेकिन घूसखोरी पहले इंजीनियरों में बहुत कम मिलती थी। बड़े इंजीनियरों में तो कतई नहीं और छोटे इंजीनियरों में नामीनल रहती होगी। लेकिन इधर हम क्या देखते हैं ? ओवरसियर से जो तरक्की करके गये उनमें बहुत मात्रा में घूसखोरी चल गई है। जैसे पटवारी, कानूनगो को नायब तहसीलदार तहसीलदार बना दिया जाय तो पुरानी आदत नहीं छूटती। मैं यह नहीं कहता कि सब ऐसे हैं लेकिन बहुमत में ऐसे हैं।

माननीय मंत्री जी को मैं इत्तला दे दूं कि अल्मोड़ा में केवल एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर है और थोड़े से ओवरसियर हैं। मैं नाम किसी का नहीं लूंगा, लेकिन जुआ होता है और एक-एक ओवरसियर पांच हजार से दस हजार तक हार जाता है। शराब का बिल महीने का तीन सौ और चार सौ का होता है। यह मेरी जानकारी की बात है। कालीन और फर्नीचर देखिये। याद आता है कि गर फिरदौस बरुए जमीनस्त, हमीनस्तो, हमीनस्तो, हमीनस्तो, हमीनस्तो। ऐसा लगता है कि स्वर्ग इन्हीं के घर में है और कहीं नहीं। एक्साइज का जो हमारा विभाग है उसका रेवेन्यू तेजी से बढ़ता जाता है। केवल पक्की ही नहीं कच्ची भी बहुत चलती है। तो यह सब Excise Revenue कहां से आता है ? इसका सबसे बड़ा जरिया है पी० डब्ल्यू० डी० के इंजीनियर और ओवरसियर और दफ्तर के बाबू। अब तक १० परसेन्ट ओवरसियर का होता था। यह १० परसेन्ट तो जन्म सिद्ध अधिकार समझा जाता था और बिल क्लर्क का अलग और जितने क्लर्क हैं उनका अलग। अगर नहीं देते तो आब्जेक्शन लगा दिया जाता है।

छोटे-छोटे ठेकेदार होते हैं और खासतौर से पर्वतीय जिलों में वे ठेकेदार जो ज्यादा दिन भुगतान रुकना सह नहीं सकते, नौ जगह से उधार लेकर आते हैं, जब उन्हें देर में पेमेन्ट होती है तो काम चलना मुश्किल हो जाता है। ठेका फेल हो जाता है, तो किसी तरह से देकर अपना काम कराते हैं।

उत्तराखंड की मैं बात कह दूं। सरकार कहती है कि हम बहुत रुपया खर्च कर रहे हैं, सड़कें बहुत तेजी से बना रहे हैं। वहां क्या हो रहा है? शराबखोरी इंतिहा दर्जे पर पहुंच गई है। मैं यह नहीं कहता कि पहले नहीं थी, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है और बाकी के डिपार्टमेन्टस में भी प्रचार हो रहा है। चीन आया तो उसके मुकाबले के लिये फौरन सड़कें बनाओ, बड़ा हल्ला हुआ। हमने भी हल्ला किया कि जल्दी करो, कुम्भकरण की नींद मत सोओ। माननीय मंत्री जी और भूतपूर्व मुख्यमंत्री जी ने जो आश्वासन दिया, तीन सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर तीन जिलों के लिये बना दिये गये, यह सब हुआ, और काम की हालत अगर पूछे मंत्री जी से तो वह गोपनीय है, जनहित में नहीं बताया जा सकता है। यानी उनको डर है कि हमारे भाई यहां से खबर भेज देंगे चीन या रूस को। लेकिन दुख यह है कि जो गैंग्स में आदमी काम कर रहे हैं उनमें बहुत से पंचमागी मौजूद हैं। गोपनीयता केवल कहने भर की है। (लाल बत्ती जलने, पर) श्रीमन् ५ मिनट समय और दे दें।

काम नहीं के बराबर हो रहा है। गोरी गंगा पर अभी तक पुल पूरे तरीके से नहीं बना है। उत्तराखंड बनने से पहले धारचूला तक सड़क काटी गई, मोटरें भी वहां चलने लगी हैं, लेकिन अब क्या उससे एक इंच भी आगे सड़क बनी है? सामाकपकोट रोड है, मंत्री जी बतायें कि कितने साल पूर्व उसका निर्माण शुरू हो गया है लेकिन अभी तक तेजम तक मोटर नहीं जाती है।

पहले एक टेम्पोरेरी डिवीजन बनाया गया, उसके एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और स्टाफ मुंशियारी भेजा गया। बनाते वक्त कहा गया कि यह तो वहां बहुत जरूरी है। लेकिन थोड़े दिन बाद उस डिवीडन को तोड़ दिया गया। तो अगर डिवीजन बनाया फिर तोड़ा क्यों? मुंशियारी से आगे २ मील सड़क का ठेका दे दिया गया, दो मील सड़क बन गई। अब फिर सारे के सारे लोग वापस हो रहे हैं। यह क्या मखौल है? चीन ने पीकिंग से बार्डर तक सड़कें बना लीं लेकिन हमारे यहां सरहद तक पहुंचना तो दूर रहा सैकड़ों मील बार्डर से इधर तक ही सड़कें नहीं हैं। हिन्दुस्तान की सेना का डायरेक्ट बार्डर तक जाने के लिये रोका है। फिर सड़कें कौन बनेंगी? लीपूलेक-काला पानी। लीपूलेक चीन की सरहद से जुड़ा हुआ है। आज चीनी हमारे यहां आ सकते हैं लेकिन धारचूला से कालापानी ५, ६ दिन का रास्ता है वहां पर कोई सड़क नहीं है। तो क्या प्लानिंग है? बार-बार कहते हैं पहले नीचे का टुकड़ा बना लो तब बार्डर के पास वाली सड़क बनाओ। लेकिन हमारी बात नहीं सुनी जाती। मैंने सुझाव दिया था ४, ५ मील सरहद का टुकड़ा छोड़ दो, लेकिन वह नहीं माना गया क्योंकि हम टेक्नीकैलिटी नहीं जानते।

यहां पर टैक्नीकल और आडिट सैल है। अभी आडिट रिपोर्ट में मैंने देखा कि एक पुल बनने वाला था, ३, ४ स्पैन बने और धड़ाम से गिर पड़े। फिर उसके लिये ९८० बोरी सीमेंट और चाहिये। जब हम कहते हैं कि सीमेंट में प्रपोर्शन ठीक नहीं है वह पुल तो सारा का सारा बह गया, लेकिन हमारी कोई बात नहीं मानी जाती। इस तरह से रुपया बरबाद होता है। इमारतें बनाई नहीं गई उधर क्रैक आने शुरू हो जाते हैं। मैंने कहा था कि एक टेक्नीकल सी० आई० डी० होना चाहिये जो जांच करके कि आया सीमेंट का मिक्सचर ठीक है कि नहीं। कोई उच्च स्तर का आदमी होना चाहिये, पता न लगे कहां से वह सैम्पिल ले गया। क्योंकि देखा जाता है कि

[श्री गोविन्दसिंह बिष्ट]

अगर कहीं से पुल का हिस्सा तोड़ कर लाया तो इंजीनियर को पता लग जाता है, वह पहले अपना मामला ठीक कर लेता है। एग्जामिनेशन में सब चीज ठीक निकल आती है, लेकिन उधर पुल टूट जाता है। उनका एनालेसिस बिलकुल करेक्ट हो जाता है।

एक योजना थी हालो क्यूब्स के द्वारा बनाया जाय, लेकिन वह भी नहीं चली। अन्त में मैं कहना चाहता हूं कि बहुत शोर है हमारे भाइयों में कि सारा रुपया तो पहाड़ को चला गया। इस समय हम देखते हैं कि जो नया प्रस्ताव बना है इसमें ५० जगह पर लिखा हुआ है अल्मोड़ा-लोलेक-कालापानी सड़क। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वह अल्मोड़ा में नहीं है। पिथौरागढ़ का एक नया जिला बना दिया गया है। यह सड़क उत्तराखंड में शामिल कर दी गई है जहां विकास के लिये करोड़ों रुपया दे दिया गया है। हमने कहा कि हम पिछड़े हुये हैं। चाहे पौड़ी-गढ़वाल है, चाहे अल्मोड़ा है लेकिन उसमें शामिल तो नहीं किया गया और एक धोखे की टट्टी बना दी गई है। मैं चैलेंज करता हूं कि कोई भी सड़क अल्मोड़े जिले की तृतीय पंचवर्षीय योजना में नहीं ली जाने वाली है। जब मैं अधिकारियों से पूछता हूं तो जवाब मिला कि अल्मोड़े में एक इंच सड़क भी इस साल नहीं बनाई गई। यहां कहा जाता है कि वहां के लिये ही सब किया जा रहा है।

मैं बतलाऊं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र के बगल में गनई पनुवाखाल में सड़क बनना शुरू हो गई। उत्तराखंड फंड से वह रुपया आ गया। मेरा यह चार्ज है कि सरकार की यह योजना है कि विरोधियों के क्षेत्र में काम न हो ताकि ६२ के इलेक्शन में कांग्रेस जीते और विरोधी हारें। विरोधी दल जिस क्षेत्र से आते हैं वहां के नागरिक भी टैक्स देते हैं और सरकार की यह नीति है कि वहां कुछ भी न किया जाय राष्ट्र विरोधी है। करोड़ों रुपया सरकार के ऊपर ऋण के रूप में चढ़ गया है लेकिन वहां सरकार कुछ नहीं करना चाहती। इससे योजना सफल नहीं हो सकेगी। लिहाजा मैं इस अनुदान का विरोध करता हूं।

श्री रामजीलाल सहायक (जिला मेरठ)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं बहुत मशकूर हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और बिष्ट जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव है उसका विरोध करने के लिये। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि बिष्ट जी कहां फंस गये इस कटौती के प्रस्ताव में। समझदार आदमी हैं? वकील हैं और कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं जब कि वह खुद कबूल कर रहे हैं कि इस विभाग की बड़ी जरूरत है। देश में निर्माण के अनेक कार्य हो रहे हैं, सड़कों की कमी है और उन्होंने खुद बतलाया कि हमारे देश अन्य देशों के मुकाबले में और प्रदेश देश के अन्य प्रदेशों के मुकाबले में पिछड़ा हुआ है। तब मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि फिर किस वजह से उन्होंने यह कटौती का प्रस्ताव रख दिया और वह भी अजीब किस्म का कि वह तमाम अनुदान से धनराशि काट कर एक रुपया देना चाहते हैं तो इस १ रुपये को भी वह ले लें क्योंकि जहां करोड़ों की धनराशि मांगी जा रही है वहां इस १ रुपये से क्या निर्माण होगा? मेरा खयाल है कि शायद कल तक वह अपनी भूल समझ जायेंगे और अपने इस प्रस्ताव को वापस ले लेंगे। इस में कोई दो राय नहीं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग हमारे जनजीवन के लिये बहुत ही उपयोगी तथा अति-आवश्यक विभाग है। हमारा जीवन आने जाने के मार्गों के बिना चल नहीं सकता। हमारी वैभागिक योजनायें, हमारा व्यापार और जितनी भी चीजें हैं उनके लिये जिन मार्गों की आवश्यकता होती है वे सब इस विभाग के द्वारा बनाये जाते हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक है कि इस विभाग को और अधिक धन दिया जाय।

मैं माननीय मंत्री जी से एक दो शब्द और निवेदन करूंगा इस उम्मीद पर कि वह मेरे इन सुझावों पर गौर करेंगे और यदि संभव हो तो उन्हें मानेंगे। बहुत से जिलों में, कहीं कहीं तो कई कई पी० डब्ल्यू० डी० निरीक्षण हाउस बने हुये हैं। ये डाक बंगले बहुत पुराने जमाने के बने हुये हैं। कुछ तो बहुत ही बुरी हालत में हैं। उनकी मरम्मत भी नहीं हो सकी। कुछ अच्छी हालत में भी हैं। लेकिन मैं उनकी कुछ उपयोगिता नहीं समझ सका। मैं निवेदन

करूं कि मेरठ से गढ़ जाने वाली सड़क पर कई डाक बंगले बने हुये हैं। एक किठौड़ का डाक बंगला है जो बहुत बड़ा है। उसके आसपास जमीन पड़ी हुई है। अंग्रेजों ने उसे शिकार खेलने के लिये बनाया था। वहां पर एक प्रसिद्ध तालाब है जो मीलों लम्बा चौड़ा है। जब हम वहां छोटे लड़कों के रूप में पढ़ते थे तो अंग्रेज लोग वहां शिकार खेलने आया करते थे और वहां ठहरा करते थे। अब वह अंग्रेज बहादुर तो रहे नहीं, वह डाक बंगला खाली पड़ा रहता है। इस तरह के कितने ही डाक बंगले हैं, मैं समझता हूं कि हर एक जिले में होंगे और उनके रख-रखाव पर भी सरकार को खर्च करना पड़ता है। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि उनकी क्या उपयोगिता है? यदि संभव हो तो, हमारी योजनाओं के अन्तर्गत अस्पताल खोले जाते हैं, पशु चिकित्सालय खोले जाते हैं, उनके लिये इमारतें बनाई जाती हैं, क्यों नहीं इन डाक बंगलों को ऐसे कामों के लिये दे दिया जाता? ऐसी जगहें भी हैं जहां पंचायत घर निर्माण किये जाते हैं, तो वहां की पंचायतों को भी ये डाक बंगले दिये जा सकते हैं? और नहीं, तो कुछ ऐसी सार्वजनिक संस्थायें हैं जो इन डाक बंगलों को मांगती हैं, उनको भी यह दिये जा सकते हैं। तो मेरा निवेदन है कि मंत्रीजी इनकी ओर ध्यान दें और इनकी जितनी भी उपयोगिता सार्वजनिक कार्यों के लिये हो सके उतनी करें।

मान्यवर, मैं आजतक नहीं समझ पाया कि मेरठ जिले ने ऐसा कौन सा कसूर किया है कि किसी भी विभाग को हम उठा कर देखें तो मेरठ में जो निर्माण के कार्य हैं वे बहुत ही धीमी प्रगति से हो रहे हैं। अन्य विभागों की बात तो यहां कहना इस समय उपयुक्त नहीं होगा, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि "स्टार एंड ग्रिड" फारमूले के अनुसार जो सड़कें एक जिले को मिलनी चाहिये मेरठ में वह बहुत कम हैं। लगभग ९५ मील सड़कें और मेरठ को चाहिये इस फारमूले के अनुसार लेकिन वह इसमें नहीं है, बहुत कम है। कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं जहां सड़कों का बहुत अभाव है। मैं यह मानता हूं कि मेरठ में जो मिल एरियाज हैं वहां पर तो छोटी-छोटी सड़कें हैं लेकिन कुछ ऐसी भी जगहें हैं जहां सड़कें नहीं है। मैं निवेदन करूं कि मेरे क्षेत्र में जो पश्चिमी हिस्सा है उसमें कोई भी सड़क नहीं है। बरसात के दिनों में वह क्षेत्र एक तरह से पूर्वी क्षेत्र से बिलकुल अलग हो जाता है। दो नदियां बीच में पड़ती हैं, उनमें बाढ़ आ जाती है तो इधर का आदमी उधर नहीं जा सकता और उधर का आदमी इधर नहीं आ सकता। पिछले दिनों हम लोगों ने बहुत लिखा-पढ़ी की जिसके फलस्वरूप यह हुआ कि एक सड़क बनाई जा रही थी, लेकिन अभी-अभी बताया गया कि वह सड़क भी उस ओर से हटा कर दूसरी तरफ ले जाई जा रही है और कहीं मुजफ्फरनगर में एक जगह से जोड़ी जा रही है। मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह कृपा कर के देखें कि किस वजह से अब वह सड़क दूसरे रूट पर ले जाई जा रही है। मेरा यह भी निवेदन है कि मेरठ जिले को वे उतनी सड़कें जरूर दें जो उसके हिसाब से आती हैं।

माननीय मंत्री जी को मैं एक बात के लिये बधाई भी दूंगा। पीछे यहां यह सवाल उठाया गया था कि पी० डब्ल्यू० डी० के जितने भी काम होते हैं उनको मजदूरों की जो सहकारी समितियां हैं, देना चाहिये, मुझे यह मालूम हुआ है कि मेरे जिले में एक, दो ऐसी सहकारी समितियां बनीं और उनको विभाग ने काम दिया और वह अच्छा काम कर रही हैं। यह एक सराहनीय कदम है, ठेकेदारों के चंगुल से बचा जाय और जो बराबर काम करते हैं उनको ठेका मिले, उसको फायदा मिले, यह एक अच्छा कदम है, मैं इसकी सराहना करता हूं और यह उम्मीद करता हूं कि मंत्री जी इस ओर बराबर ध्यान रखेंगे कि जो गरीब लोगों की ऐसी सहकारी समितियां हों उनको काम मिलता रहे।

मान्यवर, अभी एक बात कही गयी और मैं विष्ट जी की इस बात से सहमत हूं कि जो मेट और बारहमासिये इस विभाग के अन्दर काम करते हैं उनकी दशा शोचनीय है और विभाग को उधर ध्यान देना चाहिये। कई बार हमारे पास भी लोग आये और अपनी शिकायत उन्होंने रखीं। मैं ज्यादा इस बारे में क्या कहूं, विष्ट जी बता चुके हैं, मैं समझता हूं उतना काफी

[श्री रामजीलाल सहायक]

है। उधर ध्यान देने की जरूरत है क्योंकि वह एक तरह से विभाग के हाथ पैर हैं। वह बराबर २४ घंटे काम करते हैं, रखवाली भी उनके जिम्मे रहती है और इसके अलावा उन्हें कई किस्म की बेगार करनी पड़ती हैं, वह बेजा बात है।

मान्यवर, मुझे यह निवेदन करना है कि बहुत सी गांव पंचायतें और गांव ऐसे हैं जो अपने यहां सड़कें बनाने की इच्छा रखते हैं लेकिन उनकी मजबूरी यह होती है कि उनको विभाग की ओर से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है। मैं समझता हूं कि कोई भी गांव पंचायत या गांव श्रमदान करे या कुछ काम करना चाहे तो उसको विभाग की ओर से प्रोत्साहन मिलना चाहिये और मैं समझता हूं कि मंत्री जी अपने विभाग को ऐसे आदेश देंगे कि जहां कहीं भी गांव वाले मिलकर कोई रास्ता वगैरा बनायें और श्रमदान करें तो उनको विभाग प्रोत्साहन दे और उनकी हिम्मत बढ़ाये। मेरे क्षेत्र में लावर से दौराला के बीच में एक ४-५ मील का टुकड़ा है। उसके लिये गांव पंचायत ने इंजीनियर को लिखा कि वह लोग काम करने के लिये तैयार हैं लेकिन वह टुकड़ा नहीं बन पाया। इसलिये मंत्री जी इधर ध्यान देने की कृपा करें।

इस विभाग में कई प्रकार के कर्मचारी रखे जाते हैं जैसे क्लर्क, इंजीनियर, ओवरसियर वगैरह। लेकिन यह शिकायत है कि इस विभाग में हरिजनों का रिजर्वेशन पूरा नहीं किया जाता है। इधर मंत्री जी ध्यान देने की कृपा करें और हरिजन युवक जो आजकल बेकार फिर रहे हैं उनको इस विभाग में खपाया जाय।

केन डेवलपमेन्ट की जो सड़कें बनाई जाती हैं वह केवल ३-४ मील के टुकड़े होते हैं। लेकिन वह इतनी बेतुकी बनाई जाती हैं कि बहुत जल्दी उखड़ जाती हैं। इसलिये इस विभाग से पैसा लेकर अपनी देख-रेख में इन सड़कों को बनवाया जाय ताकि वह कायदे से और मजबूत बन सकें आजकल शहरों की सड़कें सीमेंटेड या तारकोल की काफी अच्छी और चौड़ी बनवाई जा रही हैं तो देहातों के रास्तों का भी सुधार किया जाय। आंध्र के गवर्नर महोदय के शब्दों को मैं आपकी आज्ञा से कह देना चाहता हूं। वह अंग्रेजी में हैं लेकिन मैं उसका भाव हिन्दी में रखना चाहता हूं। वह इस प्रकार है कि "यदि हमें अपने राष्ट्र के साधनों का पूरा प्रयोग करना है और सड़कों से अधिक से अधिक लाभ उठाना है तो सरकार को शहरों की ही जरूरतों को पूरा करना नहीं होगा बल्कि देहाती क्षेत्रों की ओर अधिक से अधिक ध्यान देना होगा।" मैं समझता हूं कि मंत्री जी ध्यान देंगे और देहाती क्षेत्रों में अधिक से अधिक सड़कें बनाकर प्रदेश के हित में काम करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं इस प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। श्रीमन्, आप जानते हैं कि इस विभाग में अंग्रेजी जमाने का काम करने का जो ढंग है वही ढंग आज भी इस विभाग का है। पुराने जमाने से और आज के जमाने में काम करने के ढंग में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। मैं समझता हूं कि जिस प्रकार से सब विभागों में कुछ परिवर्तन हुआ है उसी तरह से इसमें भी परिवर्तन होना चाहिये।

श्रीमन्, हर देश को समृद्ध और विकसित करने के लिये यातायात का साधन सुलभ हो, उस प्रदेश के हरएक नागरिक को सुलभ हो, हर क्षेत्र में पहुंचने का साधन हो, वही देश विकसित हुआ करता है। जब हम इस कसौटी पर इस प्रदेश को कसते हैं कि इस सरकार के आने के बाद इस प्रदेश में इस विभाग के जरिये कितनी सड़कें बनीं, किन क्षेत्रों में बनीं, कितना समय लगा और कितने रुपये में बनीं, तो श्रीमन्, ऐसा मालूम होता है कि अपने प्रदेश में जो और विभाग हैं और उन विभागों के जरिये जो काम होता है उस विभाग के खर्च में और इस विभाग के खर्च में बहुत बड़ा अन्तर है। और जब अन्तर होता है तो हर एक व्यक्ति जो प्रदेश की भलाई चाहने

(इस समय १ बजकर ६ मिनट पर अधिष्ठाता, श्रीमती चन्द्रावती, पीठासीन, हुईं।)

वाला है उसको सोचना पड़ता है कि इस विभाग का जो पुराना काम करने का ढंग है, उसमें परिवर्तन होना चाहिये, इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह समय निकाल कर पुराने तौर तरीके में परिवर्तन करने की बात सोचें ।

अधिष्ठात्री महोदया, मैं यह भी निवेदन करूंगा कि इस विभाग में पुराने जमाने में और आज भी जिस तरह से सड़कों का जाल बिछता है, वह एक ही रास्ता है जहां पर रेलवे लाइन चली जा रही है, उसी के पास थोड़ी दूर पर इस विभाग की भी सड़क चलती है । अगर किसी व्यक्ति को रेलवे लाइन से जाना है तो सड़क से जाने की जरूरत नहीं है । लेकिन पी० डब्ल्यू० डी० के लोग इस नजर से देखते हैं कि हम सड़कों का जाल वहां बिछायें जहां पर इस प्रदेश के बहुत बड़े आदमी जो लोग हैं, जिनको वहां जाना आवश्यक होता है, उसके लिये मार्ग प्रशस्त किया जाय जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिये रेलवे लाइन के आसपास सड़कें बनायी जाती हैं । अच्छा हुआ होता कि प्रांट पेश करने के साथ-साथ तृतीय पंचवर्षीय योजना में जो नयी चीजें बनायी जाने वाली हैं, प्रदेश के पिछड़े क्षेत्रों में, प्रदेश को विकसित करने के लिये जो मार्ग बनाये जाने वाले हैं उसको अगर माननीय मंत्री जी इस सदन के सामने प्रस्तुत कर देते तो हम लोगों को जरा आसानी हो जाती । लेकिन उन्होंने ऐसा करने में अपने को असमर्थ पाया और हम लोग अंधेरे में टटोल रहे हैं कि सरकार क्या करना चाहती है ? ऐसी दशा में जो द्वितीय पंच वर्षीय योजना तक का काम है उसी काम के भरोसे हमें चलना पड़ता है । इससे मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि सरकार का रवइया पिछड़े क्षेत्रों के साथ बड़ा निष्ठुर है ।

पूर्वी जिलों की जो उपेक्षा अंग्रेजी जमाने में की गयी, जहां पर आने-जाने का कोई साधन सुलभ नहीं रहा, जहां पर सामान ले जाने के लिए कोई साधन नहीं, आज भी सरकार उसी रास्ते पर चली जा रही है। हमारे साथी श्री प्रतापसिंह पहाड़ी जिलों का नाम ले रहे हैं । पहाड़ में तीन खंड बनाये गये हैं । यहां पर बहुत रुपया खर्च करने की बात है । (व्यवधान) मैं यह पहले ही स्वीकार करता हूं कि सरकार का काम बहुत धीमी गति से होता है । अगर सात मील सड़क बनानी है तो सात साल से कम लगने वाले नहीं हैं ।

अधिष्ठात्री महोदया, आपको जाने का अवसर हमारे जिले में प्राप्त नहीं हुआ होगा । शहर को तीन तरफ से टोंस नदी घेरती है । दो तरफ से सिधारी से आने के लिये पुल बना हुआ है । अंग्रेजी जमाने का पुल बना हुआ है । स्टेशन से आने के लिये पुल बना हुआ है और इन दोनों के बीच में मैं समझता हूं कि आधे आधे फर्लांग से भी कम दूरी है । उस दूरी के बीच में से पुल बनाया जा रहा है । लाखों रुपया खर्च किया जा रहा है । क्या जरूरत है उसकी ? और श्रीमती जी, उन्हें घोसी से मुहम्मदाबाद आना है, मऊ को छोड़ आना है, १२ मील १५ मील रास्ता कम हो जाता है, एक मर्तबा नहीं बीसों मर्तबा हाउस में निवेदन किया गया, चिट्ठी लिखी गई कि पहले मुहम्मदाबाद का पुल बनना चाहिये । लेकिन सरकार नहीं बना सकी ।

तृतीय पंचवर्षीय योजना में सुनने में आया है कि शायद वह ली गई है । श्रीमन्, जिले में कौन क्षेत्र कितना पिछड़ा हुआ है सरकार के पास कोई उसका नक्शा नहीं है और न कोई उसके लिये व्यवस्था है । आप देखेंगे कि मऊ का पुल टोंस नदी से गिरे हुये कितने दिन हो गये । दिल्ली की सरकार से पैसा प्राप्त करना है । आजमगढ़ के सभी विधायकों ने लिखकर के माननीय मंत्री जी को दिया कि जहां पर पुल बनाने का निश्चय किया जा रहा है वह स्थान बहुत खराब है उसका नतीजा यह होगा कि पुल बनने के बाद कोई दिन खाली नहीं जायगा कि जिस दिन राहजनी न हो, डकैती न हो, मऊ कस्बे से वह दूर है । मीलों की दूरी है । जहां किसानों के लहलहाते हुये खेत खड़े हैं वहीं पर इस सरकार के इंजीनियर महोदय ने सड़क बनाने का निश्चय किया है । उसके दोनों तरफ जगह है लेकिन उनकी समझ में वह जगह रमणीक नहीं है ।

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

मैं यह कहना चाहूंगा कि इस तरह से नागरिकों की उपेक्षा, उनके भावों की उपेक्षा, और जनता की मालियत के साथ खिलवाड़ सरकार को नहीं करना चाहिये ।

बिहार और उत्तर प्रदेश को मिलाने के लिये मैं समझता हूं कि गाजीपुर के विधायकों ने जब कभी राज्यपाल वहां गये हैं तथा उसके अलावा भी कितनी ही बार प्रार्थना की गई कि गंगा पर पुल बनना चाहिये । गोरखपुर और इलाहाबाद को मिलाने के लिये घाघरा पर और दोहरी, घाट पर पुल बनना चाहिये । कितनी ही बार हाउस में कहा गया और कितनी ही बार उसके लिये आश्वासन भी मिले । लेकिन कब बनेगा, कोई पता नहीं, कोई भरोसा नहीं ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि आखिरकार जो उपेक्षित और पिछड़े हुये हिस्से हैं जिनको कि विकसित करना है और जिसके लिये उनको हर तरह का साधन सुलभ करना है उनको सरकार प्राथमिकता क्यों नहीं देती है ? प्राथमिकता वह उन स्थानों को देती है जहां पर कि उनकी जरूरत नहीं है जैसे कि आजमगढ़ का पुल जिसके लिये कि किसी भी नागरिक से पूछिये सिवाय इंजीनियरों को छोड़कर तो कोई यह नहीं कहेगा कि यहां पुल की आवश्यकता है । लेकिन इंजीनियरों का मत है और सरकार उन्हीं के मत के अनुसार चलना चाहती है, माननीय चौधरी साहब भी उन्हीं के मत के अनुसार चलना चाहते हैं । मैं समझता हूं कि यह चीज बदलनी चाहिये ।

बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों के बारे में-मैं ९ साल से इस हाउस का सदस्य हूं, हर बार किसी न किसी प्रकार से उसके लिये कहा जाता है । अभी तीन चार दिन के अन्दर की बात है, हमारे जिले के चेयरमैन ने लिखकर दिया, हमने लिखकर दिया, कितनी ही बार सवाल किया, जिला अन्तरिम परिषद् ने प्रस्ताव पास किया कि जो क्षेत्र इस जिले के पिछड़े हुये हैं, बाढ़पीड़ित हैं उनसे जिले का सम्बन्ध स्थापित होना चाहिये । लेकिन वह नहीं हो सकता है । इसलिये नहीं होगा कि वहां पर सरकार के पास पहुंचने वाली कोई शक्ति नहीं है जो सरकार को वहां पुल और सड़क बनाने के लिये मजबूर करे । मैं समझता हूं कि इस तरह से ढांचे में परिवर्तन अगर नहीं होगा तो पुराने जो पिछड़े हुये क्षेत्र हैं वह आज भी पिछड़े हुये रहेंगे । उदाहरण स्वरूप माननीया मैं निवेदन करूंगा कि आजमगढ़ जिले की सगड़ी तहसील में बिलरियागंज से रौनापार ऐसा ही क्षेत्र है । रौनापार थाना है । घाघरा के किनारे है । अगर कोई चीज ऐसी घट जाए, डकैती हो जाय, बलवा हो जाय, सरकार जिले से मदद देना चाहे तो उसके वहां पहुंचने में बहुत समय लगेगा और बरसात के दिनों में ६ महीने तक तो जाना आना कठिन होता है । मधुबन से दुबारी जाइये । एक लाख की आबादी का क्षेत्र है । ८ महीने टापू बना रहता है । कोई सहायता सरकार देना चाहे तो पानी के जरिये से ही जाकर दे सकती है । जमीन से नहीं पहुंच सकती । इस तरह की व्यवस्था हमारे प्रदेश के पूर्वी जिलों की है । बलिया, देवरिया आदि सारे पूर्वी जिले, जो बाढ़पीड़ित क्षेत्र में हैं, उनकी हालत ऐसी बदतर है । मैं समझता हूं कि हमारे कहने का एक ही मतलब था कि माननीय मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित किया जाय और जो बाढ़पीड़ित क्षेत्र के स्थान हैं उनके लिये यातायात के साधन सुलभ किये जायं ।

दूसरी बात यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विभाग में काम करने वाले जो मजदूर हैं उनकी हालत बड़ी दयनीय है । कब उनको काम मिलेगा, कब उनको निकाला जायगा और कौन निकालने के बाद रखा जायगा इसकी कोई व्यवस्था नहीं है । एक आदमी, जिसने ६ महीने तक काम किया, सातवें महीने निकाल दिया जायगा । जिस व्यक्ति ने १० साल तक काम किया उसकी नौकरी मुस्तकिल नहीं होगी । आज मैं काम करता हूं तो कल दूसरा आदमी काम करेगा । इनके मस्टररोल को देखा जाय वह क्या है ? ओवरसियर उसको देखता है । मैं मंत्री जी को एक नहीं पचास सबूत दे दूंगा कि इन मस्टररोल को ओवरसियर गलत भरता है । वह मजदूरों से घूस लेता है । जिससे पैसा पाता है, उसकी गलत हाजिरी भरता है जिससे पैसा नहीं पाता उसको कल निकाल देता है ।

इस हाउस में इस प्रकार से सवाल उठे हैं। मंत्री जी ने उसको स्वीकार करके कहा है कि वह मजदूरों को फिर से रख लेता है। सरकार कहती है कि मजदूर की आज जरूरत नहीं है। कल जरूरत हो सकती है। आज तीन माली की जरूरत है और कल ५ की हो सकती है। माली की हर समय जरूरत रहती है। मंत्री जी जानकारी हासिल कर लें कि आजमगढ़ में कितने माली निकाले गये और कितने रखे गये? क्यों उनको निकाला गया और क्यों दूसरों को रखा गया इसको स्पष्ट करना चाहिये? मैं ऐसा समझता हूं कि इस प्रकार के मजदूरों की तादाद ५० हजार के ऊपर है। इसके साथ सरकार का सहृदयता का व्यवहार होना चाहिये। १० साल और १५ साल काम करते हुये जिन्दगी बीत जाती है, बूढ़े हो जाते हैं और फिर मर जाते हैं लेकिन उनको मुस्तकिल नहीं किया जा सकता। इस सूबे की सरकार के किसी भी विभाग में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। इन ५० हजार मजदूरों के सम्बन्ध में कोई नयी व्यवस्था होनी चाहिये।

माननीया, श्रमदान की बात रामजीलाल सहायक जी ने यहां पर कही कि श्रमदान के द्वारा बहुत-सी सड़कें बनाई गई। श्रमदान से उत्साह सारे उत्तर प्रदेश में पैदा हुआ था और लोगों ने उससे बहुत लाभ भी उठाया। जनता ने और सरकार ने बड़ा काम उस सम्बन्ध में किया लेकिन मैं यह जानना चाहता हूं कि जो प्रस्तुत बजट है उसमें कहां तक उसकी सहायता के लिये रखा गया है? मैंने इस बजट का अध्ययन किया। प्रदेश की कुछ श्रमदान की सड़कें विभाग ने ली हैं लेकिन मैं यह कहूंगा कि श्रमदान की जितनी सड़कें विभाग ने ली हैं और जितना पैसा उन पर व्यय किया जायगा तो वह तो ठीक हो जायंगी परन्तु और जो श्रमदान की सड़कें हैं और जिन पर पुल भी बने हुये हैं अगर उनको सरकार नहीं लेती है तो २, ३ साल के बाद उनके लिये ऐसी नौबत आयेगी कि वह काम लायक नहीं रह जायेंगी और फिर कोई आदमी उन पर श्रमदान करने के लिये भी नहीं जायगा। इसलिये सरकार को इस बजट में ऐसा प्रबंध करना चाहिये कि जितनी श्रमदान की सड़कें हैं वह सब विभाग द्वारा ले ली जायं।

एक बात और निवेदन करना चाहता हूं। पुल पुलिया बनाने की कोई व्यवस्था सरकार द्वारा होनी चाहिये। बहुत से ऐसे स्थान हैं जहां पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने लम्बी सड़क बनाई है लेकिन अगर बीच में नदी पड़ती है जहां पर पुल की आवश्यकता है, अगर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड या अन्तरिम जिला परिषद् या वहां की जनता उस पुल को बनाने में असमर्थ है तो उस पुल को सरकार को पी०डब्लू०डी० के जरिये बनवाना चाहिये और अगर वह नहीं बनवा सकती तो किसी अन्य प्रकार से लोगों के लिये आने-जाने के रास्ते प्रशस्त्रत करने चाहिये। यह भी आवश्यक काम है और विभाग को इस ओर भी खयाल करना चाहिये।

इस विभाग के जरिये जो भवन बनते हैं उनमें बहुत काफी पैसा खर्च हो रहा है और उनको बनाने में बड़ी देरी लगती है। पुराना जो मकान बनाने का ढंग था उसमें बड़ा फर्क आ गया है। जिस विधायक निवास में हम लोग रहते हैं, माननीया, आपको भी तजुर्बा होगा कि उनकी हालत क्या है और जो रायल होटल के नये निवास बने हैं उनकी हालत क्या है? वे खराब हालत में हैं और उनकी हालत ज्यादा खराब होती जा रही है। आप देखें कि इस विभाग के जो कर्मचारी हैं उनकी हालत क्या है। जैसे रोडवेज में प्रतिज्ञापत्र लिखाया जाता था अब यहां के मजदूरों से भी वैसा ही प्रतिज्ञापत्र लिखाया जाने लगा है। यह विभाग जो इतना बड़ा विभाग है, जिसे उत्तर प्रदेश के रहने वालों के लिये रास्ते बनाने हैं, रहने के लिये घर बनाने हैं, उसमें अगर काम करने के लिये नये विचार न हों तो मैं नहीं समझता कि काम कैसे चलेगा?

एक और निवेदन करना है और आवश्यक है। अपने जिले आजमगढ़ की बात कहना चाहता हूं। इस साल सारे उत्तर प्रदेश में कोयले की कमी है। यहां से सरकार का आर्डर हुआ कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स जितना चाहें ईंट और सीमेंट इन विभागों को दे दें। आजमगढ़ में ३० मार्च तक २ करोड़ ईंट विभागीय इंजीनियरों ने ले लिया और पी० डब्लू० डी० के

[श्री रामसुन्दर पांडेय]

इंजीनियर ने लगभग ५४ लाख ले लिया। १०,५०० बोरा सीमेंट, जो पब्लिक के हिस्से में है, लिया। उन के विभाग ने एक बोरा नहीं लिया। कोयला ४३ वैगन बलिया में है, २४ वैगन आजमगढ़ में है और १२ वैगन जौनपुर में है, लेकिन वहां के इंजीनियर यह करने के लिये तैयार नहीं हैं कि जिस भट्टे से उन्होंने ईंट ली है उसको कोयला दे दें। तो मेरा निवेदन यह है कि इस तरह की जो अव्यवस्था है उसे सरकार को दूर करना चाहिये।

श्री खूबसिंह (जिला बिजनौर)---अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस अनुदान पर मुझे बोलने की आज्ञा प्रदान की। जो अनुदान आज आप के सामने है और जिसके मुताल्लिक हम लोग अपने खयालात का इजहार यहां पर कर रहे हैं, उसका ताल्लुक पी० डब्लू० डी० से है और मैं बिला खौफोखतर और बिला इस बात का खयाल किये हुये कि इस अनुदान पर लोगों ने अपनी क्या राय दी, किस तरह दी और क्या क्या वाकयात बयान किये हैं, कह सकता हूं कि पी० डब्लू० डी० की हिस्ट्री इस सूबे में एक शानदार हिस्ट्री है और उसके जरिये इस सूबे को जो लाभ हुआ है वह प्रशंसनीय है। यह तो आज का एक फैशन हो गया है कि जो लोग ज्यादा काम करते हैं और कम बोलते हैं उनके मामले में क्रिटिसिज्म भी ज्यादा ही होता है। एक मसल है कि चलते बैल को एक पैनी और मारी जाती है और बेजबान सास से बहुयें ज्यादा काम लिया करती हैं। यह किंवदंतियां हैं जो देहात में चलती हैं और जो इस महकमे के साथ बिलकुल फिट हो रही हैं।

आल राउन्ड प्रग्रेस अगर किसी स्टेट में हो सकती है तो वह यातायात के साधनों के ही कारण हो सकती है। तरक्की के लिये इन्डस्ट्रीज का होना जरूरी है, किन्तु उसके लिये भी सड़कों की बहुत जरूरत होती है। आज हमारे यहां डेवलपमेंट के जितने भी काम हो रहे हैं सब एकार्डिंग टु आवर प्लान (according to our plan) हो रहे हैं। यह हमारे लिये खुशी की बात है कि हमारा जो प्लान था वह पूरा हुआ है और उसके जो भी टार्गेट्स थे वे पूरे हुये हैं और कहीं कहीं तो उससे भी ज्यादा काम हुआ है। हमारे सभी विभागों ने प्रशंसनीय कार्य किया है। पी० डब्लू० विभाग ने यातायात के जो भी साधन पैदा किये हैं उनसे हमारे प्रदेश में काफी तरक्की हुई है।

साथ ही मुझे इस बात का दुख है कि थर्ड फाइव इयर प्लान में पी० डब्लू० डी० के लिये जो रुपया रखा गया था उसमें कुछ कटौती कर दी गयी है। मैं जानता हूं कि उसमें कमी करने में किसी को खुशी न हुई होगी और धन की कमी के कारण ही उसमें कमी की गयी होगी, किन्तु एक बात मैं जरूर चेतावनी के तौर पर कह देना चाहता हूं कि इस विभाग में कमी करने से, ५ साल बाद हम जब अपने यहां के कार्यों को देखेंगे तो यह अवश्य महसूस करेंगे कि उस समय हमने पी० डब्लू० डी० में कमी करके गलती की थी। आप जिन कामों को आगे बढ़ाना चाहते हैं उनके आगे बढ़ाने के सिलसिले में यह जरूरी है कि हमारे यहां यातायात के साधन अधिक मात्रा में हों। हमें पहले रास्ते चाहिये। उसके बाद ही डेवलपमेन्ट के कार्य तो पूरे होते ही रहते हैं। मुखतलिफ किस्म के डेवलेपमेंट के लिये हमें रास्तों की पहले जरूरत पड़ती है।

जब मैं यहां आया तो उस समय माननीय विष्ट जी की स्पीच हो रही थी, मैंने उसको सुना। उन्होंने यह बात कही कि जो लोग इस विभाग में काम करने वाले होते हैं उनको कनफर्म कर देना चाहिये। यह ठीक है, यह कोई सेन्टीमेन्ट की बात नहीं है, किन्तु मेरा तजुर्बा यह है कि इन लोगों का जो नेचर आफ वर्क है उसको देखते हुये यह देखना भी जरूरी होगा कि उन लोगों का काम कैसा है, अच्छा है या खराब है? अगर हम शुरू में ही उन लोगों को कनफर्म कर देंगे तो वे आगे चल कर काम ठीक नहीं करेंगे। कनफर्म तो बाद में सभी हो ही जाते हैं। इसलिये उनकी यह बात भी मुझे ठीक नहीं लगी।

एक बात और विष्ट जी ने कही जो देखने में तो जरूर जंची, किन्तु वह भी ठीक नहीं थी। उन्होंने कहा कि बार्डर पर जो सड़क बनाई गयी है उसका एक हिस्सा तो बन कर तैयार हो गया है, किन्तु बीच का हिस्सा जो ४–५ मील का टुकड़ा था, वह नहीं बनाया गया। तो देखने में तो जो उन्होंने कहा वह ठीक लगा, किन्तु उनको यह समझ लेना चाहिये कि जिन लोगों ने उस काम को किया है उसको बहुत ही सोच-समझ कर किया है। असल में बात यह है कि डेंजर जोन्स में पीस के वक्त तो कुछ काम हो सकता है, लड़ाई झगड़े के समय नहीं। पी० डब्लू० डी० ने शान्ति के समय में जिस काम को करना बहुत जरूरी समझा है उसको किया है। जहां पर हमको खतरा है, वहां का कार्य हमें पहले करना होगा। अगर विष्ट जी उनको इस निगाह से देखें तो उनकी समझ में अच्छी तरह आ जायेगा कि वह हिस्सा पहले क्यों बनाया गया है ?

अधिष्ठात्री महोदया, एक बात यह कही गई कि पी० डब्लू० डी० के जरिये से जो पुल बने थे, वह बह गये। अच्छा होता कि पुल ऐसे बनते जो न बहते और अच्छा हो कि जितने काम भी किये जायं वह पक्के हों, उनमें पैसा खराब न हो लेकिन इंसान इंसान ही है। इस मुहकमे में काम करने वाले हम में से ही हैं। मैंने कोई भी ऐसा काम करने वाला नहीं देखा जिसके काम में गलती न निकले। हो सकता है कि प्लान में कोई गल्ती रह गयी हो, किसी बात का पहले अन्दाज न हो पाया हो लेकिन जान-बूझ कर कोई खराब काम नहीं बनाया जाता। यदि हम पी० डब्लू०डी० में समझ भी लें कि ओवरसियर या इंजीनियर ने कोई गलत काम कर दिया होगा लेकिन जो भाखरा डैम है जहां पर कि हिन्दोस्तान के बाहर के, अमरीकी सुपरवाइजर और इन्जीनियर रखा गया, और आशा की गई कि कार्य उसकी निगरानी में बहुत अच्छा होगा। वह भी जितना मजबूत साबित होना चाहिये था उतना मजबूत नहीं साबित हुआ। यह बात केवल पी० डब्लू० डी० के लिये ही नहीं है। अगर १०० काम किये जाते हैं तो उसमें दो काम खराब भी हो जाते हैं। यह भी सही है कि जब कोई काम खराब होगा तो उसका क्रिटिसिज्म होगा। इसलिये सरकार को इधर काफी ध्यान देना चाहिये। कभी कभी कुदरत का प्रकोप भी इन्सान के जिम्मे पड़ जाता है। जो कुदरत के प्रकोप थे वह भी पी० डब्लू० डी० के मत्थे लगाये गये। मुमकिन है कि उसमें कुछ उनकी भी गलती हो।

अब मैं मंत्री जी का ध्यान दो तीन बातों की ओर दिलाना चाहता हूं। एक सड़क सुरजन नगर-जसपुर रोड दो जिलों में पड़ती है। उसका आधा हिस्सा मुरादाबाद में है और आधा हिस्सा नैनीताल में है। चूंकि यह कुल ६ साढ़े ६ मील का टुकड़ा है इसलिये इसकी तरफ न तो मुरादाबाद और न ही नैनीताल के रिप्रेजेंटेटिव ध्यान देते हैं। अगर यह सड़क का टुकड़ा बना दिया जाय तो बड़ी सहूलियतें हो जाय। हालांकि मैं वहां का नुमाइंदा नहीं हूं लेकिन चूंकि मैं वहां की जागरफी से वाकिफ हूं इसलिये इसकी तरफ मंत्री जी और मुहकमे का ध्यान दिला रहा हूं।

एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। जब सेकेन्ड प्लान बन रहा था तब बिजनौर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड ने नजीबाबाद-अफजलगढ़ सड़क को प्रायारिटी दी थी लेकिन उसको छुड़ा दिया गया। थर्ड प्लान में भी यह शामिल नहीं की गई है। अब यही चारा है कि नान-प्लान आइटम्स में रखकर इस सड़क जो बनाया जाय। यह मेरा सुझाव है।

अब अंत में मैं पी० डब्लू० डी० की कुछ तारीफ करना चाहता हूं। मेरे भाइयों ने जितना हो सका है, उनके काम को खराब कहा है। वाकया इसके खिलाफ है और वह मुबारकबाद और तहसीन के मुस्तहक हैं। उन्होंने सूबे को सड़कों के मामले में इतना अच्छा सूबा बनाकर मिसाल पेश कर दी है कि जिसको देख कर तबीयत खुश हो जाती है और उनके काम पर ही हमारे सूबे की तरक्कियां आधारित हैं और मुझे उम्मीद है कि आइंदा भी यह मुहकमा अपने फर्ज को सरंजाम देना नहीं भूलेगा।

[श्री खूबसिंह]

हमारा काम क्रिटिसिज्म करने का है और क्रिटिसाइज करते हैं, और अच्छे मोटिव से करते हैं, कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन जहां तक मुहकमे का तालुक है, एडमिनिस्ट्रेशन का, मुझे उम्मीद है कि इसी लगन के साथ वह अपने काम को आगे बढ़ाता रहेगा।

*श्री भजनलाल (जिला इटावा)---माननीया अधिष्ठात्री महोदया, सर्वप्रथम अभी हमारे पूर्व वक्ता ने अपने पी० डब्लू० डी० और सरकार की जो तारीफ की है, उसका जवाब मैं देना चाहता हूं। विनियोग लेखे १९५७--५८ और लेखा परीक्षा रिपोर्ट १९५९ के ३१ पृष्ठ को अगर आप देखें तो लिखा हुआ है कि सार्वजनिक निर्माण, भवन तथा सड़क शाखा पर ८,२९,६२,२५४ रुपया गबन हुआ है और वह किसमें हुआ है? तखमीनों के अभाव, तखमीनों से अधिक व्यय और ब्योरेवार विपत्रों (बिलों) से प्रमाणकों, उप-प्रमाणकों, मुद्रांकित रसीदों आदि के अभाव से वह गबन हुआ है। तो मैं माननीय मित्र को बधाई देना चाहता हूं कि जिस पी० डब्लू० डी० की वह तारीफ कर रहे थे, जरा उसकी तरफ भी आपने ध्यान किया है कि इसमें कितनी धांधली होती है? इंजीनियरों के द्वारा कितना रुपया शोषण किया जाता है और उनके घरों और खजानों में चला जाता है। इसका सबूत मैं आपके सन्मुख पेश करना चाहता हूं कि जहां पर इस हाउस के माननीय सदस्य निवास करते हैं दारूलशफा में---जो छज्जे बने हुए हैं उनका सवा दो रुपये वर्ग फुट के हिसाब से एस्टीमेंट तय हुआ था, लेकिन उनको १२ गुनी कीमत चुकानी पड़ी, इसके मानी यह है कि १ लाख रुपया गबन हुआ और इसके गबन के सम्बन्ध में सरकार के पास रिपोर्टें आयीं और आज तक सरकार ने उस पर कोई कार्यवाही समुचित नहीं की जिससे इस गबन का पता चल सकता।

दूसरी बात मैं रायल होटल की रखता हूं, जो कि सरकार की नाक के तले अंधेर खाता है? बाहर क्या हो रहा है, इसका अन्दाजा स्वयं लगाया जा सकता है? रायल होटल में जहां पर यहां के माननीय सदस्य और माननीय सदस्या रहते हैं, उनके कर कमलों में भी ऐसी चोट आ जाती हैं और हाथ फट जाया करते हैं जिसका कारण यह है कि उसके अन्दर जो चटखनी लगायी गयी हैं, जबकि पीतल का एस्टीमेंट था लोहे की लगायी गयी हैं और लोहा भी ऐसा कि जो घटिया किस्म का है। इसके बाद रायल होटल की मंजिल को ले लीजिये। उसकी चौथी मंजिल के बनाने में सीमेंट का अनुपात जो निर्धारित किया गया था वह एक बोरी सीमेंट और ६ गुना बालू, लेकिन वह न लगा करके एक बोरा सीमेंट और १० बोरा बालू लगाया गया है। इस प्रकार से हजारों बोरियां सीमेंट की गबन हुई हैं। दूसरे, मैं यह भी बतला देना चाहता हूं कि रायल होटेल की जो चहार-दीवारी बनायी गयी है, उसमें तो सीमेंट नाम मात्र के लिये है, क्योंकि वह खुलासा है। अगर अगले साल और बारिश हुई तो वह धराशायी हो जायगी। रायल होटल के बनाने में जो इंजीनियरों ने अपनी दस्तकारी दिखलाई है उससे उनके दिमाग की परख अच्छी तरह से की जा सकती है। वहां पर जो मकान बनाये गये हैं, उनमें रायल होटल के कमरे बनने के बाद रसोई-घर बाद में जोड़ दिया गया है। माननीया, आप समझ सकती है कि जिस रायल होटल में बाद में रसोईखाना बनाया जाय, दीवार बढ़ाई जाय और फिर किवाड़ जोड़े जायं, तो इस प्रकार सरकार का अपव्यय जो हुआ और जो दिमाग की परख हुई उसका अन्दाजा लगाया जा सकता है।

इस विभाग में इंजीनियर ५० प्रतिशत से अधिक रुपया खा जाते हैं। उसका मैं ताजा उदाहरण आपको दूं। गोमती नदी पर बाराबंकी में नेवुरा घाट पर ६ लाख रुपये के सीमेंट के लगने की बात थी लेकिन इसी काम में ८ लाख रुपये का सीमेंट लगा दिया गया और दो लाख रुपया इंजीनियरों की जेबों में चला गया। माननीय जंग बहादुर जी वर्मा और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री रामस्वरूप वर्मा जी ने सवाल उठाया और जांच की मांग की लेकिन आज तक उस विषय में कोई कार्यवाही नहीं हुई ।

हमारे यहां थाने बनाये गये हैं लेकिन वे सब एक ही किस्म के नहीं है । उन सब की विभिन्न किस्म की इमारत होगी । चीन ने हमारे सामने उदाहरण पेश किया है । जब किसी भी सरकारी विभाग के लिये कोई इमारत बनायी जाती है तो पहले एक इमारत बनायी जाती है और पूरा नक्शा बना कर यह देख लिया जाता है कि इस पर कितना रुपया खर्च होता है । फिर उसी आधार पर सारे देश में इमारत बना दी जाती हैं ताकि इस विभाग में कोई धांधलगर्दी न हो । लेकिन यहां ? यहां तो भिन्न-भिन्न तरीके की इमारतें बनायी जायेंगी जिसमें खूब पैसा खाने को मिले । मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि एक प्रकार की ही इमारत बनवायें जिससे जनता का पैसा बेकार खर्च होने से बच जाय और इन इंजीनियरों की जेबों में न जाय ।

आज जो सड़कें बनायी जा रही हैं वे इस दृष्टिकोण से बनाई जा रही है जिससे कुछ खास-खास व्यक्तियों को ही उसका लाभ मिले या किसी को वोट मिल जायं । जिस प्रकार से यूनिवर्सिटी की शिक्षा पर अधिक ध्यान दिया जाता है और देहाती क्षेत्र में शिक्षा की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है, उसी प्रकार से अलकतरे, सीमेंट, कंकड़ और मिट्टी की सड़कों में पहली तीन प्रकार की सड़कें अधिक-तर शहरी क्षेत्रों में ही बनायी जाती हैं । माननीय सदस्य जिन देहाती क्षेत्रों से चुन कर आते हैं, अगर वहां जनता के दिलों से पूछे कि बाढ़ और वर्षा के समय जब उनके रास्ते छिन्न-भिन्न हो जाते हैं, तब उनको कैसी मुसीबत होती है, उनका जीवन संकट में पड़ जाता है, जिस प्रकार से आपने पहली और दूसरी योजनाओं में देहात के लोगों को गुमराह किया है, उस प्रकार से काम चलने वाला नहीं है । अगर आप उत्तर प्रदेश की उन्नति चाहते हैं और देहात में किसी वजह से सीमेंट और अलकतरे की सड़क नहीं बना सकते तो कंकड़ की सड़क तो आपको देहात में बना ही देनी चाहिये । उससे हम देहात की जनता को आराम भी पहुंचा सकेंगे और जो बहुत-सा अपव्यय हो रहा है उसको भी बचा सकेंगे ।

एक सड़क माननीय मुख्य मंत्री जी के क्षेत्र में, जहां से वे चुन कर आये हैं, मरचुला मनोला रोड बनायी जा रही है । लेकिन गढ़वाल जिले के कुछ कांग्रेसी भाइयों ने उसको उल्टा ही मोड़ दे दिया और अब बदनगढ़ होकर जायगी और राम गंगा के संगम पर पुल बना कर उसको ले जाया जायगा । अब होगा क्या ? किसानों की मांग के आधार पर सड़क का बनना तय था लेकिन हमारे कुछ कांग्रेसी भाइयों के दबाव डालने पर उसके रुख को फेरा जा रहा है जिसके फलस्वरूप ५०० किसान परिवार भूमिहीन होने जा रहे हैं और हजारों एकड़ जमीन उस सड़क के बनने में जा रही है जो किसानों ने पहाड़ काट-काट कर अपनी खेती के लिये तैयार की थी । यह सब इसलिये किया जा रहा है कि बाउचर में तो यह दिखलाया जायगा कि इतने मील पहाड़ काट कर हमने सड़क बना दी और उसी हिसाब से सरकार से रुपया भी ले लिया जायगा और मैं समझता हूं कि उस रकम का एक बहुत अच्छा खासा हिस्सा विभाग के इंजीनियरों की जेबों में चला जायगा । यह सब इस आधार पर किया जा रहा है कि किसानों की पहली मांग के अनुसार एक, दो या तीन मील का चक्कर पड़ता है लेकिन अब जो सड़क बनना तय हुआ है उसके अनुसार किसानों द्वारा कटा कटाया रास्ता मिल जायगा और सरकार को सुविधा हो जायगी । मेरा खयाल है कि इससे करीब ७ या ८ करोड़ रुपया विभाग के अधिकारियों की जेबों में चला जायगा, इसमें कोई सन्देह नहीं है । अगर इसमें कोई सन्देह की बात हो तो जैसा कि मैंने खुले आम हाउस में यह दावा किया है, सरकार खुलेआम सी० आई० डी० द्वारा या जिसके जरिये भी मुनासिब

[श्री भजनलाल]

समझे इसकी जांच करावे और जो सम्बन्धित अधिकारी दोषी पाये जांय उनको दंड दिया जाय ।

अब मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान अपने जिले की ओर ले जाना चाहता हूं । औरैया नगर एक ऐसे स्थान पर कायम है जिसका सम्पर्क जालौन, कानपुर, फर्रूखाबाद और मैनपुरी चार जिलों से है । यमुना नदी सिर्फ ३ मील दूर है, उसके पार ही जिला जालौन है । जिला जालौन और जिला इटावा का सम्बन्ध औरैया-शेरगढ़ घाट सड़क से है । वह सड़क कंकड़ की पक्की सड़क तो है लेकिन इसके बावजूद भी वहां कोई पुल नहीं है जिससे बड़ी दिक्कत है । मैंने इस हाउस में कई दफा मांग की कि यमुना नदी पर शेरगढ़ घाट-के पास पीपे का पुल बनवा दिया जाय क्योंकि इससे जालौन का इटावा से घनिष्ट सम्पर्क स्थापित हो जायगा और इस औरैया, जालौन तथा इटावा को भी काफी फायदा होगा । मैं मंत्री जी से चाहूंगा कि तृतीय पंचवर्षीय योजना के प्रथम चरण में इस पीपे के पुल को अवश्य बनवा दें । इसके साथ ही साथ मैं एक और बड़े पीपे के पुल की तरफ सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं । सिंधौर में चम्बल पर पीपे के पुल के लिये पिछले बजट में ५२ लाख रुपया स्वीकृत हुआ था लेकिन जब इस साल के बजट को देखा तो उसमें वह ५२ लाख रुपया कहीं दिखलायी नहीं पड़ा । इसलिये सरकार से मेरी प्रार्थना है कि सिंधौर में चम्बल पर पीपे के पुल को इस तृतीय पंचवर्षीय योजना में अवश्य कार्यान्वित करें ।

इसके अलावा डिजलपुर-मुरादगंज सड़क का जो पारपट्टी इलाके से सम्पर्क स्थापित है और डकैतों का हमला होता है लेकिन वह पकड़े नहीं जाते इसलिये बंसरी बाबरपुर सड़क, औरैया देवरपुर सरैया होते हुये फफूंद की सड़क है और ऊदी से सिंडौस की सड़क है इन सब का सम्पर्क स्थापित किया जाय । मैं आप के द्वारा मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि हमारा इटावा जिला लाखनसिंह के गिरोह से आतंकित है अगर उस से बचना चाहते हैं तो पारपट्टी के इलाके में सड़कों का निर्माण करें । औरैया के पास जमुना पार शेरगढ़ पर पीपों का पुल बनना आवश्यक है क्योंकि जालौन और इटावा के बीच में इस से पक्की सड़क का सम्पर्क हो सकता है । यदि यह सड़कें बनाकर सम्पर्क स्थापित किया जाय तो वह बहुत ही लाभदायक होगा । मैं चाहूंगा कि मंत्री जी इस पर ध्यान दें (समय समाप्त) ।

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी (जिला बस्ती)—माननीय अधिष्ठात्री महोदया, आपने इस अनुदान पर बोलने का मुझे अवसर दिया इस के लिये मैं आप की बहुत आभारी हूं । माननीय मंत्री जी ने जो अनुदान पेश किया है उस के लिये मैं उन की भी बहुत आभारी हूं और उसका मैं समर्थन करती हूं । इस बजट की जो कार्यवाहियां हैं उसके लिये मैं मंत्री जी की आभारी हूं । माननीय मंत्री जी ने जो यह बजट साहित्य पेश किया है उसके लिये अगर कहा जाय कि यह भानमती का पिटारा है तो बेजा न होगा । लिखा जाता है कुछ और कहा जाता है कुछ । शब्दों और आंकड़ों के जाल में से निकलकर कुछ समझने की कोशिश करना असम्भव है ।

इसी सदन के एक माननीय सदस्य ने एक बार हंसी मजाक में इस विभाग को "प्लन्डर विदाउट डेंजर" विभाग कहा था, यानी बिना खतरे की लूट खसोट का विभाग कहा था । तो इस मिट्टी, गिट्टी, बालू, पानी के खेल के विभाग की लीला न्यारी है । कहा नहीं जा सकता कि कितनी गड़बड़ी चल रही है और आगे क्या होने वाला है ? बजट के प्रस्ताव और योजना भी एक अजीब मजाक है । मुझे अच्छी तरह से याद है कि मेरे क्षेत्र में बस्ती-बढ़नी सड़क पर डुमरियागंज में पीपों का पुल दो वर्ष पहले बजट में मंजूर हुआ था, वह कागजों पर छपा भी, लेकिन भानुमती के पिटारे के लिये जिस तरह सब संभव है उसी तरह इस सदन द्वारा मंजूर किये बजट में तो पुल की व्यवस्था थी लेकिन भगवान जाने बाद में वह किस तरह से गायब हो गया । उसके संबंध में मैंने सदन में सवाल भी पूछे थे तो हमें बताया गया था कि वह

बनेगा। लेकिन वह पुल जमीन पर नहीं आया और कागजों में ही रह गया। मैं अफसोस के साथ माननीय मंत्री जी का उस तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूं। सुना जाता है कि रामायण में एक केवट की कहानी है। उसको मैं मंत्री जी के सामने रखना चाहती हूं कि जिस तरह से भगवान राम जी जब बनवास को जाने लगे उस समय उनकी चरणरज से पत्थर भी अहिल्या बन गई। मुझे मंत्री जी की ओर से प्रश्न करने पर उत्तर दिया गया था कि वह पुल बनाया जायगा और उस के लिये टेंडर काल किये जा रहे हैं लेकिन पता नहीं कि वह टेंडर कहां चले गये और न मालूम किस तरह से क्या करामात हुई कि लोहे के पीपे लकड़ी की नाव बन गये और जिस तरह से कि राम जी के चरणों से पत्थर से अहिल्या हो गई उसी तरह से मंत्री जी के कागज पर पीपों का पुल भी काठ का पुल हो गया।

राम के युग के केवट की तरह मैं भी इंतजार कर रही हूं कि राम उतरने आयें तो मैं भी पांव पखारूं इन महानुभावों के। जब २ बरस पहले बजट छपा था तो मैंने अपने क्षेत्र की जनता को दिखाया था कि लो भाई, अब तुम्हारे यहां पुल का प्रबन्ध हो गया है। अब वही लोग मुझे पूछते हैं कि देवी जी, आपके पीपे के पुल के वह पीपे कहां गये? मंत्री जी बतायें कि वह पुल कहां चला गया? पंखों और मुलायम कुशन के गद्दों पर बैठने वाले और कागजी घोड़े दौड़ाने और काटपीट करने वाले तो यहीं रह जाते हैं लेकिन जनता के क्षेत्र में गालियां हम सुनते हैं। आप से कोई जवाब तलब नहीं करता। जनता हम से कहती है कि माता जी, वह हमारा पुल क्या हुआ, वह कहां गया? और कहां पुल बन रहा है, क्या वह इस युग में नहीं बन सकता है? वह क्षेत्र ऐसा है कि वहां पर तराई एरिया है। व्यापारी लोग आते जाते हैं। हल्लौर बहुत बड़ा बाजार है, सहियापुर का बाजार है, वहां तमाम गाड़ियां आती जाती हैं.....

सार्वजनिक निर्माण उप-मंत्री (श्री धर्मसिंह)—कौन सा एरिया है?

श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी—ट्रांस राप्ती। मैं बहुत आभारी हूं कि उपमंत्री जी ने हमारी बात नोट कर ली है। तो जिस तरह से केवट ने रामचन्द्र जी के पैर पखारे थे, मान्यवर, मैं और मेरे क्षेत्र की जनता उसी तरह से स्वागत के लिये खड़ी हैं कि मंत्री जी आयें तो हम भी अपनी जनता द्वारा उनके पैर पखार कर पार उतार दें। मैं उम्मीद करती हूं कि यह सौभाग्य हमको मंत्री जी देंगे। मैं मंत्री जी को निमंत्रण देती हूं कि हमारे साथ चल कर देखें। यह नहीं कि बीस हजार और चालीस हजार की गाड़ी पर चलें बल्कि जिस तरह से मैं और वहां के लोग बस से सफर करते हैं उस पर चलें और देखें कि वहां की सड़कें कैसी हैं? एक दिन भी अगर आपको जाना और आना पड़ेगा तो मैं दावे के साथ कह सकती हूं कि एक हफ्ते तक आप चारपाई से उठने लायक नहीं रहेंगे और आपको अपना स्वास्थ्य ठीक करना पड़ेगा।

माननीया, कोई भी जिला ऐसा नहीं होगा कि तहसील से जिले तक सड़क न हो लेकिन डुमरियागंज ऐसा एरिया है कि जिले से तहसील तक सड़क नहीं बन पाई। चार मील बनती है और चार मील छूट जाती है और जब तक दूसरी बनने को होती है वह चार मील साफ हो जाती है। अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपके द्वारा मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि कम से कम उस पिछड़े हुये एरिया की तरफ ध्यान दें। हमारे यहां क्षेत्र भर में एक ही सड़क बनी हुई है। पगडंडी के रास्ते बहुत हैं लेकिन जिले से तहसील तक एक सड़क है और वह भी पूरी नहीं हुई है। बस्ती से बढ़नी तक कंक्रीट की सड़क बनाई जाय और सिगारजोत से शाहपुर तक जो सड़क आती है उसको भी पक्का बनाया जाय। जो रुधौली वाली सड़क बनी है उसके लिये मैंने एतराज किया था कि वह न बने और उतरौला से

[श्रीमती राजेन्द्रकिशोरी]

बांसी सड़क बनाई जाय। लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया और रुधौली वाली सड़क मंजूर हो गई।

तहसील डुमरियागंज के निकट ही उतरौला पड़ता है। मुंसिफी बांसी में है। अदालत चलती रहती है और किसानों के आने-जाने का कोई साधन नहीं है। उतरौला से आदमी किस प्रकार आते हैं, मंत्री जी स्वयं इस बात पर ध्यान दें और उन्हें सुविधा प्रदान करने के लिये कार्यवाही करें। बरसात के समय जो हालत होती है उसे कहते हुये शर्म आती है। पुरुष लोग तो जांघिया पहन कर तैर कर आ जाते हैं लेकिन माननीया, मुझे शर्म आती है कहते हुये कि बहिनें किस प्रकार से अपनी साड़ी उठाकर कितनी कठिनाई के साथ नाव में बैठ कर आती हैं और फिर भी एक मील तक पानी में उनको सफर करना पड़ता है तब जाकर कहीं तहसील पर आते हैं। एक स्त्री और एक बच्चा इसी धक्के-धुक्की में पारसाल किसान मेले में नाव पर से गिर कर डूब गये। मैंने कई दफा ध्यान दिलाया लेकिन कोई सुनवाई नहीं की गई। तहसील भर में एक अस्पताल है, एक ही इण्टर तक स्कूल है और बच्चे जब उधर से आते हैं तो अपने बस्ते कंधे पर रख कर किस प्रकार आते हैं उनकी कठिनाइयों को देखते हुये मैं मंत्री जी से कहूंगी कि बाढ़ के समय में उनकी स्कूल में गैरहाजिरी होती है। इसलिये मैं पुल के लिये मंत्री जी से प्रार्थना करती हूं।

बचत की जो योजनायें रखी गई हैं, चपरासी कम कर दिये गये और जो सुविधायें दी जाती थीं दवाई आदि की वह बन्द कर दी गईं। यह बचत मेरी समझ में नहीं आती। इससे हमको सफलता क्या मिलेगी जब कि हमारे इस विभाग में इंजीनियर, ओवरसियर्स काफी तादाद में बढ़ा दिये गये? मुझे तो ताज्जुब होता है कि १२० रुपया तनख्वाह पाने वाला ओवरसियर कहां से मोटर साइकिल रख पाता है? जब कि यहां पर ५००, ६०० रुपया तनख्वाह पाने वाले अधिकारी साइककिल पर ही चलते हैं। ओवरसियरों से बात की जाय तो सीधे मुंह बात नहीं करते, बात करना नहीं जानते। इसलिये जो चपरासी कम किये गये हैं, अगर आप इस लायक हो गये हैं कि अपना सब काम अपने आप कर सकते हैं तो सब को खत्म कर दीजिये, मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो दवाई की सहायता बन्द कर दी गई है यह बिलकुल गलत हुआ है।

मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगी कि वह अपने विभाग की देख रेख करने के लिये थोड़ा-सा समय अवश्य निकालें। जो साहित्य हमको मिला है उसमें कई जगह उद्घाटन करने की बात आयी है, बड़े-बड़े पुलों का जिक्र है जो लाखों की कीमत से बनते हैं। इन उद्घाटनों में जो रुपया खर्च होता है इसको समाप्त करके जनता के फायदे में लगाना चाहिये। इस साहित्य में कितनी ही जगह गलत शब्द लिखे हुए हैं। डुमरियागंज को डोमरियागंज लिखा गया है। बस्ती जिले में मेहदावल को मेढ़ावल लिखा गया है। मोहनलालगंज को मोहननेवाजगंज छपा है। इस तरह की कई अशुद्धियां हैं। कम से कम इसको दुरुस्त करवाइये। १९६०-६१ की कार्यवाही में परिशिष्ट में यह दिया हुआ है कि बढ़नी बस्ती बरेली क्षेत्र में है जबकि वह जिला बस्ती में है। आप सड़कें दीजिये या न दीजिये लेकिन कमसे कम जिले को तो गलत साबित न कीजिये और उसे बस्ती में ही रहने दीजिये।

हमारे यहां सड़कों पर क्या होता है? पहले जो मंत्री महाबीर सिंह थे उन्हें भी लिखा और यह भी लिखा कि सड़कों पर कांक्रीट न डाल कर ईंटों का रोड़ा डलवा कर उसी पर तारकोल डलवा दिया जाता है जिससे वे सड़कें चार दिन नहीं चल पातीं। जो सड़क डुमरियां-गंज से शाहपुर गई है वह जैसी की तैसी बनी हुई है। एक बार आप जाकर उसे स्वयं देख लें तो बड़ी भारी कृपा होगी।

इतना कह कर मैं जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है उसका विरोध करती हूं।

श्री दर्शन सिंह (जिला शाहजहांपुर)—माननीया अधिष्ठात्री महोदया, सदन में जो कटौती का प्रस्ताव आपके समक्ष पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करता हूं । सार्वजनिक निर्माण विभाग का दूसरा नाम पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेंट है यह बात आपके सामने बहुत मर्तबा कही जा चुकी है। इसको पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेंट क्यों कहा जाता है, इसके लिये मुझे ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। वजह यह है कि जितना भी रुपया इसमें व्यय होता है उसमें से अधिकतर व्यर्थ चला जाता है। हमारे प्रदेश का १९ करोड़ रुपये का बजट इस मद में है। हमको देखना यह है कि इस १९ करोड़ रुपये से से कितना धन ऐसा है जो हमारे काम में आयेगा, कितना रुपया ऐसा है जो व्यर्थ चला जायगा, कितना रुपया ऐसा है जो गबन में चला जायगा, कितना रुपया ऐसा है जिसका खर्च कागजों में दिखला दिया जायगा और मौके पर कोई भी चीज मौजूद नहीं होगी। यह एक ऐसी बात है जिस पर हमें गम्भीरता से विचार करना है और इसके लिये माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस संबंध में जांच करें और पिछले दिनों में जो कुछ होता रहा है उसे न भूलते हुए आइंदा के लिये ऐसा कदम उठायें जिससे जो हमारे ऊपर यह कलंक का टीका पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेंट का लगा हुआ है वह धुल जाय।

अब मैं निवेदन करूंगा कि और भी बहुत से विभाग हैं जिनके मुताल्लिक यहां सदन में चर्चा होती है। लेकिन इस सार्वजनिक निर्माण विभाग को इस कदर बुरा क्यों कहा जाता है? यह एक ऐसी चीज है कि जिस पर इस सदन को विचार करना है। मिसाल के तौर पर यह बतलाया गया कि जो इस विभाग के कार्यकर्त्ता हैं वे इस प्रकार के होते हैं जो यह चाहते हैं किसी न किसी तरह से उनकी जेबें गर्म होती रहें। हमारे इस विभाग में कई चीफ इंजीनियर बढ़ गये हैं और इंजीनियर्स की भी संख्या बढ़ती जाती है। काम भी उसके साथ बढ़ते जाते हैं लेकिन वह इंजीनियर क्या काम करता है इस चीज पर आज हमको विचार करना है। मैं ज्यादा तो नहीं जानता हूं, लेकिन मैंने उस समय भी इंजीनियर्स देखे थे जो आज से २० साल पहले के थे और आज के भी इंजीनियर्स देखे हैं जो सैकड़ों की तादाद में इस प्रदेश में नजर आते हैं। उस समय का इंजीनियर कोशिश करता था, काम समझता था, काम की देख-रेख करता था लेकिन आजकल का इंजीनियर सिवाय इस बात के कि मोटर में बैठकर इधर-उधर घूमता रहे और यह देखता रहे कि ठेकेदार साहब और ओवरसियर साहब कहां हैं, किसी और चीज से उसको मतलब नहीं होता। यह बात कि इंजीनियर साहब को ठेकेदार और ओवरसियर की क्यों आवश्यकता है, वह क्यों उनसे मिलना चाहते हैं, इसमें हमें दूर जाने की जरूरत नहीं है, यह एक ऐसी चीज है जिसे यह सदन खूब समझ सकता है और मंत्री जी भी अच्छी तरह से जानते हैं। इसकी रोकथाम करना हमारी सरकार का कर्त्तव्य है और मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार इस ओर विशेष ध्यान दे कर कोई ठोस कदम उठायेगी जिससे इंजीनियर साहब बजाय ठेकेदार और ओवरसियर की तलाश करने के काम की देख-रेख किया करें ।

जहां तक इस विभाग की पालिसी का संबंध है, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है कि विभागीय अधिकारियों ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया है जिससे यह बढ़ती हुई बेईमानी दूर हो सके।

अब मैं आपकी तवज्जह एक बहुत अहम मसले की तरफ दिलाना चाहता हूं और वह यह कि हमारे सार्वजनिक निर्माण विभाग ने एक चीज जो खासतौर से की है जिसके ऊपर इस सदन को गौर करना है वह यह कि उन्होंने १८५२ का ब्रिजेज ऐक्ट लागू कर दिया है, यानी गदर से पहले का एक कानून इस विभाग ने इसलिये लागू किया है कि जनता से टोल और टैक्स वसूल

[श्री दर्शनसिंह]

किया जा सके। १८५२ में जबकि ईस्ट इंडिया कम्पनी थी, जबकि उसको इस बात की जरूरत थी कि हिन्दुस्तानियों से टोल और टैक्स वसूल किये जायं तब उसने वह कानून बनाया था लेकिन हमारी आज की कांग्रेस सरकार ने उसी कानून को जिसे वह एक हैवानियत का कानून कहा करते थे, जिसको आज से १५-१६ साल पहले यह कहा करते थे कि वह कानून ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया है, उसमें हम हिन्दुस्तानियों से कोई सलाह और मशविरा नहीं लिया गया है और वह बिलकुल रद्दी की टोकरी में फेंक देने के काबिल है, उसको हम पर फिर लाद दिया है।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)---माननीया, हाउस में कोई शांति की व्यवस्था नहीं है, लोग आपस में जोर-जोर से बातें कर रहे हैं और एक चौपाल-सी सदन को बना रखा है।

श्री अधिष्ठाता---माननीय सदस्य शांति कायम करने की कोशिश करें।

श्री दर्शनसिंह---यह एक बड़े दुख की बात है। सन् १८५२ का वह कानून इसलिये बनाया गया था कि जो पुल या सड़कें बनायी जायं या जिनकी मरम्मत की जाय उनका खर्च उन्हीं आदमियों से वसूल किया जाय जो उनको इस्तेमाल करें। आज जबकि हम १९६०-६१ में बैठे हैं तो १०८ साल पहले का कानून हम पर लादा जाता है। और इस बीच में ऐसे बहुत से कानून बन चुके हैं जोकि उस कानून को बिलकुल रद्द कर चुके हैं लेकिन फिर हमारी यह गवर्नमेंट उस कानून को काम में ला रही है।

इसके साथ-साथ मैं इंडियन नेशनल हाईवेज ऐक्ट की तरफ इस सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जोकि स्वतंत्रता आने के बाद बनाया गया, जो कि हमारी अपनी संसद ने पास किया और फिर यहां चालू हुआ। लेकिन उस कानून को एक रद्दी की टोकरी में फेंक करके १८५२ का कानून हमारे ऊपर लादा गया है। इंडियन नेशनल हाईवेज ऐक्ट के अन्तर्गत यह बात स्पष्ट है कि कोई भी पुल जो किसी इंडियन नेशनल हाई वे के ऊपर बनेगा उसके ऊपर किसी प्रकार का टोल आयद नहीं किया जायगा जब तक कि वह टेम्पोरेरी ब्रिज न हो या पैन्टून ब्रिज न हो। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमारी अपनी गवर्नमेंट ने एक जगह नहीं, दो जगह नहीं बल्कि १३ जगह इन पुलों पर जो इंडियन नेशनल हाई वेज के बने हुये हैं टोल टैक्स लागू कर दिया है। मैं मिसाल के तौर पर शाहजहांपुर की समस्या को सदन के सामने रखना चाहता हूं। वहां एक नदी है जिसका नाम खन्नौत है। वह शहर के बीच में से गुजरती है उस पर नवाबी पुल बना हुआ था। वह टेढ़ा जाता था। इसलिये इंजीनियरों ने कहा कि इसको सीधा किया जाय और १९३५ में टेढ़ेपन को दूर करने के लिये उस पर एक लिंटल डाल दिया गया उसका नतीजा यह हुआ कि १९५८ में वह पुल नेस्तनाबूद हो गया और लखनऊ-बरेली रोड का यातायात बन्द हो गया। इसलिये सरकार ने तय किया कि इस पर नया पुल बनाया जाय।

अब इसकी प्रगति का अंदाजा लगाइये कि यह पुल अक्तूबर ५८ में गिरा और पुल बनाने के लिये टेंडर्स इनवाइट किये गये। इसके बाद इसका निर्माण शुरू हुआ और धीरे-धीरे यह पुल १९६१ में बनकर तैयार हुआ है। इसके बाद १५-२० दिन पुल चला था कि गवर्नमेंट के आर्डर्स आ गये कि जो इस पुल को इस्तेमाल करेगा उसको टोल टैक्स देना पड़ेगा। अब आप देखिये कि गलती किसकी थी, क्यों पुल गिराना पड़ा और क्यों बनाना पड़ा? इसके लिये मैं पी० डब्लू० डी० को जिम्मेदार समझता हूं। अगर इसके टेढ़ेपन को सीधा न किया गया होता तो यह पुल दुबारा न बनाना पड़ता। अब जो पुल बना है यह भी उसी तरह का टेढ़ा है जैसा कि नवाबी पुल था। इसमें एक तरफ खड़े हों तो दूसरी तरफ का दिखाई नहीं देता। तो क्या जरूरत थी कि इसके टेढ़ेपन को दूर करने के लिये साढे आठ लाख रुपया खर्च किया जाता। यह एक ऐसी चीज है जिस पर मंत्री जी को ध्यान देना चाहिये। शहर के बीच में यह पुल है। इसके एक तरफ तिहाई और दूसरी तरफ दो तिहाई आबादी है और इसी तरफ कचहरी, अस्पताल,

रेलवे स्टेशन, आफिसेज, स्कूल कालेजेज और बाजार हैं और सारा कारोबार इधर ही होता है। अगर कोई शख्स जरा सी भी चीज लेकर उस पुल पर से गुजरता है तो उसको टोल टेक्स देना पड़ता है। ट्रक से साढ़े सात रुपये, कार से सवा रुपये और कोई शख्स जरा सी भी चीज लेकर जाता है तो दो पैसे टोल के देने पड़ते हैं। यह सरकार का न्याय है।

इसके साथ ही साथ दो पुल और इसी नदी पर टूटे हैं और वे आज तक बनकर तैयार नहीं हुये। इंडियन नेशनल हाईवेज का पुल नम्बर २४ बड़ी मुश्किल से बार बार लिखने पर, डेपुटेशन के आने पर और चीफ इंजीनियर से मिलने पर बन कर तैयार हुआ। दो जगह और पुल गिरे थे लेकिन वह आज तक उसी हालत में पड़े हुये हैं एक पुल की कहानी बड़ी अजीब है, जो शाहजहांपुर को पुवायां से निकट कनेक्ट करता है। उसकी दशा यह है कि उसका खम्भा बनाया गया। वह इस प्रकार से बना कि वह टेढ़ा हो गया। बाद में ठेकेदार महोदय ने यह कहा कि साहब गलत हो गया है। अब फिर से एस्टीमेट बनना चाहिये तीन चार महीने तक यही मसला पड़ा रहा और किसी तरह से गोलमाल करके फिर उसी खम्भे पर पुल निर्माण किया जा रहा है।

आखिरी बात मैं आपके सामने यह रखना चाहता हूं कि इस पुल के ऊपर जो टोल लगाया गया है उसको गवर्नमेन्ट नहीं हटाती है तो उसके लिये हम को आन्दोलन करना पड़ेगा। यह मैंने, माननीय मंत्री जी से जब मैं मिला था तब भी उनको बतला दिया था। माननीय मुख्य मंत्री जी से भी इसका जिक्र किया था। तब भी मैंने उनसे यह बात गुजारिश कर दी थी। उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया था कि गवर्नमेन्ट बहुत जल्द इस मसले को तय करने जा रही है। लेकिन निहायत अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जबकि आज दो महीने से अधिक हो गये हैं आज तक गवर्नमेन्ट फैसला न कर सकी कि हम को क्या करना है और क्या नहीं करना है? यह एक ऐसी समस्या है जिससे शाहजहांपुर की जनता में बड़ा असंतोष है। असंतोष होने का कारण भी है। अगर कोई आदमी बीमार है, और वह अस्पताल जाता है, रिक्शे पर जाता है, तो टोल दे, डोली में जाता है, तो टोल दे, अगर डाक्टर को बुलाता है तो टोल दे। उधर जाने के लिये डाक्टरों ने ७ रुपये फीस कर दी है। पहले पांच रुपये लिया करते थे। अगर अब नदी पार जाते हैं तो ७ रुपये लेते हैं—पांच रुपये फीस के और दो रुपये टोल के।

गवर्नमेन्ट को चाहिये कि वह बहुत संजीदगी के साथ विचार करे और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी इस बात का विशेष नोट लेंगे और यह देखेंगे कि बहुत जल्दी यह टोल हटा लिया जाता है वरना आन्दोलन की तैयारियां हो चुकी हैं। उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेन्ट पर होगी।

श्री गौरीराम गुप्त (जिला गोरखपुर)—अधिष्ठात्री महोदया, आपने आज इस अनुदान पर मुझे जो बोलने का अवसर दिया है इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। आज जो माननीय निर्माण मंत्री ने अनुदान पेश किया है उसका मैं समर्थन करने के लिये तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अधिष्ठात्री महोदया, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की तरफ से यह किताब बटी है, उसमें जब हम उत्तर प्रदेश में सड़कों की प्रगति को देखते हैं तो बहुत दुख होता है। जो बहुत छोटे-छोटे सूबे हैं वह हम से दूनी सड़कें बना चुके हैं। जैसे मदरास है, आंध्र है, मैसूर है, यह बहुत छोटे सूबे हैं। उत्तर प्रदेश हिन्दुस्तान का पांचवा हिस्सा है। इसमें करीब सात करोड़ आदमी बसते हैं। उस हिसाब से देखा जाय तो नाम मात्र को यहां सड़कें हैं। सड़कों की तरफ सरकार का ध्यान जाना चाहिये। जब कि कृषि, सिंचाई और शिक्षा की तरफ सरकार ज्यादा से ज्यादा रुपया देती है तो सड़कों के लिये जिसके लिये जनता द्वारा सरकार से और विधायकों

[श्री गौरीराम गुप्त]

द्वारा सदन में बराबर मांग होती रहती है, सड़कों पर ज्यादा से ज्यादा रुपया खर्च करना चाहिये। लेकिन न मालूम किस वजह से सरकार ने सड़कों के लिये बहुत कम रुपया दिया, ७ करोड़ दिया जो बहुत कम रुपया है। जिस देश में सड़कों का निर्माण नहीं होगा उस देश की तरक्की नहीं होगी। मेरे जिले में तो यातायात की ऐसी हालत है कि जब १९५२ में सूखा पड़ गया था तो उस वक्त में गल्ला ले जाने का कोई रास्ता ही नहीं था। इस तरह सड़क के महत्व को देखते हुये मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि सड़कों के लिये रुपया बहुत कम है, वह अधिक रखा जाना चाहिये। इससे काम नहीं चलेगा। उत्तर प्रदेश में प्रति १०० मील के क्षेत्र में ११.८० उसका प्रतिशत है जबकि आंध्र में १३.६८ है, दिल्ली में ४८.३६ है, मद्रास में ३०.२६ है और बंगाल में १६.७१ है। और प्रति हजार की आबादी पर मीलों की संख्या उत्तर प्रदेश में सबसे कम है। जबकि मद्रास में वह ०.५१ है, आंध्र में ०.४६ है, मैसूर में ०.५९ है, उत्तर प्रदेश में जिसकी इतनी बड़ी आबादी है ०.२१ है।

मैं अपने जिले गोरखपुर की बात कहना चाहता हूं। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ा जिला है और बहुत गरीब इलाका है। वहां हमेशा दैवी प्रकोप हुआ करता है, बाढ़ सूखा वगैरह बराबर आते रहते हैं। वहां सरकार की तरफ से हमेशा कोई न कोई सार्वजनिक निर्माण का कार्य वहां की गरीबी और तकलीफों को कम करने के लिये किया जाना चाहिये। मैंने जो यह किताब अभी देखी है तो उसमें सड़कें हमारे पड़ोस के जिलों में नयी योजनाओं में रखी गई हैं लेकिन गोरखपुर जिले का जब देखता हूं और गिनता हूं कि कितने मील सड़कें हैं तो, माननीय अधिष्ठात्री महोदया, मुझे बड़ा अफसोस होता है कि इतने बड़े जिले में जहां गोरखनाथ जैसे महात्मा पैदा हुये और कुशीनगर ऐसा स्थान है जहां कि गौतम बुद्ध पैदा हुये, उसकी तरफ बिलकुल ध्यान नहीं दिया गया है।

एक सड़क की बहुत दिनों से मांग की जा रही है जो कि एक जिले से दूसरे जिले का आदान-प्रदान कराती है और जहां से नैपाल का एरिया दो मील रह जाता है, वह कोल्हाई से ब्रिजमनगंज धानी होते हुये मेंहदावल रोड २७ मील की है। उसके बनाने के लिये हमारे जिले के और बस्ती जिले के एम० एल० एज० ने संयुक्त रूप से मांग की, वहां के सभा-सचिव माननीय कृपाशंकर जी और हमारे यहां के सभा-सचिव श्री इस्तफा हुसेन ने भी लिख दिया था कि इन सड़क को प्राथमिकता मिलनी चाहिये तथा भूतपूर्व डिप्टी मिनिस्टर महावीर सिंह जी इस महकमे के थे उन्होंने भी लिखा कि इसको प्राथमिकता दे देनी चाहिये और इसको बनवा देना चाहिये, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि जब मैंने बजट देखा तो अपने जिले में उस सड़क को नहीं देखा। यह सड़क नहीं ली गई जबकि नैपाल राज्य में बुटवल का एक बहुत बड़ा बाजार है और फैजाबाद जिले के टांडा नामक स्थान से हजारों गाड़ी हैंडलूम के कपड़े वहां जाते हैं तथा बुटवल से हल्दी सोंठ कितने ही टिन घी बहुत काफी हल्दी, सोंठ तथा दालचीनी, धनिया वगैरह फैजाबाद और लखनऊ आता है। उस सड़क के न बनने की वजह से ७०-८० मील का चक्कर काटना पड़ता है और गोरखपुर होकर के सहजनवां, मगहर तथा खलीलाबाद होकर आना पड़ता है। मैं आपके द्वारा माननीय निर्माण मंत्री से निवेदन करूंगा कि इस सड़क को इसी साल ले लें और उसके लिये सप्लीमेंटरी बजट लाकर उस कार्य को शुरू करवा दें।

एक सड़क जो नौतनवां से गोरखपुर जाती है उसकी हालत बहुत ही खराब है। इतनी दर्दनाक हालत है कि जब कभी बसों में हम चलते हैं तो उसमें ऐसी दिक्कत होती है कि जिसका बयान नहीं किया जा सकता। बस में जो लोग बैठे रहते हैं इस तरह छींटाकसी करते हैं कि देखिये यही सड़क सरकार बनवाती है। हम लोग क्या करें? जनता को समझाते हैं। हमारी तहसील में एक मील भी सीमेंट रोड और पिच रोड नहीं है।

अभी जब हम लोग दूसरी जगह जाते हैं, शाहजहांपुर, कानपुर, बराबंकी या बांदा की तरफ जाते हैं तो देखते हैं कि सब जगह पिच रोड बनी हुई हैं लेकिन तहसील फरेंदा इसी तरह से पड़ा हुआ है। वहां पर एक भी मील पिचरोड की सड़क नहीं है। वह हमारा निर्वाचन क्षेत्र है

जिसमें इस तरह की सड़क नहीं है। इस सरकार को गोरखपुर जिले से सब से ज्यादा टैक्स के जरिये से आमदनी होती है। जंगलों से आमदनी होती है जो लाखों करोड़ों के करीब है। चीनी मिल हैं, उससे भी ज्यादा आमदनी होती है। वहां पर दो मिल की बात थी लेकिन एक मिल पंचवर्षीय योजना में तोड़ दिया गया है। मैंने सरकार से कहा था कि वहां पर दूसरा मिल खुलना चाहिये। इन सड़कों की हालत को देखते हुये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि गोरखपुर जिले की जनसंख्या को देखते हुये, वहां की गरीबी को देखते हुये वहां पर ज्यादा से ज्यादा सड़कें बनाने की कृपा की जाय। अभी नई योजना के अन्तर्गत कई सौ मील लम्बी सड़कें बननी हैं मैं चाहता हूं कि उसके अन्तर्गत ज्यादा से ज्यादा सड़कें हमारे जिले के अन्दर बनाई जायं।

मैंने यह भी देखा है कि बांदा एक छोटा-सा जिला है। पहाड़ी इलाका है लेकिन वहां पर मैंने यह देखा कि ज्यादा से ज्यादा सड़कें नई योजना के अन्तर्गत बनाई गईं। इसके अलावा सरकार को यह भी देखना चाहिये कि जिस सड़क पर हजारों आदमी चलते हों, हजारों बैल गाड़ियां चलती हों, पचासों ट्रकें चलती हों, कारें चलती हों तो उसके महत्व को देखते हुये उसको बनाना चाहिये। मैं आलोचना नहीं करता हूं किन्तु अपना सुझाव रखना चाहता हूं कि गोरखपुर जिले की उन सड़कों की तरफ ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिये जो एक जिले से दूसरे जिले को आदान-प्रदान करती है। मैंने यह भी देखा कि जहां पर उस सड़क की जरूरत नहीं है और जहां साल में २००,४०० आदमी चलते होंगे उस सड़क को बनाया गया है, लेकिन हमारे यहां इतनी महत्वपूर्ण सड़क होते हुये भी सरकार का ध्यान आज तक नहीं गया। मैं पुनः मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि सरकार फरेंदा-ब्रजमनगंज सड़क को बनाने की जल्द से से जल्द कृपा करे। ब्रजमनगंज से फरेंदा को जाने वाली सड़क गोरखपुर तक जाती है। उसमें बीच में थोड़ा सा हिस्सा पड़ा हुआ है जो १० मील के लगभग है। थोड़े दिनों पहले वहां पर रोडवेज की बस चलाई गई थी लेकिन उस सड़क के कच्ची होने की वजह से उस बस को रोक दिया गया है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग ने हमारे जिले में कुछ अच्छे कार्य भी किये हैं, राप्ती नदी के वर्ड घाट पर पुल बनवा रही है। उसके बनने से लोगों को आने-जाने की बहुत सुविधा होगी। साथ ही साथ मुझे यह भी कहना है कि हमारे जिले में जो मानीराम पुल बनाया गया है उस पर टोल टैक्स लिया जाता है। बैलगाड़ियों से वह टैक्स वसूल किया जाता है। अगर उस टैक्स को उठा लिया जाय तो यह बहुत अच्छी बात होगी क्योंकि किसान और गरीब लोग भाड़ा लाद कर उस पुल से आते और जाते हैं। वह अपना सामान लादकर गोरखपुर जिले में ले जाते हैं और वहां पर बेचते हैं लेकिन उन लोगों को उस पुल पर टोल टैक्स देना पड़ता है। अगर मोटर और कार या जीप पर टोल टैक्स लगे तो ठीक बात हो सकती है क्योंकि वे बड़े लोगों के पास होते हैं। लेकिन किसान और गरीबों की बैलगाड़ी पर टोल टैक्स लगाया जाय तो यह अच्छी बात नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि उस पुल से जल्द से जल्द टोल टैक्स हटाने का प्रयत्न करें।

दूसरी बात यह कहना है कि घाघरा नदी पर जो पुल बन रहा है वह बहुत बड़ा काम किया है है जो कि अंग्रेजी सरकार १५० वर्ष यहां रह कर भी नहीं कर पाई। कांग्रेस सरकार ने उस पुल के बनाने का बीड़ा उठाया है। मैं उसके लिये चीफ इंजीनियर, सुपरिन्टेन्डेन्ट इंजीनियर को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस पुल को बनाने का काम शुरू किया है। साथ ही मैं यह भी निवेदन करूंगा कि उस काम में ढिलाई न की जाय बल्कि और तेजी के साथ उस काम को किया जाय।

एक बात और कहूंगा कि फरेंदा धानी सड़क पर इस समय यातायात की असुविधा है। उस सड़क पर घोघी पर एक पुल बनाने की आवश्यकता है अगर उस सड़क पर पुल नहीं बनाया गया तो वह सड़क बिलकुल बेकार होगी।

[श्री गौरीराम गुप्त]

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि एक सड़क बांसी से धानी तक समझ लीजिये, जाती है। बीच में एक पनघटिया घाट है जहां से होकर संत विनोबा भावे आये थे उस जिले में। उस समय एक मांग यह थी कि उस सड़क को बनवा दिया जाय और भूतपूर्व निर्माण मंत्री श्री विचित्रनारायण जी ने आश्वासन दिया था कि उसे बनवाने के प्रश्न पर वे विचार करेंगे। इस सरकार को उस ओर भी ध्यान देना चाहिये।

इसके अतिरिक्त पी०डब्लू० डी० की तरफ से जो ठेके दिये जाते हैं वह पुराने और नये ठेकेदारों को ही दिये जाते हैं। मेरा सुझाव है माननीय मंत्री जी को कि वे इन ठेकों को एक बार कोआपरेटिव को भी देने की कृपा करें। छोटे मोटे काम ही उनको दें और देखें कि वे चला सकती हैं या नहीं।

अंत में मेरा अनुरोध है कि कोल्हई बृजमनगंज और धानी होते हुये मेंहदावल वाली सड़क पर जल्द से जल्द ध्यान दे कर उसे इसी बजट वर्ष में पूरी सड़क को पक्की कराने की कृपा की जाय।

श्री रघुवीरराम (जिला गाजीपुर)—आदरणीय अधिष्ठात्री महोदया, जो सार्वजनिक निर्माण विभाग का अनुदान आज पेश है उस पर गोविंदसिंह बिष्ट जी के कटौती प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

आज हिन्दुस्तान में जो विकास कार्य तेजी से चल रहा है उसमें निर्माण एक खास चीज है और अगर निर्माण पर हमारी सरकार खास ध्यान नहीं देती तो उसका मतलब यह है कि विकास का एक अंग अधूरा रह जायगा। विकास के लिये शहरों, जिलों और सूबों को एक दूसरे से सड़क अथवा यातायात के अन्य साधनों से मिलाना जरूरी है और इसलिये मैं आप के द्वारा मंत्री जी से कहूंगा कि इस ओर वे विशेष ध्यान दें। १९४३ में नागपुर में भारत के मुख्य अभियंताओं की बैठक हुई थी जिसमें उन्होंने विचार विनिमय करके यह निष्कर्ष निकाला कि उत्तर प्रदेश में १९४५ में करीब ९००० मील पक्की सड़क बनाने का लक्ष्य था। वह टार्गेट १९४८ में १६,५०० मील का कर दिया गया, लेकिन दोनों में से किसी की भी पूर्ति नहीं हो सकी। अगर देखा जाय तो सार्वजनिक निर्माण विभाग का कार्य जनसंख्या के अनुपात में नाम मात्र का हुआ है और यह कोई महत्व की चीज नहीं है, और कोई संतोषजनक चीज नहीं है। जनता को इससे संतोष नहीं है।

अधिष्ठात्री महोदया, इस तरह की बातें अगर होती हैं और हर बात में अपने-अपने स्वार्थ को सामने रखा जाता है यह वह बातें मुल्क के हित में नहीं हो सकतीं। आज हम हर बात में अपना व्यक्तिगत स्वार्थ देखते हैं। वे यह सोचते हैं कि अगर मिनिस्टर साहबान की हमारे ऊपर मेहरबानी हो गयी तो हमारा काम बन जायेगा, मगर यह कोई अच्छी बात नहीं होती है।

अब मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। माननीया, हमारे सूबे में सन् १९४३ और १९४८ में जब नागपुर सम्मेलन हुआ था तो उस सम्मेलन में अभियंताओं ने मिल कर यह तय किया था कि इस किस्म से सार्वजनिक कार्य किया जाय कि प्रत्येक ग्राम से जो सड़क से दूर हो वह गालिबन ५ मील, ४ मील और डेढ़ मील से ज्यादा दूरी पर न हो। मैं पूछना चाहता हूं कि वह जो लक्ष्य आपने रखा था उसकी पूर्ति हुई? नहीं हुई?

श्रीमन्, जिस प्रकार से भ्रष्टाचार इस विभाग में बढ़ा है उतना भ्रष्टाचार किसी विभाग में नहीं। दूसरे नम्बर पर पुलिस विभाग आता है। पहले कुछ दिनों के लिये चौधरी चरण सिंह जी ने इस विभाग का कार्यभार सम्भाला था, उन दिनों कुछ खलबली सी मच गयी थी लेकिन उसके बाद फिर वही हालत हो गयी है। उनके समय में लोग इतने भयभीत हो गये थे कि वे रोजाना की डाक देखा करते थे कि कहीं उनके सर पेंशन का आर्डर तो नहीं आ रहा है।

माननीया, आपको मालूम है कि ओवरसियर एक छोटा सा कर्मचारी होता है, मगर तीन महीने नौकरी करने के बाद ही उसके पास मोटर साइकिल हो जाती है। जब तक उसको सर्विस

नहीं मिलती तब तक तो वह देखने में टी०बी० का मरीज मालूम पड़ता है, किन्तु बाद को, नौकरी मिलने के बाद तीन महीने के अन्दर ही उसके पास मोटर साइकिल हो जाती है और साल भर के बाद तो वह उसे भी तोड़ डालता है। इस प्रकार से इस विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है। जितने भी निर्माण के कार्य होते हैं वे सभी कुछ ही दिनों में टूटने लगते हैं। अगर एक बोरा सीमेंट का दिया जाता है तो २० बोरे बालू के लगाये जाते हैं। काम खत्म होने पर ऊपर से थोड़ा सा सीमेंट लगा देते हैं ताकि मिनिस्टर साहब अगर देखें तो देख कर खुश हो जायं उनकी कृपा दृष्टि हो जाय। उसके बाद चाहे वह कुछ ही दिनों में ढह जाय या उसका जो कुछ भी हो। इस किस्म की बातें इस विभाग के अन्दर हैं। मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि आप इन कर्मचारियों पर ध्यान दें।

दूसरी बात यह है कि पी०डब्लू०डी० के जो इंजीनियर या चीफ इंजीनियर हैं वह बंगले में ही बैठे सारे नक्शे तैयार करते हैं लेकिन वह मजदूर जो अपने खून को जलाता है, पानी में डूबता है, धूप में रहता है, बड़ी बड़ी चट्टानों को काटता है उस पर जो गुजरती है वह उसके दिल से पूछिये। आज मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है कि आज उन छोटे कर्मचारियों की क्या हालत है? आज पश्चिम के इलाके में उनको ४० रुपया तनख्वाह दी जाती है और पूर्वी इलाके में ३० रुपये दी जाती है एक ही विभाग में इस तरह की असमानता हो, यह बड़े शर्म की बात है। मैं मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि इस तरह की असमानता को जल्द से जल्द दूर किया जाय।

तीसरी बात यह है कि जब बजट पेश नहीं हुआ था तब गवर्नर महोदय ने एलान किया था कुछ मंहगाई भत्ता बढ़ाने के सम्बन्ध में तो कुछ कर्मचारियों ने बड़ी खुशियां मनाई थीं और हम लोगों के दिल में भी खुशी हुई थी लेकिन वह तनख्वाह कोई बहुत ज्यादा नहीं बढ़ाई गई थी, केवल पांच, ढाई और साढ़े पांच रुपये ही बढ़ाई गई थीं। लेकिन पी०डब्लू० डी० के कर्मचारियों का एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया। जब और कर्मचारियों की तनख्वाह में ढाई रुपये, पांच रुपये और साढ़े पांच रुपये की बढ़ोत्तरी हुई तो उनकी तनख्वाह में एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया। यह बड़े दुख की बात है। वह हर समय अपनी ड्यूटी पर लगे रहते हैं। इस विभाग में जो बेलदार और माली होते हैं उनकी रात में भी ड्यूटी होती है। इसलिये मैं सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जिस तारीख से अन्य सरकारी कर्मचारियों की तनख्वाह में बढ़ती की गई उसी तारीख से पी० डब्लू० डी० के कर्मचारियों की भी तनख्वाह बढ़ाई जाय। सरकार को इस ओर जल्द से जल्द ध्यान देना चाहिये।

चौथी बात यह है जैसे कि रामसुन्दर पांडेय जी ने भी कहा कि पी डब्लू डी० में १२,१५ और २० साल तक की सर्विस के कर्मचारी हैं जिनकी सर्विस अभी भी अस्थायी है। मैं सरकार से और मंत्री जी से दरख्वास्त करूंगा कि पी०डब्लू०डी० के छोटे कर्मचारियों की सर्विसेज अस्थायी के बजाय स्थायी की जायं। और मान्यवर, आज मैं आपका ध्यान अपने डिस्ट्रिक्ट की तरफ खींचना चाहता हूं। आज हमारे गाजीपुर की यह दशा है, गाजीपुर नहीं यू०पी० के पूर्वी इलाके की यह दशा है कि सार्वजनिक निर्माण से एक दम से वंचित हैं। मैं तो कभी २ सोचता हूं कि गाजीपुर, बलिया को उत्तर प्रदेश की यह सरकार उनको बख्श देती और बिहार को दे देती तो शायद बिहार ही सरकार इन जिलों पर खयाल करती, लेकिन १३ वर्ष के शासन काल में पूर्वी जिलों को बराबर कुचला गया है। अगर एक तन्दुरुस्त आदमी को ६ मील वहां पैदल चलना पड़े तो उसकी दशा इतनी खराब हो जाती है कि उसको अस्पताल पहुंचाना पड़ता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि गोरखपुर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, आजमगढ़, जौनपुर इन जिलों की बहबूदी अगर सरकार करना चाहती है तो कम से कम अपनी तरफ से यह सरकार सेंट्रल गवर्नमेन्ट से यह सिफारिश करें कि गाजीपुर में गंगा नदी के ऊपर रेलवे ब्रिज बनाया जाय। मैं यह मांग करूंगा कि तारीघाट जहां रेलवे लाइन खत्म हो गयी है, वहां पुल जरूर हो ना चाहिये।

[श्री रघुवीर राम]

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने उस रोज मेरे क्वेश्चन का जवाब दिया। वह सड़क १९५७ में मंजूर हुई और अबतक यह कम्पलीट नहीं हुई है। बड़े दुःख की बात है कि यह करीब करीब बन चुकी है, लेकिन ८-७ फर्लांग जो मैं सई नदी पर पुल न होने के कारण रह गयी, उसकी वजह से अबतक पड़ी है। आपने यह कहा था कि भूमि की उपलब्धि न होने के कारण पुल नहीं बन पाया, लेकिन मैं वहीं का रहने वाला हूं, उस पुल से १०-१२ फर्लांग पर मेरा मकान है, लेकिन किसी किसान ने जमीन के लिये दखल अन्दाजी नहीं की। आज किसान चाहता है कि हमारी जमीन सारी निकल जाय, लेकिन पुल बने।

*श्री काशी प्रसाद पांडेय (जिला सुल्तानपुर)---अधिष्ठात्री महोदया, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि जो आपने मुझे इस अनुदान पर कुछ कहने का अवसर दिया। यह बहुत महत्वपूर्ण अनुदान है। आज हमारी सरकार सभी राष्ट्रीय विकास के कार्यों में लीन है। विकास के सम्बन्ध में इस तरफ और उस तरफ के बैठने वाले बराबर चर्चा करते हैं। आज के दिन हर साल हम लोग सार्वजनिक निर्माण विभाग के अनुदान के अवसर पर सरकार की काफी आलोचना किया करते हैं और हमारी सरकार की ओर से केवल एक दलील दी जाती है कि धनाभाव के कारण हम यातायात के मामले में और प्रदेशों के मुकाबले में बहुत पीछे हैं। बात भी सही है। हमारा देश यातायात के ममाले में बहुत ही पीछे है। इधर के बैठने वालों और उधर के बैठने वालों की यह शिकायत है कि चाहे हमारा प्रदेशीय मंत्रिमंडल हो, केन्द्रीय मंत्रिमंडल हो या प्लानिंग कमीशन हो, जो इस विभाग का रुपया है उसको काट करके दूसरे विभाग के बजट पर रुपया दे दिया करते हैं। वह इस विभाग के साथ ही अन्याय नहीं करते, बल्कि इस प्रदेश की ७ करोड़ जनता के साथ अन्याय करते हैं। हम सब लोगों की इस प्रकार एक मत से प्रदेशीय मंत्रिमंडल, केन्द्रीय मंत्रिमंडल और नियोजन आयोग से सिफारिश करने की आवश्यकता है कि यदि हम देश को विकास के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं तो अधिक से अधिक रुपया इस विभाग पर देना चाहिये।

इस विभाग में भ्रष्टाचार है, इसमें कोई दो राय नहीं हैं, लेकिन यदि हम अपने गांवों को जिनकी चर्चा किया करते हैं, उनको आगे ले चलना चाहते हैं, तो मैं सदन से आपके द्वारा यह अनुरोध करना चाहता हूं कि हम सब लोग इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करें और काम करने की बात सोचें। होता यह है कि प्लानिंग विभाग की ओर से कुछ रुपया खरंजे पर, कुछ गांव के पुल बनाने पर, कुछ पुलिया बनाने के लिये दे दिया जाता है। वह रुपया सिवाय दुरुपयोग होने के और किसी काम में नहीं आता है।

मैं आपको एक मिसाल बताना चाहता हूं कि हमारे सुल्तानपर जिले में एक प्लानिंग आफिसर, डिप्टी कमिश्नर उस समिति के और हम लोगों ने आपसी श्रम से २६ मील की सड़क ६ महीने में बनाकर तैयार कर दी, जिसमें बहुत कम रुपया लगा, इतना कम कि माननीय विचित्रनारायण शर्मा जी उस सड़क का उद्घाटन करने के लिये गये और उसके बाद उन्होंने कहा कि यदि हर जिले के अफसरान और जनता इस प्रकार से काम करे तो हमारा बहुत बड़ा निर्माण हो सकता है।

किन्तु मुझे बड़ा दुःख है कि यहां के मंत्रिमंडल के लोगों ने या सार्वजनिक निर्माण विभाग के लोगों ने न जाने किस तरह से यह आर्डर निकाल दिया कि इस प्रकार की बड़ी सड़कें श्रमदान के द्वारा न बनायी जायं बल्कि १-२ फर्लांग की एप्रोच रोड़ बनायी जा सकती हैं। बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं लिये जा सकते। यह आर्डर जिलों में पहुंच गया है। छोटी छोटी पुलिया या खरंजा लगाने का काम किया जा सकता है। मैं माननीय मंत्रीजी से अनुरोध

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

करूंगा कि वह रुपया जो खरंजे और नालियों पर खर्च किया जाता है वह छोटे-छोटे पुलों और बड़ी-बड़ी सड़कों पर लगाया जाय।

हमें जो पुस्तिका दी गयी है इसको देखने से ऐसा मालूम होता है कि किसी जिले में तो बहुत सी सड़कें बना दी गयी हैं और किसी जिले में बहुत ही कम। जिस जिले के लोग कम शोर मचाते हैं उन जिलों में बहुत कम सड़कें बनायी जाती हैं। मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उनको एक नियम बना देना चाहिये कि पहले उन सड़कों को बनाया जाय जो दो तीन जिलों को मिलाती हैं। यह न देखा जाय कि उसमें कोई विशेष व्यक्ति रहता है या नहीं बल्कि प्रदेश के हित को पहले देखा जाय।

सुल्तानपुर से शिवरी जाने वाली २० मील सड़क पक्की हो चुकी है। १६ मील सड़क बाकी रहती है जो शिवरी को अकबरपुर से मिलाती है। इससे फैजाबाद ८–१० मील ही रह जाता है और गोरखपुर से सीधा कनेक्शन हो जाता है तथा कानपुर के साथ भी संबंध हो जाता है। इसलिये इस १६ मील को पहले पक्का किया जाना चाहिये। इसी प्रकार से सुल्तानपर जिले में मूंडेधार से मंडवार तक पक्की सड़क बनायी जानी चाहिये। केवल १०–१२ मील की सड़क बना देने से उसका ताल्लुक बाराबंकी, रायबरेली और फैजाबाद से हो जायगा।

इसके अतिरिक्त हमारे जिले में एक सड़क है जो अकबरपुर से टांडा और वहां से इलाहाबाद सीधी जाती है। यह ऐसी सड़क है जो नैपाल की सरहद तक जाती है। इसमें गोमती नदी पर पुल की आवश्यकता है। नीचे से उसके लिये प्रपोजल हुआ लेकिन मंत्रिमंडल पर किसी मित्र का दबाव पड़ने के कारण वह पुल वहां से हटाकर दूसरी जगह कर दिया गया। इस प्रकार से पक्षपातपूर्ण तरीके से न्याय के बदले अन्याय कर दिया जाता है। इसलिये मैं अनुरोध करूंगा कि पहले उन सड़कों को ही लिया जाय जो एक जिले से दूसरे जिले को मिलाने वाली हों। यह चाहे मेरे जिले की सड़कें हों या दूसरे जिले की।

हम लोगों ने सुल्तानपुर में करीब ५६ मील सड़क एक साल में श्रमदान से बनायी जब कि विभाग को एक मील सड़क पर ४०–५० हजार रुपया खर्च करना पड़ता है। सरकार को यह कर देना चाहिये कि जो जिला श्रमदान से अपने यहां सड़क बनाये तो पहले उन सड़कों को ही लिया जाय। इससे प्रदेश का बड़ा भारी कल्याण होगा। मैं इधर के बैठने वाले और उधर के बैठने वाले सब माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि केवल आलोचना करने से काम नहीं चलेगा। आलोचना करने में इतना जरूर हो सकता है कि हम यह कहें कि वहां सड़क बनी तो मेरे यहां भी बन जानी चाहिये। यदि हम इस दिशा में कदम उठावें तो मैं माननीय मंत्री, माननीय मुख्य मंत्री के साथ ही साथ प्रदेश के प्लानिंग कमीशन का ध्यान इस ओर आकर्षित करूंगा कि वे सार्वजनिक विभाग की तरफ से अधिक से अधिक पैसा लगावें। क्योंकि जब हम कभी कहते हैं कि पुलिस विभाग में बड़ी कमी है, मैं आपको बतला दूं कि पुलिस चाहते हुए भी अपने थाने से उस जगह नहीं पहुंच सकती है जहां की डकैती पड़ रही हो जब तक कि वहां तक पहुंचने के वे साधन वहां मौजूद न हों जिनके द्वारा वहां पहुंचा जा सकता है। ६–६ महीने के लिये रास्ते बन्द हो जाते हैं और दरोगा जी रास्ता कोई न होने की वजह से थाने पर ही पड़े रहते हैं क्योंकि आखिर वे कहीं जांय तो कैसे जांय। रास्ता न होने की वजह से वहां ट्यूबवेल की मशीनरी नहीं पहुच पाती जिससे ट्यूबवेल नहीं लग पाते।

इसी तरह से मलेरिया उन्मूलन क सिलसिले में आपकी योजना है जिस पर पानी की तरह सरकार पैसे खर्च कर रही है लेकिन उस विभाग की मोटर में बैठ कर सिवाय इसके कि पटवारी और लखपाल के कागज से या किसी मंत्री जी के कागज से यह नोट कर आवें कि

[श्री काशीप्रसाद पांडेय]

इतने घरों में डी० डी० टी० का छिड़काव हुआ, और कोई काम नहीं होता। इसलिये सदन को चाहिये कि वह सार्वजनिक विभाग के मंत्री जी से अनुरोध करे कि इधर उधर जो फालतू खर्च होते हैं उनको निकाल कर वे इस विभाग को अधिक से अधिक रुपये दें। इसके साथ ही मंत्री जी को चाहिये कि वे अपने विभाग के इंजीनियर्स से इस बात का अनुरोध करें और उन्हें आज्ञा दें कि ब्रिटिश जमाने का जो एक पुराना सिस्टम बन गया है कि ५० हजार रु० या २५ हजार रु० में एक मील सड़क बनती है, उस नियम को वे बदलें।

(इस समय ३ बजकर ४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री रामनारायण त्रिपाठी, पुनः पीठासीन हुए।)

हालांकि पहले से महंगाई बढ़ गयी है, मजदूरों को ज्यादा मजदूरी देनी पड़ती है लेकिन फिर भी उसमें काफी अन्तर है और ठेकेदार और ओवरसियर के बीच में काफी रुपया खराब हो जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं माननीय मंत्री जी से अवश्य अनुरोध करूंगा कि वे अपने यहां के बड़े अच्छे-अच्छे विशेषज्ञ इंजीनियर्स की कमेटी बैठावें जो इस बात का अन्दाजा लगावे कि ५० हजार या २५ हजार फी मील के बजाय कम से कम कितने रुपये में एक मील सड़क बन सकती है।

इसके अलावा मैं मंत्री जी से कहूंगा कि हमारे जिले में करीब ५६ मील में जो २६ मील सड़क बनी है वह केवल ६ महीने में तथा जितने कम खर्च में बनी है उसी तरीके से, उसी ब्योरे के अनुसार अन्य जिलों में भी सभी लोगों के सहयोग से सड़कें बनवाने की तरफ ज्यादा ध्यान देने की कृपा करें।

श्री बदलूराम (जिला बहराइच)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात से बड़ा दुख है कि प्रत्येक वर्ष बजट के सम्बन्ध में विवाद करते समय कहा जाता है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्यापक रूप से भ्रष्टाचार चल रहा है, उसकी चर्चा हम करते हैं। यह शासन जो इस समय सत्तारूढ़ है उससे यह आशा करना कि इस भ्रष्टाचार को दूर कर सकेगा एक व्यर्थ प्रयास होगा। इसलिये मंत्री महोदय जो इस विभाग से सम्बन्धित हैं, उनसे बार-बार यह कहना कि आपके इस विभाग में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, केवल इस सदन के समय को नष्ट करना होगा।

इसके अलावा जब दूसरी पंचवर्षीय योजना बीत गयी और तीसरी योजना का प्रादुर्भाव होने जा रहा है और जब सत्ता दल के लिये केवल एक वर्ष ही अवशेष रह गया है, इसको दूर कर सकने में ये सफल होंगे, या यह कि भ्रष्टाचार की प्रगति कुछ रोक देंगे, यह कतई आशा नहीं करनी चाहिये। इस सम्बन्ध में एक बड़ी भारी बात यह है कि इस विभाग के सम्बन्धित जो बड़े-बड़े अधिकारी हैं वे भी अगर चाहें कि भ्रष्टाचार का विनाश हो तो वह शायद नहीं हो सकेगा। लेकिन बहुत कुछ अंश तक दूर हो सकता है।

एक कल्याणकारी और प्रगतिशील राज्य में आई० ए० एस० या मुख्य सचिव की उतनी महत्ता नहीं है जितनी कि एक इंजीनियर या साइंटिफिक विज्ञानवेत्ता या एक बड़े भारी मेडिसिन के जानने वाले की होती है। हम सब को दुख इस बात का है कि हमारे समाज के जो सब से अच्छे और ऊपर के लोग हैं, जो क्रीम हैं, जो इन्टेलीजेंशिया है वह इन इंजीनियर्स में से हैं और वह वह लोग हैं कि जो अपने जमाने में अच्छी से अच्छी श्रेणी में पास होते हैं और अपने कठिन विषयों में उन्नति कर के इस विभाग में आते हैं। उस विभाग के लोगों पर बार बार सदन के हर कोने से इस बात की चर्चा है, चाहे सत्ताधारी पार्टी के लोग हों या विरोधी पार्टी के सदस्य हों, सभी एक स्वर से कहते हैं कि भ्रष्टाचार इस विभाग में बहुत बढ़ा हुआ है और यहां तक लोग कह रहे हैं कि पुलिस का भ्रष्टाचार भी इस विभाग से कम है।

एक कान्सटेबिल या एक सब-इंसपेक्टर जो कि महज दसवां दर्जा पास होता है या इन्टरमीडियेट पास होता है वह अगर भ्रष्टाचार करे तो वह देश के लिये इतना घातक सिद्ध न होगा, एक लेखपाल या कानूनगो अगर भ्रष्टाचार करता है तो वह भी देश के लिये इतना हानिकारक और घातक न होगा जितना कि देश के अच्छे से अच्छे डिग्री प्राप्त व्यक्ति, अच्छी से अच्छी ऊंचे दर्जे की शिक्षा प्राप्त किये हुये व्यक्ति जो कि इतने बड़े वेतन पाते हैं और जिस के हाथों में लाखों और करोड़ों रुपये का बजट हो, वह व्यक्ति अगर भ्रष्टाचार में फंसे हों तो उन से देश के कल्याण की आशा करना एक दुराशामात्र होगी। यहां चाहे आज यह पार्टी शासन में हो या निकट भविष्य में कोई दूसरी पार्टी यहां आ जाय भ्रष्टाचार इनके द्वारा दूर हो जाय, प्रशंसा भले ही हम अपनी कर लें लेकिन वाकई बात यह है कि वह किसी के भी द्वारा दूर नहीं हो सकता। अगर वह भ्रष्टाचार दूर हो सकता है तो वह केवल उन्हीं लोगों के द्वारा हो सकता है कि जो आज बड़े-बड़े पदों पर इस विभाग में मौजूद हैं। अगर उन में सद्विचार और मनोबल बढ़ेगा तो हम इस रोग को अवश्य ही अपने में से हटा सकते हैं।

यह भ्रष्टाचार तो ल्यूकोडरमा के रोग की तरह है जिसे श्वेत कुष्ठ कहते हैं कि जिस में सारा शरीर तो अच्छा सुन्दर बना रहता है, उस का सुन्दर स्वरूप सब कुछ बना रहता है लेकिन शरीर में ४–५ श्वेत धब्बों के हो जाने से ही सारे शरीर की शोभा जाती रहती है और सारा आवरण और स्वरूप भद्दा मालूम होता है। यह हमारे सार्वजनिक जीवन में उसी प्रकार का कुष्ठ रोग है। उस को दूर करना हमारा आप का सब का सम्मिलित कर्त्तव्य होना चाहिये। केवल आलोचना करने या यहां कहने से ही वह कर्त्तव्य पूरा नहीं हो जाता। आज हालत यह है कि हर जिले में एन्टी करप्शन कमेटियां हैं लेकिन भ्रष्टाचार को निर्मूल करने में हमारी प्रगति क्या हुई है यह सदन के सम्मानित सदस्यों को भलीभांति ज्ञात है। यह भी एक स्वयं सिद्ध तथ्य है कि हमें अभी इस विषय में जितना सचेत होना चाहिये था वह नहीं हो सके हैं। हर व्यक्ति जानता है कि भ्रष्टाचार है परन्तु वास्तविकता यह है कि उस को मिटाने की दिशा में कोई अभी सचेष्ट नहीं है। मेरा तो यहां तक खयाल है कि अगर यह बजट का अवसर न मिले तो शायद भ्रष्टाचार के विषय में कोई बात भी न हो। जब तक हम में से हर व्यक्ति इस सर्वव्यापक बुराई की तरफ एक दिली कोशिश उस को मिटाने की नहीं करेगा तब तक इस बुराई को हम अपने में से दूर नहीं कर सकते।

मैं इस सामान्य वादविवाद के अवसर पर अधिक विस्तार में न जाकर केवल कुछ मुख्य-मुख्य बातों की तरफ ही आप का ध्यान और मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे यहां पयागपुर में कुछ बंगाल से आये हुये रिफ्यूजीज के क्वार्टर्स बने हैं जिन की कि संख्या ३२६ है। उन में से १७२ बन चुके हैं बल्कि मार्च तक १०४ बनने थे और कुछ आगे अप्रैल तक बनेंगे। मैं उन की तरफ मंत्री जी का ध्यान दिलाऊंगा कि वहां पर जो यह रिफ्यूजीज के क्वार्टर्स बने हैं वह ऐसे बने हैं कि जैसे उन में आदमी न रहेंगे और मुर्गा मुर्गी उन में रखे जायेंगे या कुक्कुट विभाग की किसी स्कीम के लिये बनाये गये हैं। मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि वह उन क्वार्टर्स की जांच करा लें कि वह किस तरह के बने हैं और कहां तक वह मनुष्यों के रहने योग्य हैं।

२ लाख से ऊपर रुपया सड़कों पर खर्च किया गया है और कहा गया है कि कार्य समाप्त हो चुका है। मैं आप के द्वारा मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि वह सड़क ऐसी बनाई गई है कि उस पर न कंकड़ डाला गया है और न रोड़ा ही डाला गया है। पहले जो पी० डब्लयू० डी० की सड़क डाक बंगले तक थी वह तो अब भी ठीक है उसके बाद बीच में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की, अंतरिम जिला परिषद् की ३ मील की सड़क गई और उसके बाद राजा साहब का एक

[श्री बदलूराम]

प्राइवेट रास्ता है, ५–६ मील सड़क बाकी रह गई है जिसको कि विभाग वाले कहते हैं कि यह सड़क उनके तत्वावधान में बनी है, २ लाख २० हजार रुपया खर्च हुआ है और कुछ पुलियों का निर्माण हुआ है। लेकिन पुलिया कोई नहीं बनी है और बघेल ताल की जब बाढ़ आती है तो लोग सड़क काट कर इस पार से उस पार चले जाते हैं।

१७ हजार ५०० कुछ रुपया है जिससे कि ५ कुयें शरणार्थियों के लिये बनेंगे। गवर्नमेन्ट की तरफ से जो तकावी कुओं के निर्माण के लिये दी जाती है उसमें १,२०० से १,५०० रुपये तक लगता है लेकिन शरणार्थियों के लिये जो बनेगा उसमें ३ हजार से ऊपर खर्च होगा। इतने रुपये की उसमें आवश्यकता नहीं है। अनुदान जो हुआ है वह ठीक है लेकिन ५ कुओं पर १७ हजार ५०० रुपये की धनराशि लगे यह बहुत बढ़ा चढ़ाकर एस्टीमेट रखा गया है और वह केवल इसलिये रखा गया है कि ८००–९०० में कुआ बने और बाकी रुपया जो मुफ्तखोरों का एक क्लास है–कंट्रेक्टर, ओवरसियर और अन्य अधिकारी जो उसमें दिलचस्पी रखते हैं–उनके हाथ में चला जाय।

सड़कों की जो सूरत है वह यह है कि शायद इस उत्तर प्रदेश में कहीं ऐसी सड़के हों जिनमें नाव भी चल सकती हो और गाड़ी भी चल सकती हो। लेकिन बहराइच से मल्हीपुर तक जो सड़क जाती है उसमें आप नाव चला सकते हैं। अगर शासन के पास इतना रुपया नहीं है और वह नहीं समझता कि उसका पुर्ननिर्माण किया जाय तो उसको नहर विभाग को दे दीजिये। कुछ खुदाई और करके वह नहर में परिणत कर दें। हम लोगों को मालूम हुआ कि इस सड़क को प्राथमिकता दी जाएगी नई स्कीम में लेकिन आज जो मैंने पढ़ा तो मालूम हुआ कि धर्मकुन्डा–नरसिंह डीह-पटना वाली सड़क स्कीम में है हालांकि जिले के अधिकारी कहते थे कि वह कैंसिल कर दी गई है और बहराइच-मल्हीपुर वाली ही रखी गई है। तो या तो आपका विभाग ठीक-ठीक सूचना नहीं रखता है या जान-बूझकर जनता को भ्रम में रखना चाहता है। जिले से मालूम होता है कि बहराइच-मल्हीपुर वाली सड़क के बनने की योजना है लेकिन यहां पर बजट में पटना वाली रोड रखी गई है।

भिनगा वाली रोड पर मंत्री महोदय जा चुके हैं। कहा जाता है कि आधुनिकीकरण के फेज में आ गयी है, लेकिन वहां पर ३ मील के आगे कोई प्रगति नहीं हो रही है। पहले कुछ दिनों तक रोड़े डाले जाते हैं फिर काम रोक दिया जाता है। फिर दो-डेढ़ वर्ष बाद दूसरी तरफ रोड़े डाले गये, जब दूसरी तरफ रोड़े डालना शुरू हुआ तो उधर का काम जो किया गया वह बर्बाद हो जाता है। तो नौ दिन चले अढ़ाई कोस। सत्ताधारी पार्टी के एक बड़े एम० पी० उस क्षेत्र के रहने वाले हैं तब भी वह नहीं बनती है।

श्रीमन्, कुछ लोगों का षड्यंत्र है कि यह बनाई ही न जाय क्योंकि अगर यातायात के साधन सुलभ हो जायेंगे तो शायद उनके क्षेत्र में भी लोग पहुंचने लगें। सब लोग तो चाहते है कि लोगों में जागृति हो, प्रगति हो, शिक्षा का प्रसार हो, लोग राजनैतिक दृष्टि से सचेत हों, लेकिन वह चाहते हैं कि वह सड़क इतनी खराब रहे कि कोई पार्टी वाला वहां न पहुंचे और न कोई सरकारी अफसर पहुंचे कि कोई जांच-पड़ताल हो सके। तो यह एक विचित्र दशा है और ऐसे लोगों की है जो कि आप ही लोगों से संबंधित हैं। इसका जो आधुनिकीकरण हो रहा है इसकी प्रगति कुछ और आगे बढ़ाएं जिससे आप ही लोगों के जमाने में यह सड़क बन जाय और आपको कुछ श्रेय मिल जाय।

भिनगा के क्षेत्र में जो पुल बन रहा है वह बहुत देरी से शुरू हुआ। पिछले वर्ष कंट्रैक्टर ने काफी रूपया कमाया। न उसने पुल बनाया और न गवर्नमेंट की तरफ से कोई शुरुआत हुई नतीजा यह हुआ कि काश्तकार लोग जो पुल से सस्ते किराये पर आते, उन लोगों को अपनी-अपनी गाड़ियों को नाव के द्वारा पार करना पड़ा। अतः भिनगा वाली सड़क पर जो पुल बन रहा है इसकी प्रगति को और तीव्र करना चाहिये। मैं केवल यही कहना चाहता

हूं। जो पुस्तिका निकाली गई है इसमें एक कोटेशन है ब्रिटिश प्रधान मंत्री का जो मैं पढ़ देना चाहता हूं :

"It is perhaps one of the happiest features of Road Planning and Construction that it requires co-operation from all who work on it and that it is not approached in any political or partisan spirit. This is as it should be.

—HAROLD MACMILLAN.
Prime Minister.
United Kingdom."

हमारा और आपका सहयोग हो बिना पार्टी लेविल के, देश के कल्याण में हम और आप एक हैं, देश की जागृति में एक हैं। यदि हम कोई समालोचना करते हैं तो इसलिये करते हैं कि आप में सुधार हो और जनता का कल्याण हो। यदि आप दीवार पर लिखे हुए राईटिंग को इस समय नहीं पढ़ेंगे तो आप जाने आपका भाग्य जाने। जनता आपके लिये प्रतीक्षा नहीं कर सकती है। देश की प्रगति--आपके लिये इंतजार नहीं कर सकती है? देश आगे बढ़ेगा, राष्ट्र आगे बढ़ेगा केवल इतिहास में यह लिखना बाकी रह जायगा कि यह प्रगति किसके द्वारा हुई। आप जब इतिहास के मोड़ पर खड़े हुए हैं तो अपने उत्तरदायित्व का सफलतापूर्वक सम्पादन किया अथवा नहीं, यही देखना है।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---श्रीमन्, मैं प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। माननीय गोविन्दसिंह बिष्ट जी ने अपने कटौती के प्रस्ताव को रखते हुए यह कहा था कि और विषयों से कटौती नहीं की जाती केवल सार्वजनिक निर्माण विभाग की मद से ही कटौती की जाती है। और उसके साथ ही उनका कटौती का प्रस्ताव कि जो थोड़ा काटने से बचा हुआ है उसको भी काटकर केवल एक रुपया कर दिया जाय। समझ में नहीं आता एक तरफ तो कहते हैं इस विभाग को अधिक से अधिक धन देना चाहिये और दूसरी तरफ जो काटने से बचा है उसे भी काट लिया जाय और केवल एक रुपया कर दिया जाय। तो एक रुपये में तो एक फर्लांग भी सड़क नहीं बन सकती। इसलिये जो कटौती का प्रस्ताव उन्होंने रखा है यह ठीक नहीं है, मैं उसका विरोध करता हूं।

बहुत सी आलोचनायें की गईं विभाग की लेकिन जो अच्छे कार्य किये हैं उनकी तरफ किसी ने जरा भी ध्यान नहीं दिया। मंत्री जी ने इस विभाग में रह कर जो एक व्यवस्था की है, मेरा मतलब श्रमिकों की सहकारी समितियों से है, वह प्रशंसनीय है। ठेकेदार किस तरह से ठेके के द्वारा अकेले बहुत ज्यादा रुपया ले लेते हैं और श्रमिकों को बहुत थोड़ी सी मजदूरी मिलती है। लेकिन अब सहकारी श्रमिकों की समितियों को जो ठेका देने का प्रयास मंत्री जी ने किया है यह अच्छा कदम है और मैं चाहूंगा कि इस तरफ और अधिक प्रयास करें।

दूसरा प्रयास मंत्री जी ने यह किया कि तृतीय योजना के लिये जिले में सड़कों के बनवाने के लिये हर जिले में उच्च अधिकारियों को भेजा जो वहां के विधायकों से मिले, वहां की जिला परिषदों से मिले और वहां की क्या आवश्यकतायें हैं, कौन सी सड़कों को प्राथमिकता दी जाय, इन सब चीजों की जानकारी की। यह अच्छा कदम था।

तीसरी चीज यह है कि इस विभाग में मंत्री जी ने यह थोड़ा सा प्रयास किया कि हरिजनों का जो उचित प्रतिनिधित्व नहीं था उस पर भी उन्होंने ध्यान दिया है। मैं मंत्री जी से यह कहूंगा कि पूर्ण रूप से इस पर ध्यान देने की कृपा करें। हमारे जिले जौनपुर में इलाहाबाद से लेकर आजमगढ़ तक, बनारस से लखनऊ तक और फैजाबाद से मिर्जापुर तक सड़कें आती जाती हैं। जब सड़कें वहां के लिये निर्धारित की जाती हैं तो इन सभी सड़कों को गिन लिया जाता है और कहा जाता है कि वहां पर बहुत ज्यादा सड़कें हैं और वहां पर सड़कों के लिये बहुत कम धन

[श्री माताप्रसाद]

दिया जाता है। लेकिन मैं मंत्री जी से कहूंगा कि इस जिले की सड़कों की तरफ भी ध्यान दें। इस सदन के सभी विधायकों ने मिल कर एक सुझाव दिया था कि जिले की एक सड़क थाना गद्दी जलालगंज-बड़ियाहूं-मछलीशहर-सुजानगंज-महाराजगंज- बदलापुर-खुटहन-गैरवाह-बनवा दी जाय तो हमारे जिले की काफी आवश्यकता पूरी हो जायगी।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से ९ रेलवे लाइनों की मांग की थी। उसमें एक रेलवे लाइन थी शाहगंज-खुटहन-मछलीशहर-जंघई। इससे सीधा संबंध हो जाता है आजमगढ़ तथा गोरखपुर से। अब तीसरी पंचवर्षीय योजना में राज्य सरकार की तरफ से ध्यान आकृष्ट किया गया है या नहीं, और अगर न किया हो तो यह रेलवे लाइन माननीय मंत्री जी जरूर बनवा देने की ओर केन्द्र का ध्यान आकृष्ट करें।

तीसरी चीज यह कहनी है कि जौनपुर शहर गोमती नदी के दोनों ओर बसा हुआ है। वहां शाही पुल बहुत पुराना है और गत वर्ष जो बाढ़ आई तो वहां के इंजीनियर और जिलाधीश ने यह घोषित किया था कि वह पुल बहुत खतरनाक है और उसके आवागमन को रोक दिया था। शहर के इस हिस्से को उस हिस्से से मिलाने का एकमात्र साधन वह पुल है। जिला परिषद् की यह मांग है कि वहां पर एक दूसरा पुल बनाना चाहिये जिससे एक तरफ से लोग आयें और दूसरी तरफ से लोग जायं जिससे पुराने पुल पर अधिक बोझ न पड़े क्योंकि वह कमजोर हो गया है जैसा कि बाढ़ के समय अधिकारियों ने घोषित किया था।

चौथी चीज यह कहनी है कि मछलीशहर से जंघई तक एक सड़क जाती है और वहां पर बसुही नदी का जो पुल है वह बहुत छोटा सा पुल है। सन् ५५ की बाढ़ में बहुत ज्यादा सड़क कट गई थी। उससे गांव को नुकसान होता है। वहां के पुल को चौड़ा करने के लिये मंत्री जी से दरख्वास्त की गई। आशा है मंत्री जी इस तरफ ध्यान देंगे।

एक बात यह है कि जौनपुर से लखनऊ आने वाली सड़क तारकोल की है लेकिन मछलीशहर टाउन एरिया सड़क उस सड़क का कुछ हिस्सा होती है वह बच गई है। मंत्री जी उसे भी तारकोल की बनवा दें तो वहां की जनता को बहुत ज्यादा सुविधा हो जायगी। इसके अलावा रोडवेज की बसें भी इसी सड़क से हो कर आती जाती हैं और बस स्टेशन भी इसी सड़क पर है। अगर इस हिस्से को तारकोल का कर दिया जाय तो वहां के लोगों की कठिनाइयां दूर हो जायें और रोडवेज की बसों को जो चक्कर दे कर आना जाना पड़ता है वह चक्कर न देना पड़ेगा।

मान्यवर, हमारे जिले में पिलकिछा में एक पुल की बड़ी आवश्यकता है। चन्दवक का एक पुल बन रहा है। वहां पर अभी तक पीपे का पुल था। जिला परिषद् ने भी निवेदन किया है कि जब वह पुल बनने लगे तो चन्दवक से वह पीपे का पुल हटा कर पिलकिछा में कर दिया जाय क्योंकि पिलकिछा के ऊपर का क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है, वहां पर बराबर बाढ़ आया करती है। अगर यह पुल वहां पर बना दिया जाय तो लोगों को बहुत सी कठिनाइयां दूर हो जायं और बाढ़ के जमाने में जो लोगों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है वह भी न उठानी पड़े। तो इस तरफ मंत्री जी ध्यान दें और पिलकिछा में एक पुल जरूर बनवायें।

मान्यवर, अभी उधर से आलोचना करते हुये माननीय भजनलाल जी ने कहा कि मुख्य मंत्री जी अपने क्षेत्र में सड़क बनवा रहे हैं और उसमें बहुत ज्यादा धन लगा रहे हैं। यह तो पहले की योजना है। प्रदेश का जो सीमान्त हिस्सा है वहां के लिये विशेष योजना है। दूसरे भागों के मुकाबले में वहां के लिये बहुत ज्यादा धन रखा गया है। उन्होंने यह भी कहा कि एक रुपये की जगह वहां दस रुपये खर्च किये जा रहे हैं। तो पहाड़ों में तो ज्यादा खर्च होगा ही। मैदान में अगर एक रुपया खर्च होगा तो वहां दस रुपये या उससे भी ज्यादा खर्च होंगे क्योंकि वहां पहाड़ों को तोड़ना पड़ता है और भी बहुत सी कठिनाइयां हैं। तो पहाड़ों में जो सड़कें बनवाने का प्रयास मंत्री जी कर रहे हैं वह बहुत प्रशंसनीय है खासकर इसलिये कि वह हिस्सा सीमान्त प्रदेश है।

मान्यवर, पी० डब्ल्यू० डी० के जो छोटे छोटे कर्मचारी हैं, जैसे मेट वगैरह, उनकी हालत बहुत दयनीय है और उनकी तनख्वाहें बहुत कम हैं। मंत्री जी को उनकी तरफ ध्यान देना चाहिये और उनकी तनख्वाह बढ़ानी चाहिये और जो दूसरे ऊपर के लोग उनको परेशान करते हैं उनकी ओर भी उन्हें ध्यान देना चाहिये। ये लोग रात दिन काम करके सड़कों और पुलों की देखभाल करते हैं।

एक चीज मैं और निवेदन करना चाहता हूं। हमारे जिले में एक सड़क जौनपुर से खुटैहन तक जाती है। वह सड़क १० मील तक तो पक्की हो चुकी है और ८-९ मील अभी बाकी है, वह कच्ची है। पहले खुटैहन सदर तहसील थी और वह शाहगंज तहसील के बीच में पड़ती थी लेकिन अंग्रेजों के जमाने में वहां से तहसील हटा कर शाहगंज में कर दी गई, मगर बीच में होने के कारण खुटैहन एक केन्द्रीय स्थान है। अगर वह ८-९ मील सड़क पक्की करा दें तो शाहगंज की जनता को जिले में आने जाने में बड़ी सुविधा होगी।

उधर के एक माननीय सदस्य ने कहा कि सीमेंट और अलकतरा की सड़कें बनती जा रही हैं। यह तो बहुत अच्छी बात है और इसके लिये वास्तव में मंत्री जी की प्रशंसा करनी चाहिये कि जहां कंकड़ की सड़कें बढ रहीं हैं वहां सीमेंट और अलकतरा की भी सड़कें बढ़ रहीं हैं। लेकिन इसके लिये भी हम लोग आलोचना करते हैं।

एक बात की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं। इस विभाग के कर्मचारियों की शिकायत की जाती है कि इनमें भ्रष्टाचार बहुत है। खैर कुछ लोगों में भ्रष्टाचार हो सकता है लेकिन सभी के लिये कहना उचित नहीं होगा। जो भी इंजीनियर्स या ओवरसियर्स किसी काम को देखकर यह कह दें कि यह काम ठीक हुआ है तो उसके लिये कोई समय निश्चित कर दिया जाय कि अगर इसके अन्दर यह खराब होता है तो उसकी जिम्मेदारी उनके ऊपर जानी चाहिये। मान लीजिये कोई पुल बनाया गया और इंजीनियर ने उसको पास कर दिया और वह साल दो साल में खराब हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी उस इंजीनियर के ऊपर जानी चाहिये। अगर उनको खमियाजा भुगतना पड़ेगा और ऐसा प्रतिबन्ध लगाया जायगा तो जो गड़बड़ी हो जाती है उसमें शायद कमी आ जायगी। इन शब्दों के साथ मैं इस अनुदान का समर्थन करता हूं।

*श्री टीकाराम (जिला बदायूं)---उपाध्यक्ष महोदय, अभी तक एक सज्जन बोल रहे थे उनकी बात सुनकर मुझे बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि काम में खराबी की जिम्मेदारी इंजीनियरों पर डालनी चाहिये। यह ढाई लाख की मशीन १९५६ से रखी हुई है, इस पर ४८,००० रुपये का डेमरेज पड़ा है और इसका सूद १५,००० रुपये होता है। इस तरह से ७५,००० रुपये होता है। यह मुल्क की बरबादी है और हम से रुपया मांगा जाता है। इसकी जिम्मेदारी इंजीनियरों पर जरूर डाली जाय।

हमारे यहां सैलाब आये और सड़कों को बहुत नुकसान पहुंचा। हमने एक बूढ़े से पूछा कि बाबा क्या बात है, तुम्हारे समय में इतने सैलाब नहीं आते थे अब क्यों आने लगे? उसने कहा कि पहिले पुल के दरवाजे बड़े होते थे और पानी निकल जाता था और रुकता नहीं था। लेकिन अब पानी ठहर जाता है तो कहां जायगा? अगर दरिया के बहाव के बराबर पुल के दरवाजे होते तब तो पानी फैलकर निकल जाता। इसलिये इन पुलों के दरवाजों को बड़ा बनाया जाय।

एक बड़े अफसोस की बात है कि कछला का पुल बना है। उसमें रुपया यहां से जा रहा है और किराया भी लगता है। क्यों भाई यह कैसा अंधेर? रुपया भी ले लो और किराया भी लो। किसान को हम कैसे समझावें? वह कहता है कि हम से रुपया लिया गया और अब किराया कैसा? यह बात सोचने की है। मंत्री जी इसको सोचें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री टीकाराम]

एक ताज्जुब मुझे इस किताब को पढ़कर हुआ। यह गवर्नमेंट की रिपोर्ट है। इसमें लिखा हुआ है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की वित्तीय हानि। एक पुल का मई, १९५७ में ठेका दिया गया कि मार्च, १९५८ तक बन जायगा। पुल तो नहीं बना लेकिन मकान बन गये और उसका रुपया डाला नहीं गया। जब आडीटर ने रिपोर्ट की और लिखा तो वह किसी पुल के हिसाब में डाला गया। यह है विभाग की हानि जिस पर आप हम से करोड़ों रुपये की मांग कर रहे हैं। पृष्ठ १३ पर लिखा हुआ है कि ७० लाख रुपया है। अगर आप मकान बनावें और पुल में खर्चा डाल दें तब तो हुकूमत का बहुत जल्दी सफाया कर रहे हैं। रुपया हम से जो भर के लें, काम जो भर के करें। आप जितना रुपया खर्च कर रहे हैं, दो तिहाई में हम उतना काम कर सकते हैं, हर काम में। सरकार के हर काम में धोखा होता है, चाहे पुल हो, सड़क हो या इमारत हो।

दातागंज सड़क पर सराय मील के कंकड़ पड़े। इंजीनियर और ओवरसियर ने मिलकर तिहाई कंकड़ छटवा डाला। दोबारा फिर वही कंकड़ उठवा कर दूसरी जगह चट्टी लगवा दी और मील में लगवा लिया। इस तरह से धोखा दिया गया और हमारे यहां का यह हाल है। हमारे जिले में दातागंज तहसील है। अगर बदायूं से कोई दातागंज जाना चाहे तो उसको बदायूं से उसैत १८ मील और उसैत से दातागंज १८ मील इस तरह से ३६ मील तय करना पड़ता है। उसैत से दातागंज और दातागंज से सादुल्लागंज पुरानी सड़क बनी है। दातागंज तहसील में माननीय चरणसिंह भी हो आये हैं। वहां एक बड़ी इमारत बनी है। लेकिन सड़क का नाम नहीं। जब तक आप एक इलाके को सड़कों द्वारा नहीं मिलायेंगे तब तक हमारी पैदावार पर मिट्टी पड़ती है।

बदायूं में गेंहूं बिकता है ढ़ाई सेर और हमारे यहां लभारे में तीन सेर का बिकता है क्योंकि हर रुपये पर दो आने किराया पड़ता है। तिजारत बढ़े कहां से? सड़कों का साधन नहीं है। और सड़कें बनायेंगे कैसे? बिना ९० हजार रुपया लगे एक मील सड़क नहीं बन सकती। जो पत्रिका बटी है, उसमें लिखा है १४४ मील सड़क बनवाने में सवा करोड़ का खर्चा हुआ यानी ९० हजार रुपया एक मील पर खर्च पड़ा है। आप पत्रिका के तेहरवें सफे पर देख लें। जब आप इतनी गरां कीमत की सड़कें बनवायेंगे तो हमें कैसे चल मिलेगा? आप कहते हैं कि धूल की उड़ान से सड़कों के पड़ोस रहने वालों को बीमारियां पैदा हो जायंगी लिहाजा जरूरी है कि चौड़ी और साफ सड़कें हों। यह किताब में लिखा है। बीमारियां शहर वालों को पैदा हो जायंगी या गांव वालों को? एक जरीब की सड़क है, अगर उसको डेढ़ जरीब की कर देंगे तो हमारी खेती गई। देहात पर तो कृपा रखिये नहीं तो उनकी जीविका छिन जायगी। शहरों में यहां एक एक कोठी में तमाम जगह घिरी पड़ी है। शहर में अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन करते हैं और देहात में जहां अधिक अन्न उपजाओ आन्दोलन करना चाहिये वहां खेत ले रहे हैं। जहां यह सड़कों की दुरुस्ती हो रही है वहां घर की भी तो दुरुस्ती कर लो।

श्री उपाध्यक्ष---कानपुर के बारे में भी कुछ कहिये।

श्री टीकाराम---यह चीजें मैंने आपके सामने रखीं। मैं तो चाहता यह था। बहुत सी बातें और सज्जन कह चुके हैं, मैं थोड़ी ही बात कहकर समाप्त कर दूं। इसमें सड़कें और भवन दो ही बातें हैं। भवनों को भी बता दूं कि १ और ८ का सीमेंट लगाकर पलस्तर कर दिया। रामस्वरूप जी के यहां जाकर मैंने देखा कि एक उंगली से अगर छुटा दिया जाय तो सारा पलस्तर छूटकर गिर जाय। पता नहीं १ और ८ का लगाते हैं या १ और १० का लगाते हैं। आज देखा तो मालूम हुआ कि यह दीवार तोड़कर रसोईघर पीछे बनायेंगे। इंजीनियर साहबान, आपकी अक्ल है या क्या है, हिन्दुस्तान में रहते हो या कहां रहते हो, हिन्दुस्तान में हर आदमी जब मकान बनाता है तो रसोई और पाखाना सबसे पहले बनाता है, और आप अब रसोई बना रहे हैं कमरे के बाहर और नयी दीवार तोड़कर

बना रहे हो। एक बार बनाने में लागत लगी और फिर तुड़वाने में लागत लगी। यह अक्ल है आपकी? उझियानी में दूसरी तरह का थाना बनाया जरीफनगर का दूसरे तरह का बना दिया, डिजाइन अगर एक तरह की रहे तो हम लोगों को भी कुछ पता लगे कि कितना रुपया लगना चाहिये और कितना लगा। लेकिन आपने झट डिजाइन बदल दिया और लाखों रुपया खा गये। ठेकेदारों और दलालों से मिल गये। मैं आपसे कहता हूं कि बगैर दलाली लिये कोई भी इंजीनियर काम नहीं पास करता। अगर आप नहीं मानते तो कहिये तो पकड़वा दूं।

श्री उपाध्यक्ष--मैं माननीय सदस्य से यह कहना चाहता हूं कि आपको मुझे या माननीय मंत्री जी को ऐड्रेस करना चाहिये, किसी सरकारी कर्मचारी को आप ऐड्रेस न करें।

श्री टीकाराम--उपाध्यक्ष महोदय, यह हाल है इस सरकार का और इसके ये कर्मचारी हैं जिनका यह हाल है कि वह बराबर ठेकेदारों से साझा कर लेते हैं जिसका नतीजा यह होता है कि इधर भवन बना और उधर मरम्मत की जरूरत पड़ने लगी। आगे आगे भवन बनता जाता है, पीछे पीछे मरम्मत होती जाती है। भवन बराबर तैयार नहीं हुआ और मरम्मत शुरू हो जाती है। हम देखते हैं कि पुरानी इमारतें बनी हैं, दिलकुशा की दीवारों पर गोलियां लगी हैं, लेकिन वह आज भी बिना किसी मरम्मत के खड़ी हैं। और सरकारी इमारतों का यह हाल है कि अगर झाड़ पोंछ न करायें तो यह दारुलशफा दस ही वर्ष में बैठ जाय। यह रुक नहीं सकता। रुपया ज्यादा खर्च किया, मसाला कम लगा। इमारत में मजबूती कहां से आये? तो यह तो हमारी सरकार की इमारतों की हालत है। इसी तरह पुलों की हालत है। और खर्चे की हालत यह है कि ९०-९० हजार में एक-एक मील सड़क आप बना रहे हैं। तो मेरा तो यह कहना है आपसे कि इन भवनों को और इन सड़कों वगैरह को अपना समझकर बनावें।

न्याय मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--एक नुमाइन्दे की हैसियत से मैं भी बोल रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं केवल इसलिये खड़ा हुआ हूं कि अपने साथी चौधरी गिरधारीलाल को बधाई दूं और शुक्रिया अदा करूं। मुमकिन है बहुत सी बातें ऐसी कही गई हों बहराइच के संबंध में, लेकिन मैं चन्द बातें यह अर्ज कर देना चाहता हूं कि जहां तक रोड्स और बिल्डिंग्स का ताल्लुक है--और बहराइच जिले का ताल्लुक है उसमें हमारे मित्र ने काफी काम किया है। बहराइच कैसरगंज एक रोड थी। मुझे याद है कि १९५२ में अपने प्रधान मंत्री को लेकर मैं वहां गया था, ३५ मील लम्बी यह सड़क थी, सर्विस रोड छोड़कर के सड़क पर एक कदम भी चलना मुश्किल था, ३५ मील बराबर पानी छिड़कवाते हुये तब उनको मैं लेकर गया था। ऐसी खराब वह थी जो इन्हीं दो पंचवर्षीय योजनाओं में तारकोल की हो गई है।

श्री मोतीलाल अवस्थी (जिला कानपुर)--आप तो १६ साल से मंत्री हैं, आपके यहां की तो बनेगी ही।

श्री हुकुमसिंह विसेन--१६ साल से कंकर पत्थर मैं थोड़े ही लगाता हूं। मैं तो मालगुजारी वसूल करता हूं और तकावी देता हूं। हमारे मित्र नाराज हो जायेंगे अगर सब लोग हंस दें। मैं यह अर्ज कर रहा था कि हमारे जिले बहराइच में बहुत सी रोड पिछले जमाने में बनी हैं। बहराइच-भिनगा रोड बनाई गई है। बहराइच-इकौना रोड बनाई गई है। बहराइच-नानपारा रोड बनाई गई है। इसी तरह से और भी रोड वहां पर पी० डब्लू० डी० के द्वारा बनाई गई है। हमारा जिला जहां तक सड़कों का ताल्लुक है बहुत ही पिछड़ा हुआ जिला था लेकिन इसी पिछले १० वर्ष के जमाने में उसकी हालत बदल गई। अभी हमारे मित्र ने बहराइच-भिनगा रोड का जिक्र किया। वह सड़क बन रही है। उसमें राप्ती दरिया

[श्री हुकुमसिंह विसेन]

पड़ता है और एक राप्ती की शाख भकला नदी भी पड़ती है लेकिन भकला पर पैन्टून ब्रिज बन रहा है और राप्ती पर पक्का पुल बनने का काम शुरू हो गया है। हमारे जिले बहराइच की बड़ी तरक्की हुई है और कई जगह पुल भी बनाये गये हैं। जरवल रोड का काम भी शुरू हो गया है। सरयू नदी पर बहुत अच्छा पुल बन गया है। उस पर लोग ढोल ढैक्का अदा करते हैं और खुशी से अदा करते हैं क्योंकि उनको सहूलियत काफी हो गई है। इसी तरह से भकला नदी जो राप्ती की शाख है उस पर पैन्टून ब्रिज बनाया गया है जिससे लोगों को काफी सहूलियत हो गई। एक सड़क और है जो बहराइच से गोंडा जाती है। वह भी तारकोल की हो रही है मैं उम्मीद करता हूं कि उस पर जल्दी से काम किया जायगा क्योंकि वह भी बड़ी महत्वपूर्ण रोड है। एक दरख्वास्त अपने मित्र से और करता हूं कि तीन फर्लांग की एक रोड और है जो कचहरी कलेक्टरी होकर जाती है। उसको अगर पक्का कर दिया जाय तो उससे कल्याण हो जाय। वह महज तीन फर्लांग की है।

इसलिये मैं अपने मित्र को बधाई देता हूं कि उन्होंने बहराइच में इतना काम कर दिया। एक हमारे यहां सदर अस्पताल बन रहा है वह १५ लाख का प्रोजेक्ट है। जिस तेजी से उसका इंतजाम किया गया है उसके लिये भी आप धन्यवाद के पात्र हैं। मैं समझता हूं कि हमारे मित्र बदलूराम जी हमारी ताईद करेंगे। उनके मकान के पास ही वह सदर अस्पताल बन रहा है। बड़ी तेजी से उसका निर्माण हो रहा है और अच्छी बिल्डिंग वह बन रही है। इस वजह से मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह जो ग्रांट है बड़ी जरूरी ग्रांट है। इतना बड़ा लम्बा-चौड़ा मैदान है उसमें हजारों आदमी काम करते हैं। मैं सब के लिये दावा नहीं करता कि सब दूध के धोये हुये हैं। उसमें खराब आदमी भी हैं लेकिन अच्छे आदमी ज्यादा हैं। इस तरह से अगर हम सब के लिये कहेंगे तो उससे त्रुटि पैदा होती है और उत्साह उन कर्मचारियों में नहीं रहता है। उसको नजरन्दाज करना चाहिये। इस प्रकार से उनके लिये कहना मुनासिब बात नहीं है। जो काम करने वाले हैं और अच्छे अफसर हैं वे भी डिस्करेज होते हैं। मैंने इसके मुताल्लिक इस वजह से जिक्र किया शायद किसी और माननीय सदस्य ने वहां के मुताल्लिक जिक्र न किया हो और इसी वजह से मुझे खड़े होने की जरूरत पड़ी। इन शब्दों के साथ मैं आशा करता हूं कि सदन इस ग्रांट को सहर्ष स्वीकार करेगा।

श्री नारायणदास पासी (जिला फैजाबाद)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निर्माण मंत्री महोदय को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने उत्तराखंड की सड़कों पर रात दिन काम करा कर जो कामयाबी हासिल की है वह आश्चर्यजनक है। आपके ही द्वारा पहले काम शुरू हुआ था और अब वह काम समाप्त हो रहा है, इसलिये मैं उनको बधाई देता हूं। सुरक्षा की दृष्टि से उन सड़कों की जरूरत थी और पहाड़ों को तोड़ कर जिस प्रकार रात दिन काम किया गया है वह प्रशंसनीय है। लेकिन साथ ही साथ मैं उनका ध्यान नैपाल की तराई की ओर भी दिलाना चाहता हूं आज नैपाल की हालत अच्छी नहीं है। वहां की राजनीतिक हालत खराब है और सिक्किम और भूटान हमारे देश के सीमावर्ती राज्य हैं। वहां की हालत भी अच्छी नहीं है। इसलिये मैं चाहूंगा कि जिस प्रकार उत्तराखंड में सड़कों के निर्माण की योजना बनायी गयी थी उसी प्रकार नैपाल की तराई में, जो लखीमपुर से देवरिया तक का इलाका है, इसके लिये भी योजना बना कर काम किया जाय। यह क्षेत्र इतना पिछड़ा हुआ है कि वहां कोई निर्माण का काम आज तक नहीं हुआ है। सुरक्षा की दृष्टि से वहां कोई थाना तक नहीं है कि जिससे किसी बाहरी या भीतरी शत्रु को अवरोध मिल सके। नैपाल की तराई के बाद सुरक्षा की दृष्टि से फैजाबाद का कैंटूनमेंट एक ऐसा स्थान है कि जहां घाघरा के किनारे एक अवरोध-स्थल बनाया जा सकता

है। इस के बीच हमारा क्षेत्र पड़ता है सरयू और घाघरा के संगम पर जहां कोई पक्का घाट तक नहीं है।

आप देखें कि हमारे फैजाबाद जिले की सरकार ने बिल्कुल उपेक्षा कर रखी है। रामराज स्थापित करने की बात की जाती है लेकिन अयोध्या की, फैजाबाद की हालत आप देखें। वह क्षेत्र निर्माण की दृष्टि से बिल्कुल पिछड़ा हुआ है और उसमें भी विशेष रूप से हमारा क्षेत्र। हमारे माल मंत्री जी ने कहा कि बहराइच में काफी काम हुआ है, मैं भी उस के लिये मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वहां अच्छा काम हुआ है, लेकिन खड़ांसा परगने में एक भी काम सड़क के बारे में नहीं हुआ है। मैं आप को याद दिला दूं कि यहां पहले जब फूलसिंह जी निर्माण उपमंत्री थे उस समय सुहावल से ड्योढ़ी तक हजारों आदमियों ने श्रमदानकरके काम किया था और उसका उद्घाटन उन्होंने ही किया था और यह आश्वासन दिया था कि इसको सब से पहले पक्का किया जायगा। लेकिन बरसों बीत गये। आज तक कुछ नहीं हुआ। हमारी नीति यह होनी चाहिये कि जहां श्रमदान हो, उन सड़कों को हम पक्का करने के लिये पहले लें। अगर हम उनको पहले लेंगे तो इस से पैसा भी बचेगा और जनता में काम करने के लिये उत्साह पैदा होगा। मैं इसके लिये तो धन्यवाद देता हूं कि मालीपुर से जलालपुर तक की १० मील लम्बी सड़क बनायी जाने वाली है, वह आपके क्षेत्र में है और इसलिये मैं आपकी ओर से भी धन्यवाद देता हूं, लेकिन मैंने जब दरियाफ्त किया कि फैजाबाद इस प्रकार क्यों उपेक्षित है तो हम को जवाब मिलता है कि वह ८४ मील तो लम्बा है और ३२ मील चौड़ा है। उसमें अंग्रेजों के समय की बनी हुई सड़क जो लखनऊ से कलकत्ता तक जाती है वह है और वहां से एक सड़क इलाहाबाद जाती है। यह ४० साल पहले बनी थी। एक सड़क फैजाबाद से आमघाट तक जाती है यह भी बहुत पुरानी है। यह हमारा दुर्भाग्य है जब सरकार कहती है कि चूंकि फैजाबाद में पहले ही कुछ सड़कें बन चुकी हैं और सूबे में नई पक्की सड़कों के निर्माण में अनुपात पूरा है इसलिये वहां की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। आप देखें कि हमारे यहां एक नयी कांसटीटुएन्सी हरिजन क्षेत्र की बनी है जिसकी १८ मील की चौड़ाई है और ३२ मील लम्बी है और जो घाघरा और सरयू के संगम से लेकर गोमती तक जाती है वहां सड़क नहीं है। मेरा निवेदन है कि वहां पर पक्की सड़क बनाई जाय ताकि लोगों को कुछ फायदा हो सके।

इसके अलावा हमारे यहां जो मुगलसी परगना है वह सबसे पिछड़ा हुआ परगना है। यद्यपि वहां पर सुहावल पावर हाउस है जिसकी क्षमता १८ हजार किलोवाट की है किन्तु वहां पर एक भी ब्लाक नहीं बना है। खंड़ासा परगना का इलाका इतना पिछड़ा हुआ है कि वहां जरायम बहुत होते रहते हैं और वहां पर निर्माण नाम की कोई भी चीज नहीं है। वहां पर हर प्रकार का भय बना रहता है। अस्पतालों के नाम पर वहां एक भी अच्छा जनाना अस्पताल नहीं है। दिखाने के लिये एक मरदाना अस्पताल है किन्तु वहां दवा नहीं है। शिक्षा के नाम पर भी वहां शिक्षा का कोई प्रबन्ध नहीं है। वहां बीकापुर तहसील भर में एक भी जे०टी०सी० नहीं है। एक इंटर कालिज है जो २५ मील दूर खपराडीह में है वह भी प्राइवेट है। हाई स्कूल एक भी नहीं है।

गरीबी की वह हालत है वहां पर कि लोग गेंठ की जहरीली जड़ तक खाते हैं। जब बाढ़ आती है तो वहां का प्रलय दृश्य देखते ही बनता है। जनता मुश्किल से चल पाती है और किसी गाड़ी वगैरह का चलना तो दूर रहा एक गाँव दूसरे से कट जाते हैं। लोग जंगलों की कुछ गेंठों की जड़ों को खाते हैं इतना पिछड़ा हुआ इलाका है वह। वहां पर एक जंगल है, बमा जंगल, उसमें १६ मील तक सरकार ने कांटेदार तार लगा दिये हैं और कोई भी व्यक्ति घास या चारा वगैरह वहां से नहीं ला सकता। अगर कोई चला भी जाता है तो उसका चालान कर दिया जाता है कोटिया, बकचूना, जाजाही देवगांव उमर हर, पिठला, बरोली, अकया आदि गांवों के निवासी

[श्री नारायणदास पासी]

उससे इस कदर परेशान हैं कि कहना मुश्किल है। गरीबी की हालत के कारण लोग हताश हो रहे हैं। आखिर फैजाबाद भी तो लखनऊ राज्य सरकार का एक बच्चा ही है। जब लखनऊ में बराबर निर्माण हो रहा है तो उस बच्चे का भी कुछ ख्याल करके वहां भी कुछ उन लोगों के लिये कीजिये।

मैं बाराबंकी के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूं। वहां पर जो बाराबंकी से सिद्दौर वाली सड़क है वह इतनी खराब है, उसमें इतने गड्ढे हैं कि वहां लारी वगैरह तो चलना दूर रहा, बैलगाड़ी तक उलट जाती है। यही दशा बाराबंकी-कोठी सड़क की भी है। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस तरफ भी ध्यान दें और इन सड़कों को ठीक कराने और पक्की कराने की कृपा करें।

इसके अलावा मैं एक पुल के बारे में कहना चाहता हूं। राजघाट-आदिलपुर (देवगांव) में एक पुल था जो टूट गया है। उस पुल के टूटने से लोगों को बड़ी परेशानी है। इस पुल का भी निर्माण किया जाय, वह सुल्तानपुर और फैजाबाद को मिलाता था। वहां पर और कोई साधन नहीं है। एक राजघाट में पक्का पुल बना हुआ था? जब बहिया आई तो उसका एक खम्बा भी नहीं टूटा। इसलिये अगर यह पुल बन जाय तो सुल्तानपुर और फैजाबाद कटा हुआ है वह मिल जायगा और वहां पर विकास का कार्य हो सकेगा।

श्रीमन्, अमानीगंज से जोहन तक १५ मील शारदा नहर खड़ांसा-फैजाबाद होकर जाती है। वहां पर तमाम जमीन किसानों की ले ली गई लेकिन फैजाबाद की हालत यह है कि वहां के लोग पानी का एक कुलाबा भी नहीं पा सकते। खड़ांसा भूमि पर ४० फीट नीचे कुयें में पानी निकलता है, ट्यूब वेल फेल हैं लेकिन नहर से पानी नहीं मिल सकता। शाहगंज में ट्यूबवेल फेल हो गये हैं इससे नहर से माइनर व कुलाबे दिये जायं।

पिछले वर्ष एक सड़क जम्हूरतगंज से नरायनपुर तक मिले और गन्ना सोसाईटी से मंजूर हुई थी। उसपर निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। बिल्हौरघाट तक वह सड़क मिलाने वाली थी। प्लानिंग कमेटी की सब कमेटी ने उसकी जांच की, अपनी रिपोर्ट भी दी, प्लानिंग कमेटी ने भी उसको मंजूर किया। आदेश भी दिये गये कि इस तरह से यह सड़क बने लेकिन बीच में कुछ बातें हो गई। फिर यह हुआ कि ताल पाट कर सड़क बनाई जाय। अगर ताल पाट कर सड़क बनाई जायगी तो श्रीमन्, आप समझ सकते हैं कि कितना खर्चा बैठेगा। इसलिये जिस सड़क के लिये पहले प्लानिंग कमेटी और उसकी सब कमेटी ने सिफारिश दी थी वही सड़क बनाई जाय। फैजाबाद जो इतना पिछड़ा हुआ है उसकी तरफ ध्यान दिया जाय अगर सड़क ही नहीं होगी तो फिर कोई विकास का कार्य कैसे हो सकेगा। अगर आमद-रफ्त के साधन न हों, गल्ला लाने और ले जाने के साधन हों तो जिला कैसे आगे बढ़ सकता है। इन शब्दों से साथ मैं मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि फैजाबाद की तरफ ध्यान दें और जो सड़कों के लिये मैंने कहा है उनका निर्माण कराने की कृपा करें।

श्री टीकाराम पुजारी (जिला मथुरा)—श्रीमन्, निर्माण हो रहे हैं। जितने हमारे साथी हैं सब नम्बर ले रहे हैं क्योंकि ६२ बहुत नजदीक आ रहा है। किताब बन जायगी कि सड़क के लिये बोले लेकिन कोई सड़क नहीं बनेगी और न कोई निर्माण होगा। यह सरकार की ढोंगबाजी है। उसका उल्टा दिमाग है। सरकार ने सारे पुराने स्टेशन खोद डाले और नये बनाये। उन पुख्ता स्टेशनों को खोदने से कोई फायदा हुआ? सरकार का बिल्कुल उल्टा दिमाग है। हमारे बुड्ढे साथी बोल गये, इशारा दे गये, सड़क तो उन्हीं की ही बनेगी। हमारी सड़क कहां से बन सकती है?

हमारी सड़क कहां श्रीमन्! हमारी सड़क बनने वाली कहां? यहां तो परमात्मा ही बचाता है सवेरे और शाम को। इधर तो नये पुल बनते हैं, पुराने पुल तोड़ दिये जाते हैं लेकिन हमारी सुनने वाला ईश्वर ही है। जब मोटर में बैठकर जाते हैं तो यह विश्वास नहीं रहता

कि प्राण रहेंगे या जायेंगे। रोज सिन्नी बोलनी पड़ती है कि परमात्मा बचाइयो। पुल तो बनेगा नहीं। यह सरकार तो उल्टे दिमाग की है। एक सड़क एटा से मथुरा जाने वाली है, उसकी हालत देखने के लायक है। हर एक जगह गड्ढे पड़े हैं। लढिया चले तो पलटे, इक्का चले तो पलटे, लारी चले तो खुदा बचाये, यह हालत है। एक सड़क जो हाथरस मंडी से जलेसर और आवागढ़ तक जाती है, उस मंडी की ओर सड़क की हालत देखो तो आप कहेंगे कि वाहरी मेरी मलूक सरकार! जब से आयी है, पश्चिमी जिलों को नर्क बना दिया आपके द्वारा श्रीमन्। मैं तो कहूंगा, अरी वाह री मेरी मलूक सरकार, कहीं जगह नहीं रही तेरे लिये! ठाकुर हुकुम सिंह की सड़क तो बनेगी, हमारी एक अंगुल नहीं बनेगी। दावे के साथ कहता हूं श्रीमन्, कि राया को जाने वाली सड़क १८ मील, वहां से ८ मील सादाबाद, ११ मील राया, १८ मील मथुरा, १३ मील हाथरस, वहां जब बरसात की ऋतु होती है तो ३–३, ४–४ मील तक पानी ही नजर आता है और जनता के लिये महान कष्ट होता है। इस सदन में चार बार सवाल उठाया है। मेरी मलूक सरकार, अब तेरी शामत तो आ गयी, पर इस राये वाली सड़क को तो ठीक कर जा जिससे हम कह सकें कि हमारे साथी कुछ हमारे लिये भी कर गये। सन् ६२ में तो आऊंगा ही, तेरा तो खुदा ही मालिक है, लेकिन अगर यह सड़क बन गयी तो शायद आपकी भी तक लग जाय। जो राये वाली सड़क बन गयी तो ठाठ बन जायगा, और न बनों तो जमानत जब्त हो जायगी। इसे नोट कर लो, यह मार्के की चीज है। आपको मालूम है कभी सादाबाद से मथुरा गये हैं? जब पानी पड़ता है तो आपको पता है कि खशावर से झरोटा तक पानी भरा रहता है और इधर की सवारी इधर और उधर की उधर और नाव चलने लग जाती है। उस सड़क को ऊंचा उठाया जाय जिससे वह रास्ता साफ हो लेकन हमें तो आशा है नहीं, निराशा ही है ढोल की पोल खुल गयी तेरी।

(पुजारी जी के उक्त पंक्ति गाकर बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष––पुजारी जी, आप कविता पढ़ सकते हैं, गाना नहीं गा सकते।

श्री टीकाराम पुजारी––

ढोल की पोल खुल गयी तेरी, काहे का स्वांग रचाय रही तू
समाजवाद का धोखा देकर साम्यवाद को लाय रही तू,
समाजवाद का धोखा देकर कम्युनिज्म को लाय रही तू।
कम्युनिस्ट कुछ समाजवादी जिनको संग फंसाय रही तू,
सहकारिता, सामूहिक खेती, बड़े बड़े जाल बिछाय रही तू।
कहे पुजारी सन् ६२ में जान के मौत बुलाय रही तू।

मुझे एक चीज याद आयी, श्रीमन्, आपके द्वारा ये निर्माण कार्य करते हैं, निर्माण हो रहा है लेकिन मंत्रियों का निर्माण, खानदानों का निर्माण, रिश्तेदारों का निर्माण किसको नांय ८० फीसदी टैक्स किसानों से वसूल होता है, २० फीसदी शहरों से वसूल होता है। और खर्चा ८० फीसदी शहरों पर होता है और ८० फीसदी जो किसान देते हैं उन पर २० फीसदी। निर्माण होता है लखनऊ का, निर्माण होता है बनारस का, बहराइच का। जो अब ही उठि गये, असली तो उनका ही निर्माण होता है। तीन तीन बोली बोलते हैं बिल्ली वाली, मुर्गी वाली, सन् ६२ में मालूम पड़ेगी कौन सी बोली बोलते हैं। हमारे हुकुमसिंह जी के यहां बड़ा निर्माण हुआ है। पहले वे अंग्रेजी और हिन्दी बोलते थे अब "ई" बोलते हैं। धन्य है रे सरकार, तेरा निर्माण।

आशा करता हूं चौधरी साहब से कि वे सबसे पहले सादाबाद से राये वाली सड़क को बनायेंगे।

श्री गोविन्द सहाय (जिला बिजनौर)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अनुदान पर बोलने में कुछ निजी तरीके से परेशान हूं। अगर मैं कुछ इस मुहकमे की तारीफ करूं तो गलत समझा जाने का डर है और अगर मुखालिफत करूं या उसकी त्रुटियां दिखाऊं तो भी कुछ गलतफहमी का डर है, फिर भी यह एक बड़ा मुहकमा है और इस सदन में १५-१६ साल से बराबर कुछ बातें इस महकमे के बारे में कही जाती हैं। उनमें एक तो कही जाती है कि जो अनुदान इस विभाग को दिया जाता है वह पूरा खर्च नहीं किया जाता है। अगर पिछले १०-१२ साल को देखा जाय तो मालूम होगा कि यह महकमा लाखों करोड़ों रुपया इस्तेमाल नहीं कर पाया, जब कि एक एक पैसे के लिये दूसरे विभागों को जरूरत होती है; यह बड़ी त्रुटि की बात है।

दूसरी बात यह है कि अब तक सरकार के किसी मुहकमे में भी रिश्वत लेने का कोई नैतिक आधार नहीं है। हर मुहकमे वाले रिश्वत का लेना बुरा समझते हैं लेकिन एक यही मुहकमा ऐसा है जो रिश्वत को लेना भी अपना मारेल और फिजिकल राइट समझता है। रिश्वत लेने वाले भी इस चीज को बुरा नहीं समझते और देने वाले भी बुरा नहीं समझते। वे उसे एक नार्मलाइज्ड तौर पर अपना हक समझते हैं। मैं समझता हूं कि यह एक बड़े खतरे की बात है।

तीसरी बात यह है मेरे ख्याल से कि हमारे यहां की जो इंजीनियरिंग टेक्निक है वह काफी हद तक आउट आफ डेट हो गयी है। यह बात मैं इसलिये कहता हूं कि इंजीनियरिंग टेक्निक में, और खासकर बिल्डिंग टेक्निक में दुनिया के अन्दर एक बड़ी ही जबरदस्त क्रांति हुई है। पहले शुरू में जो इमारत बनती थी, उस इमारत में कितना सीमेंट लगा, कितना लोहा लगा, इसी का कैलकुलेशन होता था लेकिन अब इधर १० साल के अन्दर इंजीनियर्स का दिमाग बराबर इस तरफ गया है कि कैसे बिल्डिंग ज्यादा ड्यूरेबिल बने और कैसे उसमें लोहा तथा सीमेंट कम लगे। लेकिन हमारे यहां के इंजीनियर्स पर चूंकि ब्रिटिश छाप है इसलिये वे उसी खास तरीके की अभी तक बिल्डिंग बनाते हैं।

मेरा ख्याल है कि इस चीज की तरफ उनका ध्यान कभी नहीं गया कि इस सिलसिले में भी कोई रिसर्च किया जाय कि किस तरीके से बिल्डिंग इंडस्ट्रीज को ड्यूरेबिल बनावें और कैसे उनमें मेटिरिअल कम लगे जिसका लाभ आम लोग भी जो गांवों में रहते हैं वे भी उठा सकें। मिसाल के तौर पर आप कुछ ऐसा रिसर्च भी करें कि आम किसान भी उसका फायदा उठा सके। जैसे गांव में हर आदमी तो पक्का मकान बना नहीं सकता लेकिन जो कच्चे मकान बने हुये हैं उनमें कोई ऐसा प्लास्टर तो कर दिया जाय जो दो-चार साल तक चल सके। कोई ऐसा रिसर्च होना चाहिये। लेकिन अभी तक इस विभाग द्वारा उस तरफ कोई कदम उठाया नहीं गया है। मालूम ऐसा होता है कि हमारा यह डिपार्टमेन्ट अपने को बहुत बातों में फिट नहीं कर पाता। हमारा सिस्टम पुराना है जिसको गति देने की कोई कोशिश नहीं की गयी है।

जहां तक देरी होने का सवाल है, हर साल इस बात को दोहराया जाता है, इससे मालूम होता है कि जो टेक्निकल चीज हैं वे इस विभाग के ऊपर हावी हैं। होता यह है कि बजट पास होने के बाद कहीं जून तक ग्रांट पहुंच पाती है जिले के अन्दर कि इतने लाख रुपये मंजूर हुये हैं तथा इतनी सड़कें मंजूर हुई हैं। अब जून के बाद फिर एक-एक आइटम पर नोट लिख कर इंजीनियर के पास भेजा जायगा और इस तरह से कागजी कार्यवाही में ही तीन, चार महीने लग जायेंगे और तब कहीं अक्टूबर, नवम्बर तक जाकर वहां से मंजूरी मिल पायेगी तथा इस तरह से १२ महीने के अन्दर होने वाला काम दिसम्बर में जाकर शुरू होगा जिसे ४-५ महीने में पूरा करना होगा। दिसम्बर, जनवरी के बाद फिर मार्च के आ जाने पर यह सवाल उठ खड़ा होगा कि अभी तक इतना रुपया बाकी है, इसलिये इसको किसी तरीके से खर्च करना है।

यह एक बहुत मामूली बात थी, आखिर पोलिटिकल लीडरशिप का कंट्रीब्यूशन यही तो होता नहीं कि २० करोड़ या ३० करोड़ का बजट बना दिया और उसको खर्च करने के लिये कह दिया? इस काम को तो एक मामूली मुनीम भी कर सकता है कि यह बजट है और इसके अन्दर इस तरह से खर्च करना है। हमारा कंट्रीब्यूशन तो यह है कि हम देखें कि जो सिस्टम हमें

मिला है उसमें हम अपनी गति को तेज कर पाये हैं या नहीं, इसके अन्दर हम कोई किफायतशारी ला पाये हैं या नहीं ? अगर नहीं कर पाये हैं तो इस बात को संजीदगी के साथ सोचें कि यह जो देरी होती है उसका कारण क्या है ? यह भी सोचें कि जो चीज ७-८ साल पहले कही गयी थी वह हुई या नहीं। मगर कुछ इस सिस्टम की शान यह हो गई है कि जो भी नई बात चाहे कैसी ही कही जाय, उसका सुझाव दिया जाय लेकिन विभाग आखिर को अपने एक ढंग से ही चलता है, इधर हम कहते रहते हैं लेकिन उसकी अपनी एक रफ्तार और तर्ज होता है। लेकिन फिर भी अब वक्त आ गया है कि आप को अपने कदम अब दूसरी दिशा में उठाना चाहिये। दूसरे मेरा ख्याल है कि इंजीनियरिंग का मुहकमा भी एक जुज होना चाहिये पी०डब्ल्यू०डी० का। मैं नहीं जानता कि हमारे इंजीनियरिंग कालेजेज किस के साथ जुड़े हुये हैं लेकिन शायद वह पी० डब्ल्यू० डी० के साथ नहीं हैं और वह एजूकेशन के साथ भी नहीं हैं मुझे नहीं मालूम कि वह किस के साथ जुड़े हैं, शायद इरिगेशन के साथ हों मैं कह नहीं सकता। मेरा कहने का मतलब यह है कि जहां से हम अपने इंजीनियर्स को तैयार करते हैं उन विभागों का उन संस्थाओं पर नियंत्रण रहना चाहिये।

करप्शन के बारे में मैंने पहले भी निवेदन किया था और आज फिर दोहराता हूं कि इसमें कोई शक नहीं है कि करप्शन है। मुझे मिनिस्टर महोदय ने पिछली बार आश्वासन भी दिया था कि हम उस दिशा में कदम उठायेंगे। करप्शन कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिस को एक दिन में रोका जा सकता है। जब तक हमारे यहां ठेकेदारी सिस्टम मौजूद है मेरा ख्याल है यह करप्शन रहेगा। जो ठेकेदार है वह हमेशा मुनाफे के लिये काम करता रहेगा क्योंकि वह किसी लगाव से काम नहीं करता। मैं जाती तरीके से कह सकता हूं कि आज नहीं तो कल हम को इस बात को मानना पड़ेगा कि मुनाफे के लिये किया जाने वाला जो रोजगार होता है उसमें ज्यादा दिलचस्पी आदमी की नहीं होती।

ठेकेदारी सिस्टम को हटाकर कोआपरेटिव के द्वारा काम कराने का भी एक तरीका है, तजुर्बे के तौर पर हम उस को शुरू कर सकते हैं, अगर हमें कोई तब्दीली करना है तो वह स्वयं खाली कह देने से नहीं आयेगी, अगर हमें कोआपरेटिव मूवमेंट को आगे बढ़ाना है तो जिन्दगी के हर जुज में उस को जगह देना होगा, पी० डब्ल्यू०डी०में उसका तजुर्बा होना चाहिये, उसका फैलाव होना चाहिये। शुरू में हो सकता है कि हमें उसके अच्छे नतीजे न दिखाई दें क्योंकि अगर इस दिशा में हमने कोशिश की भी तो जो हमारे ओवरसियर्स हैं, इंजीनियर्स हैं कहेंगे कि इसमें यह दिक्कत है और वह दिक्कत है लेकिन जब भी कोई पुराना सिस्टम बदल कर नया सिस्टम लाया जाता है तो शुरू में कुछ दिक्कतें जरूर होती हैं लेकिन अगर मजबूती से चलाया जाय तो थोड़े दिन में खुद ही एक मजबूत सिस्टम इवाल्व हो जाता है।

मुझे अफसोस है कि हमारे यहां इस क्षेत्र में अभी कोआपरेटिव का फैलाव नहीं हुआ है जिस का कि आहिस्ता आहिस्ता फैलाव होना चाहिये था। ठेकेदारी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है कि जिस के अन्दर ठेकेदार करप्ट होने से बच नहीं सकता और आप दूसरों को भी उस के अन्दर करप्ट होने से रोक नहीं सकते। यह कोई उनका कसूर नहीं है, इस सिस्टम में इस ढांचे में जब कोई व्यक्ति काम करता है वह अपने लिये पैसा पैदा करता है, साधन जुटाता है। इसलिये कोआपरेटिव की भावना को समझदारी के साथ, मजबूती के साथ अपनाने की जरूरत है और उस में मिनिस्टर महोदय के विश्वास की जरूरत है और वह काम कानून से ही नहीं बल्कि उस में उन के विश्वास की उन के दृढ़ विश्वास की और इरादे की जरूरत है।

आप सब को मालूम है कि दिल्ली में कोआपरेटिव आन्दोलन के द्वारा एक डैम बनाया गया, वहां पर जमुना के किनारे एक लाख आदमी उस कार्य में लगे थे और उन के अन्दर एक दृढ़ विश्वास था कि यह डैम हमारे श्रम से बन रहा है यह कभी नहीं टूटेगा इसको किसी ठेकेदार ने नहीं बनवाया है। अगर हम इस तरह की सम्मिलित स्प्रिट लोगों में पैदा करें और फिर सड़कें बनाये या

[श्री गोविन्दसहाय]

डैम बनायें या कहीं भी कोई काम करायें तो हमें उसमें सफलता जरूर मिलेगी। आज हालत यह है कि एक विभाग का दूसरे विभाग से सम्बन्ध नहीं है, पी०डब्ल्यू०डी० का इर्रीगेशन से कोई वास्ता नहीं है। अलग-अलग बजट पास होता है और फिर कोई सम्बन्ध एक विभाग का दूसरे विभाग से नहीं रह जाता, सब अपने-अपने काम में बजट लेकर लग जाते हैं। इसलिये हमें साहस के साथ, मजबूती के साथ कदम उठाना होगा और हमारे पास गांवों में आज तमाम साधन हैं, हमारी पंचायतें हैं, गांवों में श्रमदान से सड़कें बनी हैं और इस तरह से अगर हम उन कामों को वहां ठीक से आर्गेनाइज करें तो अच्छा काम हो सकता है। तो एक दृढ़ संकल्प अगर हो तो यह काम हो सकता है और हम उस पुराने सिस्टम से हटकर नया सिस्टम अपना सकते हैं।

लेकिन मुझे माननीय मिनिस्टर साहब के साथ हमदर्दी भी है कि काम बहुत मुश्किल जरूर है और जिस दौर से आज हम और वह गुजर रहे हैं वह एक उलटफेर का दौर है। मैं आशा भी नहीं करता था कि इस साल के बजट में वह कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम उठावेंगे। पिछले साल और उससे पहले साल मैंने बराबर इस चीज को दोहराया और कहा है कि अब इस सिस्टम में परिवर्तन होना चाहिये। अगर मंत्री महोदय को सही मानों में कुछ करना है तो अब उनको इस विभाग में कायापलट करना होगा यानी जो मूल कारण है जहां से कि बीमारी शुरू होती है उस बीमारी को हमें पकड़ना होगा।

आज हमारा जो प्लानिंग है वह सारा का सारा हमारे इंजीनियर्स पर मुनहसिर करता है। इंजीनियर क्लास के बारे में क्या कहूं, बड़े माकूल और काबिल लोग होते हैं, लेकिन वही बात जो मैं और मुहकमों के बारे में कहता हूं, इनको भी रुड़की कालेज में या और जहां-जहां ट्रेनिंग होती है वहां कुछ पैट्रियोटिज्म की बात भी बतानी पड़ेगी। मेरी कांग्रेस पार्टी वाले भी कहते हैं कि आप बोलें तो कुछ फंडामेंटल्स की बात कह दें, मैं जानता हूं कि उसका मजाक भी होता है, लेकिन मैं समझता हूं कि इंजीनियर क्लास का मुकाबलातन और क्लासों के शुरू से सोसायटी वगैरह में तो कुछ विचार होता नहीं। इंजीनियर लड़का जब निकल कर आता है---साइंस के स्टूडेन्ट होते हैं यह लोग, मगर सोशल प्राब्लम्स पर बड़ा अनसांइटिफिक एट्टीच्यूड होता है---तो इंजीनियर लड़के की शादी को २५ हजार रुपये फौरन कीमत हो जाती है। सोशली बड़ा रिएक्शनरी क्लास है। ओवरसियर हुआ तो ८--१० हजार कीमत हो गई। तो इस क्लास को काफी ओरियेन्ट करना पड़ेगा। इस बात पर हमारे यहां कोई इम्फेसिस नहीं है।

मिनिस्टीरियल लेविल पर इतना काम है कि इन्होंने बुलाया और हम उद्घाटन कर आये। इससे देश नहीं बनता। उसके लिये कांस्टीट्यूशल बनाना पड़ता है, प्रेरणा देनी पड़ती है, विचार देने पड़ते हैं, मैं एक इंजीनियर के लिये सोशलिज्म की एलीमेंट्री बातें उतनी ही जरूरी समझता हूं जितनी कि एम०ए० इकानामिस्ट के लिये जरूरी होती है। प्लानिंग करते हैं इंजीनियर्स लोग। अगर सोशल प्राब्लम्स की तरफ उनका ठीक रवैया नहीं है तो वह काम ठीक नहीं चल सकता। इस दिशा में भी सोचा जाय और एक तरफ इनकी जो एजूकेशन है उसे इम्प्रूव किया जाय और दूसरी तरफ जो बिल्डिंग इंडस्ट्री में रिसर्च हो रही है उससे फायदा उठाया जाय।

जब रूस के प्राइम मिनिस्टर यहां आये तो उन्हें एक प्रोजेक्ट दिखाया गया, पंडित नेहरू भी शायद साथ थे, उन्होंने उसे देख कर कहा कि इतना स्टील आपके यहां वेस्ट होता है। तो उन्हें जवाब दिया गया कि यह तो टेक्निकल मैटर है। वह कहने लगे कि इंजीनियर्स शुरू में हमें भी ऐसे ही बेवकूफ बनाते थे कि टेक्निकल मैटर है लेकिन हमने मजबूती के साथ सामना किया और हमारे यहां बिल्डिंग इंडस्ट्री में गैर-मामूली रिसर्च की गई है। तो यह समझ लेना कि बड़ा टेक्निकल मामला है, ठीक नहीं है। आखिर क्या टेक्निकल है? एक जो इमारत बनी है वह चूने लगे तो भी टैक्नीकल हो जाता है, ऐक्शन नहीं ले सकते। अगर आप चाहते हैं कि कुछ हो तो मंत्री महोदय या गवर्नमेन्ट के अन्य मेम्बर यह देखें कहीं जाकर कि इमारत दो साल के बाद यदि चूने लगे तो जरूर ऐक्शन लें। क्योंकि टेक्निकल मामला है, इसलिये ऐक्शन नहीं लेंगे। दखल नहीं दे सकते क्योंकि टेक्निकल मामला है?

मुझे जाती तरीके से लोगों ने बताया कि जो मकान हम बनाते हैं---मिसाल के लिये जेल के मुहकमे को बनाना है तो जेलर लिखता है कि १० हजार के बजाय ५ हजार दे दें तो बना दें, लेकिन लिखा जाता है कि टेक्निकल काम है, इंजीनियर के जरिये होगा। हर जगह यह शिकायत होती है। टेक्निकल काम के माने हैं कि दखल न दें, छुयें नहीं, जैसे कि छूत लग जायगी। तो यह एक बड़ी खतरनाक चीज होती है---Technocracy-cum-bureaucracy produces hypocriacy तो हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ ग्लेमर रह गया है कि राइट लैफ्ट, हो जाय, सिस्टम में कुछ नहीं करना चाहिये। जब मैं यह कहता हूं तो मेरी भी जिम्मेदारी है। कांग्रेस पार्टी के मेम्बर की हैसियत से मैं अपने आपको भी कंडेम करता हूं कि १२-१४ साल बाद भी आज हम इस पर हावी नहीं हो पाये हैं।

लोकल बातों का भी जिक्र किया गया। उसके बारे में, बिजनौर के बारे में, क्या जिक्र करूं, मंत्री महोदय को ज्यादा फिक्र है। मेरे एक साथी हैं चौधरी खूबसिंह साहब, वह सड़कों का कुछ चर्चा कर चुके हैं मुझे यह शिकायत नहीं है। लेकिन जो एक सहयोगी ने चर्चा कर दिया है, लोकल मेम्बर ने, तो उतना भी हो जाय अच्छा है। मुझे कोई लोकल सेंटीमेंट नहीं है। मुझे यही ख्याल है कि इस महकमे के अन्दर कैसे देर पर हावी हुआ जाय? कैसे रिश्वत को, जो हमारी जिन्दगी का एक जुज हो गई है, निकाल सकें। इंजीनियरिंग के अन्दर जो नई-नई टेक्निकल रिसर्चेज हुई हैं उनसे फायदा उठा सकें?

चौथे जो ऐसे केसेज हुये हैं उन पर फौरी ऐक्शन लिया जाय तो मैं समझता हूं जो बदनामी है, कोई कहता है प्लन्डर विदाउट डेंजर पब्लिक वेस्ट डिपार्टमेन्ट यह मैं नहीं मानता कि ऐसी बात है, लेकिन चर्चा ऐसी होती है .....

श्री गोविन्दसिंह विष्ट---आप ही कहते थे प्लंडर बिदाउट डेंजर (plunder without danger)।

श्री गोविन्द सहाय---मैं कहता था इसलिये कि मुहकमा अगर बदनाम है तो हमारा फर्ज हो जाता है सब का कि उस बदनामी को दूर किया जाय, कोई पाजीटिव कदम उठाया जाय।

ठाकुर हुकुमसिंह साहब की स्पीच के बाद किसी को बोलने की जरूरत नहीं है जब आनरेबिल मिनिस्टर खुद इतने प्रेरित मालूम होते हैं। मगर मैं जरूर समझता हूं कि इस मुहकमें में जबरदस्त रीओरियन्टेशन की जरूरत है तभी यह मुहकमा सुधर सकता है वरना सारा प्लानिंग का ढांचा चकनाचूर हो जायगा और उसके मलबे के नीचे हो सकता है सारी पोलिटिकल लीडरशिप फंस जाय। इसलिये मैं चाहूंगा कि इसमें आमूल परिवर्तन की तरफ कुछ कदम उठाये जायं।

श्री सुरथबहादुरशाह (जिला खीरी)---श्रीमन, बजट की स्पीच को मैं समझता था कि नुक्ताचीनी के लिये होती है। मगर यहां उधर से एक के बाद एक खड़े हो कर बधाई देता है और दूसरे मिनिस्टर साहब का भी उसमें शामिल हो जाना मेरी समझ में नहीं आता। क्या हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्री में कोई कमी है जो न्याय मंत्री को आकर उनको जोर देने की जरूरत पड़ी या किसी और वजह से आकर कह गये वह मेरी समझ में नहीं आया।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---आर्डर, आर्डर।

श्री सुरथबहादुरशाह---दूसरी बात श्रीमन, यह है कि लखनऊ का एक तरीका था, एक जमात है जो हमेशा खड़े हो कर मुबारकबाद और खुशहाली गाती है। मैं उस जमात का तो हूं नहीं, और न भगवान करे मैं कभी बनूं, लेकिन यह मालूम हुआ कि खुशहाली जो गंगा के पार से चली तो घाघरा के पार जाकर रुकी और बीच में कहीं नहीं रुकी। बहराइच में तो सड़कें डामर

[श्री सुरथबहादुरशाह]

की बन गई जहां पर कंकड़ की भी नहीं थीं। मगर जहां वाकई में ज्यादा जरूरत थी वहां कोई खयाल ही नहीं। मैं सार्वजनिक निर्माण मंत्री का ध्यान विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं निधासन तहसील की तरफ। वहां शायद वह खुद भी कभी हो आये होंगे और उससे शायद वाकिफ भी हों। यह करीब १३० मील लम्बी और ४०,४५ मील चौड़ी है, लगभग ५,००० वर्ग मील इसका क्षेत्र है। इसमें १९०१ के कहत के जमाने में एक डेढ़, दो फर्लांग की पक्की सड़क रिलीफ वर्क के तौर पर बनी थी। उसके बाद जो पक्की सड़कें बनीं वह केवल नाम के लिये बनीं एक सड़क पक्की बनी पलिया से कोलोनाइजेशन के लिये।

मेरी खुशकिस्मती है न्याय मिनिस्टर साहब तशरीफ ले आये। हमारे न्याय मंत्री ने जो मुबारकबाद दिया तो जरा गौर तो फरमायें कि किसको दिया? अपने ही को। मिनिस्टरी उनकी, सरकार उनकी, ज्वाइंट रेस्पांसिबिलिटी उनकी, लिहाजा अपने किसी साथी की तारीफ करना अपनी तारीफ करना है, अपने ही को मुबारकबाद दे रहे हैं, वाह माशाअल्लाह।

श्री हुकुमसिंह बिसेन--कुछ पाप थोड़े ही है।

श्री सुरथबहादुरशाह--पाप भले न हो मगर गैर मौजूं और अशोभनीय जरूर है। आपको जब मुबारकबाद देने वाले नहीं मिलते तो खुद ब खुद ढोल पीटना पड़ता है। अर्ज यह है कि यह पुस्तिका जिसमें आंकड़े दिये हुये हैं उन्हें आप मुलाहिजा फरमायें। ५७-५८ में १०,३५९ मील सड़कें थीं और ६०-६१ में ११,०४९ मील हो गयीं यानी ३७५ मील का इजाफा हुआ। अगर अब सब जिलों में इसे तकसीम कर दें तो लगभग ७ मील फी जिला पड़ता है। अगर यही डेवलपमेन्ट की रफ्तार रही तो ७०० वर्ष डेवलपमेन्ट को लगेंगे। उसी तहसील के बारे में जिसके बारे में अभी अर्ज किया मैं माननीय मंत्री का ध्यान कई बार आकर्षित कर चुका हूं लेकिन अंजाम कुछ नहीं हुआ। इस विभाग में बड़े high sounding names हैं जैसे--मुख्य अभियन्ता हैं, मझोले अभियन्ता, मंत्री, उपमंत्री, अ, ब, स, विभाग लेकिन इन सबके होते हुये परिणाम यह कि १३० मील लम्बे और ४० मील चौड़े रकबे में १९५२ से आज तक एक बहुत लम्बी सड़क १२ मील की नहीं बन सकी। यह निधासन से लेकर बिलरायां तक जो १२ मील की सड़क है इसमें कहीं पर सीलिंग है, कहीं पर बेलास्ट कुटा है, कहीं पर पेंटिंग है और कहीं पर इमबैंकिंग है। तो सन् १९५२ से लेकर आज तक यह प्रगति हुई है और यह रफ्तार है, जिसे आप जरा मुलाहिजा फरमायें। १२ मील की सड़क १० वर्ष में भी मुकम्मल नहीं हो पाई है। न्याय मंत्री महोदय ने जैसा फरमाया कि बहराइच में ३५ मील सड़क और बन गयी है तो बहराइच में तो जब वह हेल्थ मिनिस्टर थे तो दवायें कंटरों में बटती थीं और हमारे यहां सिगाही तहसील निधासन के अस्पताल में १० महीने से डाक्टर तक नहीं है। बहराइच की तुलना हम क्या करें? वह सरजूपारी इलाका है। खुशकिस्मत हैं आप।

एक चीज मैं यह कहना चाहता हूं कि १९४४-४५ में गवर्नमेन्ट आफ इंडिया की तरफ से जिला खीरी के डेवलप्मेन्ट के लिये एक रिपोर्ट तैयार कराई थी। उसके ऊपर क्या अमल हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या मुनासिब समझा गया और क्या गैर मुनासिब समझा गया यह हमारे मंत्री जानें या उनके अभियंता और अभियन्ता जानें, हम नहीं जानते न निधासन की जनता जानती है लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि इनकी प्रगति की जो रफ्तार है वह यह कि १२ साल में १२ मील सड़क नहीं बन पाई है।

हिन्दू धर्म में ७ पुरी मानी गई हैं। अयोध्या, हरद्वार, मथुरा, काशी, द्वारावती, अवंतिका और कांची, लेकिन इस सरकार ने अपने टिन गाड्स के नाम पर ७ नई पुरियां जिला खीरी में बनाई हैं जैसे कमलापुरी, विचित्र पुरी, बिसेन पुरी, गिरधरपुरी और सब पुरियों की पुरी भानपुरी, सम्पूर्ण पुरी का नाम बाद में सम्पूर्णानगर डाक्टर सम्पूर्णानन्द की इच्छा से हो गया। लुत्फ यह है कि लाइलाह इल्लिल्लाह का कलमा पढ़ने वाले मुसलमान ने भी इसको कुफ्र नहीं समझा कि उनके नाम पर भी एक पुरी बन जाये। उसका नाम है इब्राहीम पुरी। इन पुरियों की वजह से या

जो नये कांग्रेसी धाम हैं इनकी वजह से सड़कें बनीं और उनको रोड माइलेज दिखलाने के लिये जिले में शामिल कर दिया जाता है। लेकिन यह कंसंट्रेटेड एरिया है। बाकी आप देखें कि इस तहसील में जो शायद इनकी अमलदारी की सबसे बड़ी तहसीलों में से एक है और जिसका ५००० वर्ग मील से भी अधिक रकबा है, जहां जूट की प्रोड्यूस (produce) होती है, जहां फारेस्ट का प्रोड्यूस होता है और जहां उत्तर प्रदेश की सबसे पहली शुगर मिल १९१७ में लगी वहां इस सरकार की बिलकुल निगाह नहीं है। मालूम नहीं इसकी क्या वजह है? यह सही है कि आप में से कोई बहराइच से आता है, कोई बिजनौर से आता है, लेकिन यह मत भूलिये कि आप सब उत्तर प्रदेश के हैं। हम आपके उतने ही नजदीक हैं जितने बहराइच या बिजनौर वाले। हम कोई सौतेले नहीं हैं। इसके अलावा आप जो करते हैं वह जनता के लिये करते हैं, कोई मेरे मकान के अन्दर तो आप सड़क बनायेंगे नहीं। लिहाजा इस तरफ भी आपको ध्यान देना चाहिये। जो डेवलपमेन्ट हो उसमें एक समानता होनी चाहिये, उसका डिस्ट्रीब्यूशन मुनासिब होना चाहिये। मैं एक मर्तबा फिर चौधरी साहब का ध्यान बहुत गम्भीरता पूर्वक इस तरफ आकर्षित करना चाहूंगा कि मेहरबानी करके उन पिछड़े हुये इलाकों की तरफ जहां वाकई सड़कों की जरूरत है ध्यान दें। यह न हो कि तीसरी पंचवर्षीय योजना शुरू और अंत भी हो जाय और उसमें भी हमारा कोई हिस्सा न हो। आप कम से कम नार्थ टू साउथ और ईस्ट टू वेस्ट तो एक सड़क दे दें।

इन शब्दों के साथ जो आपने मुझे समय दिया है श्रीमन् उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

*श्री रमेशचन्द्र शर्मा (जिला जौनपुर)--उपाध्यक्ष महोदय, मैं बजट का समर्थन कर रहा हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध कर रहा हूं। इस प्रदेश में अंग्रेजी गवर्नमेंट के वक्त में जहां सड़कें कम थीं, पुल कम थे और भी निर्माण के काम बहुत कम थे वहां आज बहुत अधिक हैं, इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं। चाहें हम कहें या दूसरे माननीय सदस्य कहें यह तो मानना ही पड़ेगा कि काफी निर्माण हुआ है। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, मुझे एक छोटी सी बात कहनी है। पता नहीं क्यों, हम आज तक समझ नहीं पाये, जौनपुर जिला इतना उपेक्षित कर दिया जाता है। जौनपुर जिला ऐसी जगह बसा हुआ है जहां से एक सड़क फैजाबाद जाती है, एक बलिया जाती है, एक मिर्जापुर जाती है, एक प्रतापगढ़ जाती है, एक इलाहाबाद जाती है और एक सुल्तानपुर जाती है। जब हम बजट पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि अंग्रेजों के जमाने की इन्हीं सड़कों की मरम्मत में सारा रुपया खर्च कर दिया गया। हमारी मड़ियाहूं एक ऐसी तहसील है जहां कोई भी सड़क नहीं है। पौने चार लाख के करीब उसकी आबादी है। जौनपुर से १४-१५ मील सड़क मिर्जापुर की तरफ जाती है और उसके दोनों तरफ, १५ मील पूर्व और २०-२२ मील पश्चिम आबादी है। हमारे सेक्रेटरी महोदय भी वहां ५२-५३ में गये थे और उन्होंने स्वयं देखा था। वहां जनता ने अपने खेतों में से श्रमदान करके कुछ मील सड़क बनाई थी कि किसी तरह हमारी यह सड़क ले ली जाय। सेक्रेटरी महोदय ने वादा भी किया था कि इस तहसील में १५ या १४ मील की तीन, चार सड़कें जो श्रमदान से बनाई गई हैं उनको मैं अवश्य ले लूंगा, लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं।

इसके अलावा हमारे जिले में बरना नदी ३०-३५ मील के दायरे में चलती है और बीच में एक विसुही नदी भी है। दो एक बार अन्तरिम जिला परिषद् से भी प्रस्ताव आया कि विसुही नदी पर जमालपुर और गोपालपुर के बीच में एक पुल बना दिया जाय ताकि बरसात में लोग किसी तरह से तहसील में तो आ सकें लेकिन सन् ५२ से आजतक सवाल करते करते हम परेशान हो गये हैं और जब कभी वह सवाल आता है तो मुझे समझा दिया जाता है कि इस साल तो आपके जिले में ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है लेकिन जब मैं बजट को देखता हूं तो मालूम होता है कि वह पैसा जो सड़कें जौनपुर से फैजाबाद, बलिया, लखनऊ वगैरह जाती हैं उन्हीं की मरम्मत पर खर्च होता है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रमेशचन्द्र शर्मा]

उपाध्यक्ष महोदय, जहां केवल किसानों के गांव हों और किसानों की तहसील हो, कोई और उद्योग धन्धा न हो और किसान अपने गल्ले को भी उचित ढंग से किसी कस्बे या तहसील में न पहुंचा सके तो इससे बढ़ कर और उपेक्षित जिला हम किसको समझें ।

दूसरे एक सड़क ३७ में ली गई थी जो बादशाहपुर से फैजाबाद की तरफ जाती है । वहां कोई रेलवे लाइन नहीं है । आजमगढ़ से फैजाबाद, इलाहाबाद, की तरफ यात्री जाते हैं । बीच में सई और गोमती नदियां हैं । यह भी कोशिश हुई कि इस पर पुल बनायें ताकि आजमगढ़ और फैजाबाद के लोग जो लाखों की तादाद में इलाहाबाद जाते हैं उनको आसानी हो । लेकिन उस सड़क के पुल को भी छोड़ दिया गया । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि अंग्रेजों की उन पुरानी सड़कों को शरीक करके कोटा न दिखाया जाय बल्कि जो कच्ची सड़कें हैं, जो गांव में जाती हैं और किसानों के फायदे के लिये हैं उनकी ओर उसका ध्यान जाना चाहिये । हम यह मानते हैं कि और भी चीजें हैं जिधर मंत्री जी का ध्यान गया है, लेकिन साथ ही साथ हम भी उसी जिले में हैं, हमारी तहसील भी वही है, वहां की जनता भी टैक्स देती है, लिहाजा उनकी उपेक्षा कर देना न तो न्याय में आ रहा है और न किसी कानून में ही आ रहा है । इसलिये प्रार्थना है कि वह दौरा कर लें और हमारे यहां की हालत को देखें । इस जिले में कच्ची सड़कों पर भी पुल नहीं बन रहे हैं । अगर श्रमदान से सड़क बनाई भी जाती है तो कोई काम करने के लिये तैयार नहीं है ।

अन्तरिम जिला परिषद् से मांग की लेकिन समझ में नहीं आया कि क्या हिसाब लगाया जाता है । सड़कों को तो इसलिये छोड़ दिया जाता है कि लम्बी रकम खर्च होगी । लेकिन पुल क्यों छोड़े जा रहे हैं ? जो प्लानिंग में, निर्माण में और दूसरी और तीसरी योजनाओं में आ रहे हैं, किसानों के फायदे के लिये आ रहे हैं, उनको भी छोड़ दिया जाता है । मैं आप से अपील करूंगा कि बरसात में चलकर देख लें कि क्या हालत है तो आपकी बड़ी दया होगी । मैं भी गांव का रहने वाला हूं । लेकिन छै महीने तक अपने गांव में नहीं जा सकता । देख सकूं कि मेरा घर डूब रहा है या बच गया है । वहां दो-दो तीन-तीन नाले चलते हैं । एक भी पुल नहीं है । अगर हम कहते हैं तो कहा जाता है कि सड़क होनी चाहिये । इधर गांव वालों ने २८४ मील लम्बी सड़क बनाई और दो तीन दिन में किसानों ने १५-१६ मील लम्बी सड़क बनाई लेकिन वह भी नहीं ली गई। इसलिये मैं अपील कर रहा हूं कि हमारे जिले में सड़कों की ओर ध्यान दें और पुरानी सड़कों के कोटे में न काटें । इन शब्दों के साथ में इन अनुदान का समर्थन करता हूं ।

श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे इस अनुदान पर अपनी भावना व्यक्त करने की इजाजत दी है । माननीय विष्ट जी के कटौती के प्रस्ताव का मैं विरोध करता हूं और मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत अनुदान का समर्थन करता हूं । इसमें कोई संदेह नहीं है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है । आज जब तमाम देश में विकास योजनायें चल रहीं हैं और जहां तमाम इंडस्ट्रीज लगाई जा रहीं हैं, सिंचाई के काम हो रहे हैं, ऐग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स्न बढ़ाने के लिये सुविधायें दी जा रही हैं, ऐसी स्थिति में यातायात का साधन करना बहुत जरूरी है । इसमें दो रायें नहीं हो सकतीं । किन्तु तृतीय पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक निर्माण विभाग का जो रुपया काट लिया गया है, इसके लिये अफसोस है । जब मैंने बजट को देखा तो मुझे पता चला कि जो विभागों को प्रायारिटी दी जाती है उसमें इस विभाग की प्रायारिटी बहुत पीछे है । लेकिन इसके साथ जब हम पिछले दस बारह वर्ष की प्रगति देखते हैं तो इससे पता चलता है कि वास्तव में सार्वजनिक निर्माण विभाग में बहुत प्रगति हुई है । उसके फैक्ट्स ऐन्ड फीगर्स को देखने से पता चलता है कि वाकई में फीगर्स बढ़े हैं ।

यह सही है कि हर एक माननीय सदस्य जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से आये हैं वह अपने क्षेत्र और जिले की बातें कहेंगे । कहनी भी चाहिये लेकिन आज सरकार द्वारा स्टार ऐन्डड ग्रिड फार्मूला के अनुसार जो सिद्धान्त स्वीकार किया गया है उस पर उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है,

इसमें संदेह नहीं है। हम यह भी देखते हैं कि सार्वजनिक निर्माण विभाग की कार्य प्रणाली में कुछ पहले से अन्तर आया है। आज मंत्री महोदय ने इस सार्वजनिक निर्माण विभाग को संभालने पर एक बड़ा नया सुझाव हमारे सामने लाकर रखा है। उन्होंने अपने अधिकारियों को समस्त जिलों में भेज कर एक जनतांत्रिक पद्धति के अनुसार हमारे प्रतिनिधियों से, अन्तरिम जिला परिषद् के सदस्यों से आफिशल और नान-आफिशल दोनों से राय करके एक बहुत बड़ा प्लान बना कर रखा कि हमें वास्तव में कितनी सड़कों की आवश्यकता है और कितनी सड़कों को हमें प्रायरिटी देनी चाहिये। इसमें किसी भी तरह की शिकायत नहीं होनी चाहिये। लेकिन एक ह्यूमेन वीकनेस है। हम अपने क्षेत्र के लिये जरूर कहेंगे।

आज दुनिया भर में कोआपरेटिव की बात कही जाती है। बात तो सही है। आज कोआपरेटिव मूवमेंट होना चाहिये। लेकिन यह भी सही है कि जो सोशलिस्टिक पैटर्न आफ सोसाइटी की बात कहते हैं वह कहने से नहीं हो सकती। वह केवल प्रयास से ही हो सकती है। हमारी सरकार श्रम सहकारी समितियां बना कर नई योजना की तरफ अग्रसर हुई है। यह बड़ा सराहनीय कार्य है। इसको देखकर किसको गर्व नहीं होगा? लेकिन साथ ही कोआपरेटिव सोसाइटीज को बहुत सी दिक्कतें हैं उनको भी सामने रखना है। मैं एक हरिजन के नाते बड़े जोर से कहूंगा, इसलिये नहीं कि चौधरी गिरधारीलाल परिगणित जाति से आते हैं बल्कि प्रान्त के एक नेता होने की हैसियत से, सरकार के एक मेम्बर होने की हैसियत से उनसे अपील करूंगा कि वास्तव में हरिजनों के रिजर्वेशन के सवाल को ले कर बड़ा दुख: होता है। लेकिन फिर भी जहां पर उनका रिजर्वेशन नगण्य था वहां पर आपके जमाने में बड़ी ही प्रगति हुई है। यों तो इस विभाग में टेक्निकल हन्डस की जरूरत होती है और पी० डब्ल्यू डी० में परिगणित जाति का सवाल नहीं उठता है जहां पर नीचे के स्तर पर जरूरत है वहां वह हैं लेकिन हम यह कहेंगे कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में भी आप अधिक से अधिक बच्चों को जो भी सहायता स्टाइपेंड आदि दे सकें वह देकर टेक्निकल हैंड्स निकालने की कोशिश करें तो अत्युत्तम होगा। बिल्डिंग्स को बनाने की बात कही गई, हम तो यह देखते हैं कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में या अन्य विभागों में जब कोई चीज बनानी होती है तो पी० डब्ल्यू० डी० को इनवाइट करते हैं और सब जगह से उनकी प्रशंसा हुई है। चाहे उन पर अधिक से अधिक रुपया खर्च होता हो लेकिन उनका काम जरूर अच्छा होता है, यह तो सही है कि जो करप्शन की बात आज कही जाती है वह करप्शन है। लेकिन जितने करप्शन की बात हम कहते हैं उतना करप्शन नहीं है। यह तो हम देखेंगे कि हमारे समाज का स्तर ही गिरता जा रहा है। अगर हम यह समझ लें कि जितनी जिम्मेदारी हमारी है उससे कम जिम्मेदारी एग्जीक्यूटिव की है तो यह उचित नहीं है। आज लेजिस्लेचर, एक्जीक्यूटिव और जुडीशियरी तीनों की बराबर जिम्मेदारी है। हमारे अधिकारी वर्ग के लोग चाहे वह किसी भी पद पर हों जितने जिम्मेदार हम अपने को समझते हैं उससे कम वह अपने को नहीं समझते। मैं ऐसा समझता हूं कि वह चाहे इंजीनियर्स हों, चाहे ओवरसीयर्स हों, चाहे और टेक्निकल हैंड्स जितने भी हों, वह भी अपने को जिम्मेदार समझते हैं।

माननीय गोविन्द सहाय जी यहां नहीं हैं, मैं उनकी बात सुनकर बड़ी हैरत में आ गया। जिस प्रकार से उन्होंने अपनी स्पीच शुरू की, जिस तरह से तारीफ किया, वह देखकर ऐसा मुझे लगा कि जैसे कोई प्रेजुडिस्ड माइंड होकर के बात करता हो, उस तरह से उन्होंने बात की। हां, बिलकुल ड्रामेटिक ढंग से जिस प्रकार उन्होंने अपनी बात कही उसके लिये मैं उनकी तारीफ करता हूं।

जैसी बात आज हम चाहते हैं, अगर सोशलिस्टिक पैटर्न की बात कही जाय या सोशलिज्म लाने की बात रुड़की यूनिवर्सिटी में कही जाय तो उसका भी वही हाल हो सकता है जो कि इलाहाबाद और दूसरी यूनिवर्सिटियों में हो रहा है। दूसरी बात मैं यह नहीं मानता कि आज जो लड़के बी० ए० और एम० ए० पास करके आते हैं वह हमसे कम सोशलिज्म जानते हैं, ऐसा समझ

[श्री रामकृष्ण जैसवार]

लेना उचित नहीं होगा। आज राष्ट्र का हर एक आदमी अपने राइट्स और ड्यूटीज को समझता है। मैं तो माननीय चौधरी गिरधारी लाल को एक unblamist कैरेक्टर की तरह से देखता हूं। जिस सादगी और गम्भीरता तथा सख्ती से उन्होंने पी० डब्ल्यू० डी० को चलाया है वह बड़ा ही सराहनीय है। इस मौके पर यह अनुचित न होगा अगर मैं उनको धन्यवाद उसके लिये दूं। मैं मिर्जापुर जिले से आया हूं। वहां के उस पिछड़े डरावने एरिया में जहां कि सिंह चिंघाड़ मारते थे उन्होंने सड़कें बनवाकर आवागमन के साधन उपलब्ध कर दिये हैं।

अन्त में मैं इस अनुदान का समर्थन करते हुये एक यह सुझाव माननीय मंत्री जी को देता हूं कि वास्तव में जो लोग पन्द्रह-पन्द्रह साल से इस विभाग में टेम्पोरेरी पड़े हुये हैं उनकी तरफ वह ध्यान दें। उसमें ज्यादा लेबर क्लास के लोग हैं इसलिये भी उन पर मेरा हक ज्यादा है और मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उनको भी परमानेंट करना चाहिये। यहां पर तमाम जिलों की बातें लोगों ने रखीं, मैं भी एक जिले का प्रतिनिधि हूं। चन्द मिनटों में मैं यह बात रख देना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—अब समय नहीं है। माननीय रघुवन तेज बहादुर सिंह, अब आप कल भाषण कीजियेगा।

जिला लखनऊ में बाढ़-ग्रस्त इलाके के किसानों को मालगुजारी में छूट न देने तथा मकानों की मरम्मत के लिये तकावी न दिये जाने से सम्बन्धित २३ मार्च, १९६१ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १९-२० के विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत विवाद

श्री उपाध्यक्ष—अब जिला लखनऊ में बाढ़ग्रस्त इलाकों के किसानों को मालगुजारी की छूट न देने तथा मकानों की मरम्मत के लिये तकावी न दिये जाने से संबंधित श्री त्रिलोकी सिंह के २३ मार्च, १९६१ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १९-२० पर माननीयसदस्य द्वारा उठाये गये प्रश्न के विषय में नियम ५० के अन्तर्गत विवाद होगा।

श्री त्रिलोकीसिंह (जिला लखनऊ)—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर विवाद करने की आज्ञा आपने मुझे प्रदान की। मान्यवर, आपको याद होगा कि गत २३ मार्च को माननीय राजस्व मंत्री ने इस सिलसिले में,जो प्रश्न इस आदरणीय सदन में पेश किया गया था, उसके उत्तर में ३ बातें मुख्यरूप से कही थी। एक तो यह कि छूट अथवा मुल्तवी की समय से मंजूरी की इत्तिला न देने का कारण यह था कि उनके कर्मचारी सेन्सेस के काम में, पंचायतों के चुनाव के काम में, रिलीफ के काम में फंसे हुए थे।

दूसरी बात यह कही थी कि जो लगान मुल्तवी हुआ है जहां छूट की मंजूरी अभी नहीं पहुंची है, वह अगर वसूल हुआ है तो वापस कर दिया जायगा।

तीसरी बात यह है कि तकावी मकानों की मरम्मत के लिये इस वक्त दी जा रही है।

अब मैं आपकी सेवा में इस सिलसिले में यह निवेदन करना चाहताहूं कि बाढ़ पिछले अक्तूबर के तीसरे सप्ताह में जिला लखनऊ में आई और मुल्तवी, तकावी देना और मदद का काम तुरंत किया गया। इस विषय का नियम है २१८ उसके अन्तर्गत जमाबन्दी लेखपाल का १० सितम्बर तक तैयार करनी चाहिये और ७ अक्टूबर तक कानूनगो की जांच के बाद तहसील में दाखिल हो जानी चाहिये। इस प्रकार जहां तक जमाबन्दी की तैयारी का सवाल है, वह बाढ़ जो शुरू अक्तूबर के आस-पास आई उसके एक महीने पहिले तैयार हो जानी चाहिये थी। ७ अक्तूबर तक सुपरवाइजर कानूनगो के लिये लाजिमी है कि वह जमाबंदी अपनी रिपोर्ट के साथ पड़ताल के बाद तहसील में दाखिल कर दे। तो यह कहना कि सारा अमला मर्दुमशुमारी और पंचायत के काम में फंसा हुआ था, सही नहीं है। बल्कि इससे साफ झलक आती है कि जमाबंदी

के तैयार करने मे कोताही की गई। साथ ही यह भी नियम है कि अगर लगान में छूट अथवा मुल्तवी दी जाय तो उसकी इत्तिला अमीन को तुरन्त दी जायगी ताकि वह अपनी जमाबंदी में उसको दर्ज करले।

मेरा अर्ज यह है कि जिला लखनऊ में ऐसे मवाजियात हैं जो सैलाब से बिलकुल बरबाद हो गये। वहां जमाबंदी जो अमीन को दी गई उसमें छूट या मुल्तवी का जिक्र नहीं किया गया। नतीजा यह हुआ कि ऐसे कई मवाजियात हैं, जहां पर किसानों से मालगुजारी वसूल कर ली गई। मुझे तकलीफ हुई जब कि माननीय मंत्री जी ने उत्तर में यह कहा कि मालगुजारी जो वसूल की गई है वह वापस कर दी जायगी। मैं आपकी इजाजत से उनकी तवज्जह नियम २१३, जमींदारी अबालिशन एण्ड लैंड रिफार्म ऐक्ट से जो नियम बनाये गये हैं, उसकी तरफ दिलाना चाहता हूं। उसमें साफ लिखा हुआ है कि वापस नहीं होगी बल्कि अगले साल उसकी मुजराई दी जायगी। मैं आपकी इजाजत से उसको पढ़ना चाहता हूं कि--

"The refund shall be made only in cases where the interest of the person entitled to refund, in the holding for which excess collection has been made, has been extinguished.

In other cases the excess collection shall be adjusted against the current land revenue demand."

न्याय मंत्री (श्री हुकुम सिंह विसेन)--३१ मार्च को वह अमेन्ड हो चुका है।

श्री त्रिलोकीसिंह--मुझे इसका इल्म नहीं था। यह खुशी की बात है कि सरकार ने ३१ मार्च को उस नियम में परिवर्तन कर दिया।

श्री हुकुमसिंह विसेन--उस में ४ मार्च को परिवर्तन कर दिया गया।

श्री त्रिलोकीसिंह--मैं उम्मीद करूंगा कि माननीय मंत्री जी उस नियम का नोटिफिकेशन, जिसके अन्तर्गत यह संशोधन किया गया है, उसको इस सदन में रखने की कृपा करेंगे।

दूसरी बात मुझे यह अर्ज करना है कि सैलाब आया अक्तूबर में और मकानों की मरम्मत के लिये तकावी मार्च में दी गई। अब हुजूर गौर करें कि मकानों की मरम्मत ६ महीने तक अगर न हो सके तो रहने वाले कहां पड़े रहें। अगर मकान की मरम्मत की तकावी देनी थी तो तुरन्त देनी चाहिये थी, उसमें ५, ६ महीने की देरी नहीं होनी चाहिये थी।

श्री हुकुमसिंह विसेन--माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे मित्र ने जो नोटिस दिया है उसमें पहली बात उन्होंने यह कही कि जो एक्सेस लिया गया है उसे वापस किया जाय। मैंने पहली बात यह कही थी कि अगर एक्सेस वसूल हो गया है मतालबा उन से, तो वापस कर दिया जायगा। उन्होंने कहा कि यह रूल के प्रतिकूल है। जैसा कि मैंने उन्हें बीच में सजेस्ट किया था, १ मार्च, १९६१ को यह रूल अमेंड हुआ है और जहां तक अमेंडमेंट के पहले का ताल्लुक है, उसमें भी रिफंड करने का अधिकार है कलेक्टर के जरिये से। कलेक्टर उसे रिफंड कर सकता है, कोई मुमानियत नहीं है। एजस्टमेंट भी हो सकता है और रिफंड भी हो सकता है। मैं इसको पढ़े देता हूं। वह इस प्रकार है--

"Any sum collected in excess of the proper demand may be refunded under the orders of the District Officer. The refund shall be made only in cases where the interest of the person entitled to refund in the holding for which excess collection has been made has been extinguished."

श्री त्रिलोकी सिंह---एक जुमला और आगे पढ़ दीजिये ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---वह इस प्रकार है :---

"In other cases the excess collection shall be adjusted against the current land revenue."

तो मैंने पहले कहा था कि रिफंड किया जा सकता है और अब यह तरमीम हो कर आया है। यह नोटीफिकेशन भी मेज पर रखा जा चुका है ।

श्री त्रिलोकी सिंह---जरा उसे भी पढ़ लें ।

श्री हुकुम सिंह विसेन---नोटीफिकेशन इस प्रकार है :---

"In making refund under rule 213 the district official shall follow such procedure as may in this behalf be laid down by Board of Revenue. He shall also observe rule contained in par 194 and 197 of Part I and Paragraphs 494, 546 and 548 of Part II of the Financial Handbook Vol. V."

तो जहां तक मौजूदा रूल है उसमें रिफन्ड करने के खिलाफ कोई फायदा नहीं है । ऐसा कोई कानून कभी हो नहीं सकता कि अगर किसी की चीज आप ले लें और फिर उसे वापस करें तो कानूनन उसे वापस करना मना कर दिया जाय । वह बड़ी इम्मारेल गवर्नमेंट होगी जो कभी ऐसा रूल बनायेगी ? हम तो नहीं बना सकते, जब आप इधर आयें तो भले ही ऐसे रूल बना दें । आखिर रोजमर्रा के बिजनेस में आप देखें, लिख देते हैं कि कीमत वापस न होगी, भूल चूक लेन देन होती रहेगी । यह मुड़ियां में लिख देते हैं । तो यह तो इतना लम्बा चौड़ा कारबार है, अगर कहीं ज्यादा वसूल हो गया तो हम उसे वापस दें, उस के लिये कहीं मुनादी नहीं है । अड़चन नहीं है ।

श्री त्रिलोकीसिंह---है कानून की ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---बिलकुल नहीं । कानून इम्मारेल नहीं हो सकता । जो मौजूदा शकल है वह बिल कुल साफ है ।

दूसरी बात यह कही गयी कि रेमिशन की प्रिलिमिनरी और फाइनल रिपोर्ट देर में आयी । मैं कहता हूं कि देर में आई ।

श्री त्रिलोकीसिंह---मैंने यह नहीं कहा ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---आप के नोटिस में है । हम तो अर्जी देखकर ही जवाब देते हैं । मैंने नोटिस पढ़ा है । बिना पढ़े मैं कभी आता नहीं । अल्फाज भले ही आपने वह न इस्तेमाल किये हों ।

श्री त्रिलोकीसिंह---अब आ गये ।

श्री हुकुम सिंह विसेन---हम ठीक जगह पर तो आ ही जाते हैं । डिले हो गयी । यह आप का प्वाइंट है । रेवेन्यू मैनुअल में लिखा है कि १५ नवम्बर तक प्रीलीमीनरी प्रपोजल्स आने चाहिये और १५ दिसम्बरत क फाइनल होने चाहिये । यह डेट फिक्स्ट है । लेकिन इस साल जो सैलाब आया वह भी आप लोगों को मालूम है कि किस तरह का था । उसने सारे साल के रेकार्ड्स को बीट कर दिया था । फिर पहिले तो पटवारी एक जगह बैठ कर सब लिख लेता था । अब हम एक-एक हल्के में पूरी जांच-पड़ताल कराते हैं । हजारों खातों की पड़ताल करनी पड़ती है । इस साल जो सैलाब आया वह अनप्रीसीडेन्टेड था और उससे तरह-तरह की प्राब्लम्स उठ खड़ी हुई थीं । इसलिये इन सब कामों के लिये कुछ समय की जरूरत होती है । जहां तक मुझे याद है २३ जनवरी को प्रीमीलिनरी प्रपोजल्स आये थे । अभी एक हफ्ते के अन्दर वह फाईनल भी होने वाले हैं । प्रीलिमिनरी मंजूर हो जायेंगे और फाइनल भी हो जायेंगे ।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जिस जमाने में सैलाब आया उस जमाने में हमको रेसक्यू वर्क भी करना पड़ा। उसकी भी समस्या सामने आ गयी थी। फिर उन पीड़ित लोगों को रिलीफ भी देना पड़ा। हाउस सब्सीडी भी दी गयी। जो हमारा रेवेन्यू स्टाफ था उसी को तो यह सब करना था। सब काम लेखपाल को ही करना पड़ता है आप जानते हैं। धन्य है वह लेखपाल जो सारी बात सुनता है और सारा काम करता है।

तो सबसे पहला काम तो यह हुआ कि तकावी बांटी गयी। करीब ३लाख ७० हजार रुपये की तकावी बांटी गयी। फिर सीड बांटा गया। लखनऊ के रहने वाले न जानते होंगे। मैं तो देहात का रहने वाला हूं, मैं जानता हूं कि अगर सीड समय से न मिले तो आप उनको कितना ही सीड दीजिये वह बेकार रहता है।

एक सदस्य—तकावी कब बांटी गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—जिस वक्त बांटने का मौका था उस वक्त बांटी गयी।

तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि यह सब काम किये गये। सीड बांटा गया, मकान के लिये तकावी दी और हाउस रिपेयरिंग के लिये मदद की गयी। यह सब काम ऐसे थे जिनको करना जरूरी था। आपको इसका अहसास हो या न हो, लेकिन जो देहात के रहने वाले हैं उनको इस बात का अच्छी तरह से अहसास होगा। यह सब काम हुये और इन में काफी समय लगा जिसके कारण यह जो प्रीलिमिनरी और फाइनल रिपोर्ट बननी थी उसमें देरी हुई। देरी तो हुई, उसको मैं तसलीम करता हूं। लेकिन यह देरी क्यों हुई, उसको भी आप को देखना चाहिये।

एक बात मैं और आप को बता देना चाहता हूं। हमारा यह तरीका है कि जो भी नुकसान हो उसकी सही रिपोर्ट आनी चाहिये। क्यों कि यह विदेशी सरकार नहीं है यह तो जनता की सरकार है और उसमें हमें उनकी पूरी तरह से मदद करनी चाहिये। हम जानते हैं कि जो उनका नुकसान हुआ है उसकी पूर्ति हम नहीं कर सकते लेकिन जिस हद तक हम जा सकते हैं उस हद तक जाने के लिये तैयार हैं। करीब-करीब एक्यूरेट तखमीना लगाने में फील्ड टू फील्ड जाना पड़ता है। एक-एक पटवारी के हल्के में कितने लोग अफेक्टेड थे इसका अन्दाजा सभी माननीय सदस्यों को है। पूरे एक-एक इलाके में पानी भरा हुआ था। जीप से चाहे हम चले जाते लेकिन लेखपाल को फील्ड टू फील्ड जाने में वक्त लगेगा। इसलिये यह देरी काबिले माफी है, न कि काबिले कन्डेमनेशन। १२ मार्च को सेन्सेज की कार्यवाही खत्म हुई। पंचायत एलेक्शन हुये वह भी सब को मालूम है। जब लेखपाल सेन्सस में भी जाय, पंचायत के चुनाव में भी जाय, सार मर्जों की दवा रेवेन्यू स्टाफ ही हो तो फिर आखिर कितना काम रेवेन्यू स्टाफ से लिया जाय? जितनी कैपेसिटी है उतना वह करते हैं। काम तो वह पूरा करते हैं लेकिन कभी किसी काम में दरी भी हो सकती है। जहां तक सरकार की नीयत और सरकार की कारगुजारी का ताल्लुक है उसमें कोई तसाबुली दीदा दानिस्ता जान बूझ कर नहीं की गयी।

श्री त्रिलोकीसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि माननीय मंत्री जी ने लखपाल का जिक्र किया। उनको अच्छी तरह से मालूम है कि मालगुजारी की वसूलियाबी लेखपाल नहीं करता बल्कि अमीन करता है और अमीन से तकावी के बांटने से भी कोई वास्ता नहीं होता और न अमीन से पंचायत चुनाव से ही कोई वास्ता है। मैंने शुरू में जिक्र किया था कि जमींदारी एबालीशन ऐन्ड लैन्ड रिफार्म ऐक्ट के अन्तर्गत जो रूल्स बने हैं उसके नियम २२० में लाजमी है कि जब लगान, मालगुजारी में सस्पेंशन भी किया जाय तो फौरन अमीन को इत्तला दी जाय। अगर जमाबन्दी दाखिल हो गई हो तो जिस दिन अमीन तहसील में हाजिर हो उसी दिन वह उसको दे दी जाय। मेरी शिकायत उस दिन भी थी और आज भी है कि लगान

[श्री त्रिलोकीसिंह]

जिसका सस्पेंशन हो गया है वह वसूल हो गया। क्यों वसूल हो गया? क्यों उसकी इत्तला अमीन को नहीं दी गई। हो सकता है कि इसमें सरकार को साल ६ महीने लगें लेकिन जो नियम २२० है उसकी पाबन्दी नहीं की गई।

जहांतक इसका सम्बन्ध है कि रिफंड हो सकता है, और मंत्री जी ने कहा कि पहली मार्च को एक आर्डर निकला, मैं अर्ज करना चाहता हूं कि नियम २१३ के अन्तर्गत और इसके अलावा जमींदारी एबालिशन ऐक्ट में एक धारा है रुपये के वापसी की लेकिन वह मालगुजारी की वापसी की नहीं है। २१३ में भी पहले वापसी का जिक्र है जिसका कि हक खत्म हो गया हो या जिसने इस्तीफा दे दिया हो, जिसने जमीन बेच दी हो। तो उससे सफाई नहीं हुई। मैं चाहूंगा कि मंत्री जी नोटीफिकेशन पढ़ दें। बोर्ड आफ रेवेन्यू का हवाला दे दिया लेकिन क्या यह हवाला उस सिलसिले में है जिसकी आराजी जोत खत्म हो गई है बजरिये इस्तीफा या हिबा कर दिया है। इस सिलसिले में कोई सफाई नहीं हुई। मैं यह भी अर्ज कर देना चाहता हूं कि ११३ में भी यह साफ-साफ लिखा हुआ है कि जिसका हक कायम है उसको वापस नहीं की जायगी। लेकिन एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स ऐक्ट के रूल ३५ में साफ साफ यह लिखा हुआ है कि रिफन्ड होगा। इसी प्रकार से लार्ज होल्डिंग्स ऐक्ट के रूल ३३ में लिखा हुआ है कि अगर ऐक्सेस जमा हो गया है तो वापस होगा। इस सिलसिले में मारेल और मोरेलिटी की बात मैं नहीं उठाना चाहता, केवल इतना ही कह देना चाहता हूं कि जहां तक इस सरकार का सवाल है, इसको मैं इम्मौरल ही नहीं, उससे भी ज्यादा खराब समझता हूं और हर समय यह कोशिश करता हूं कि किसी तरह से यह हटे और मोरेलिटी की आड़ में यह इम्मौरल सरकार छिपी न रहे।

श्री हुकुम सिंह विसेन—जहां तक उनका यह कहना कि यह सरकार इम्मोरल है, तो मैं उसके जवाब में केवल एक ही जुम्ला कह देना चाहता हूं:

"One sees the reflection of his own heart"

मेरा दावा है कि इस गवर्नमेंट से ज्यादा मारेल गवर्नमेंट दूसरी नहीं आ सकती।

एक बात और अर्ज कर देना चाहता हूं कि जो २१३ अमेंडमेंट के बाद रह गयी है उसकी शक्ल इस प्रकार हैं—

"Any sum collected in excess of the proper demand may be refunded by the District Officer *suo moto* or on application of the person concerned."

अब इस शक्ल के बाद हमारे मित्र को कोई शक बाकी नहीं रहना चाहिये कि हमें रिफन्ड करने का अधिकार है।

इस विवाद से ऐसा पता लगेगा और ऐसा इम्प्रेशन क्रियेट हो सकता है कि हमने एक बहुत लम्बी रकम वसूल कर ली है। ११ गांवों से एक आदमी से ९५ न० पै० सस्पेंडेड वसूल हुए, दूसरे से १७१ न० पै० वसूल हुए और तीसरे से ५ रु० १३ आना वसूल हुए। इस तरह से १०,२९७ रु० २४ न० पै० में से ६९७.८४ रुपये वसूल हुए। रिफन्ड करने के आदेश जारी हो गये हैं और कलेक्टर उनको रिफन्ड कर देगा।

हमारे मित्र ने कहा कि अमीन वसूल करता है। उसको जमाबन्दी देनी चाहिये थी। लेकिन वह तो सितम्बर में दी जाती है। तब तक हम यह निश्चय ही नहीं कर पाये थे कि कितना सस्पेंशन होना है और यह प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के बाद ही तय हुआ।

श्री गोविन्दसिंह बिष्ट (जिला अल्मोड़ा)—माननीय मंत्री जी ने एक बात बतायी कि बहुत बड़ी बाढ़ आ गयी थी और रेस्क्यू आपरेशन्स की वजह से तकावी में देरी हुई। इस पृष्ठभूमि में क्या जब बंदरिया बाग में पानी आ गया तो वहां रेस्क्यू आपरेशन्स हो रहे थे क्योंकि पंचबंगलिया में तो पानी आया नहीं?

जिला लखनऊ में बाढ़-ग्रस्त इलाके के किसानों को मालगुजारी में छूट न देने तथा ८६१ मकानों की मरम्मत के लिये तकावी न दिये जाने से सम्बन्धित २३ मार्च, १९६१ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या १९-२० के विषय पर नियम ५० के अन्तर्गत विवाद

श्री हुकुमसिंह विसेन---पंचबंगलिया भी मुतास्सिर हुई थी ।

श्री प्रतापसिंह (जिला नैनीताल)---क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि जो रेवेन्यू सस्पैंड होता है वह कलेक्टर करता है या सरकार करती है ? इसके अलावा मकानों को जो तकावी ६ महीने बाद दी गई और इस बीच लोग अपने मकान नहीं बना सके तो क्या उस बीच में लोगों को जमीन और आसमान के बीच रहना पड़ा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---उनके बीच में तो हर इंसान को रहना पड़ता है। यह बात नहीं है कि उनको तकावी नहीं दी गई ।

श्री मदन पांडेय (जिला गोरखपुर)---क्या मनानीय मंत्री जी को ज्ञात है कि मकान मरम्मत की तकावी के लिये जिन लोगों की दरख्वास्तें आई हैं उनमें बहुत सी दरख्वास्तें ऐसी भी हैं जिनकी जांच तक नहीं की गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---इसके लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री रामस्वरूप वर्मा (जिला कानपुर)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब लगान का स्थगन होता है तो प्रभावकारी रूप में काम हो सके और किसानों से लगान की वसूली न की जा सके, इसके लिये उन्होंने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---आर्डर सस्पेंशन के लिये जारी हो गया है और फिर भी अगर कोई वसूली करेगा तो उसके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही की जायगी ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि यहां से किसानों को बीज की तकावी कब दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बोवाई शुरू होने के बाद मुख्तलिफ तारीखों में बंटा है, तारीख बतलाना मुश्किल है ।

श्री त्रिलोकीसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जिला लखनऊ में बाढ़ की वजह से जो लगान की मुल्तवी की गई उसको डिप्टी कमिश्नर लखनऊ ने की या सरकार ने ?

मैं यहां बतला दूं कि नियम यह है कि कलेक्टर को अख्तियार है कि वह रेवेन्यू को सस्पेंड कर सकता है तावक्ते मंजूरी सरकार, चाहे सस्पेंशन हो या रेमिशन हो। लेकिन प्रीलिमिनरी उसको यह हक हासिल है कि वह यह हुक्म दे दे कि वसूली न हो। परन्तु यहां मंत्री जी ने बतलाया कि नहीं सस्पेंशन भी सरकार करती है ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---कत्तई सरकार करती है, बीच-बीच में कलेक्टर करता है ।

श्री त्रिलोकीसिंह---लेकिन सस्पेंशन किसने किया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कलेक्टर ने किया ।

श्री त्रिलोकीसिंह---रेवेन्यू के सस्पेंशन का आर्डर वक्त पर अमीन को न देने का क्या कारण है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जमाबन्दी देने के बाद सस्पेंशन आर्डर हुये थे इसलिये उस वक्त इत्तला नहीं दी गई ।

श्री मदन पांडेय---क्या माननीय मंत्री जी ऐसी दरख्वास्तों को पता लगवाने की कृपा करेंगे जो कि मकान मरम्मत के लिये तकावी के सिलसिले में आई थीं, परन्तु उनको देखा तक नहीं गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---जब हमारे पास ऐसी कोई इत्तला ही नहीं है तो क्या पता लगवाऊं ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि अगर सस्पेंशन आर्डर कलेक्टर करता है तो उसने कितने दिन बाद आर्डर दिया जिससे इस बीच में ६०० रु० की वसूली हो गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---डिटेल के लिये नोटिस की आवश्यकता है ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब नियम २२० के अनुसार सस्पेंशन आर्डर देने के पहले अगर जमाबन्दी अमीन को दे दी गई है तो दोबारा उसके तहसील में आने पर सस्पेंशन की ऐन्ट्री होगी, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---कोई ओमीशन हो गया होगा ।

श्री रामस्वरूप वर्मा---क्या माननीय मंत्री जी स्पष्ट करेंगे कि जब सस्पेंशन का आर्डर तहसील में पहुंचा, उसके बाद अगर आर्डर देने में देरी हुई, तो उस आर्डर देने के बाद भी जिस अधिकारी ने वसूलयाबी की, क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही वे करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---यह पहले से ही आर्डर दिया जा चुका है कि जिसने वसूली की है उसके खिलाफ अनुशासन की कार्यवाही की जाय ।

श्री प्रतापसिंह---क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जो इस प्रकार का ओमिशन हुआ है और इससे तमाम व्यथित लोगों को जो नुकसान व दिक्कत हुई है उसकी जांच कराने की कृपा करेंगे कि यह कैसे हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है ।

श्री मदन पांडेय---यह जो ओमिशन हुआ है जिसका कि एडमिशन किया गया है क्या उस पर सरकार पश्चाताप प्रकट करेगी और आइन्दा ऐसा न हो इस के लिये वह कोई नये आदेश देने पर विचार कर रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---सब को सतर्क कर दिया गया है ।

श्री उपाध्यक्ष---अब हम उठते हैं और कल ११ बजे फिर बैठेंगे ।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के ११ बजे तक के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
७ अप्रैल, १९६१ ।

नत्थी 'क'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८५ पर ।)

वाराणसी एक्साइज समिति की ९ जनवरी सन् १९६१ की मीटिंग में उपस्थित सदस्यों तथा विदेशी शराब का रेस्टरां लाइसेंस (एफ० एल० ७) के उम्मीदवारों का विवरण

क्रम-संख्या	सदस्यों तथा उम्मीदवारों का नाम	पद
१	श्री पूरनचन्द पाठक	चेयरमैन
२	श्री बुधराम सिंह यादव	
३	श्री मदन मोहन गुप्ता	
४	श्री दामोदार दास	
५	श्री वीरेन्द्र नाथ अरुण	
६	श्री राम कुमार	
७	श्री प्रफुल्ल कुमार मुकर्जी	
८	श्री जितू राम	
९	श्री जहीरुद्दीन अहमद असिस्टेंट इक्साइज कमिश्नर, वाराणसी	
१०	श्री एन० एस० चोपरा, डिस्ट्रिक्ट एक्साइज आफिसर ..	सेक्रेटरी
११	श्री सूरजबली सिंह, सुपरिन्टेन्डेन्ट एक्क्साइज, वाराणसी ।	

उम्मीदवारों के नाम

१ श्री ब्रजेन्द्र कुमार, प्रोपराइटर, पैलेस होटल, वाराणसी ।

२ श्री सीताराम अग्रवाल, प्रोपराइटर, क्वालटी होटल, वाराणसी ।

३ श्री केशोचन्द, मैनेजर, के० बी० एम० होटल, वाराणसी ।

४ श्री मनमोहन दास शाह, पार्टनर, सेंट्रल होटल, वाराणसी ।

५ श्री एस० पी० वर्मा, स्ट्रेट फील्ड रोड, वाराणसी ।

६ श्री इन्दर सिंह, पंजाब खालसा होटल, वाराणसी ।

नत्थी 'ख'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८५ पर।)

अन्तरिम जिला परिषद्, गोरखपुर द्वारा शिक्षकों को वेतन वितरण किये गये प्रत्येक मास की तिथियों की सूची

अप्रैल १९६० का वेतन दिनांक			..	..	१८-५-६०	को बटा
मई	,,	,,	..	..	२१-६-६०	,,
जून	,,	,,	..	..	२१-७-६०	,,
जुलाई	,,	,,	..	..	२-९-६०	,,
अगस्त	,,	,,	..	..	२७-९-६०	,,
सितम्बर	,,	,,	..	..	१३-१०-६०	,,
अक्तूबर	,,	,,	..	..	१-११-६०	,,
नवम्बर	,,	,,	..	..	३-१२-६०	,,
दिसम्बर	,,	,,	..	..	२-१-६०	,,
जनवरी १९६१	,,	,,	..	..	३-२-६१	,,

विधान सभा सचिवालय

नत्थी 'ग'

(देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न ७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८६ पर)

कैम्पस ग्रान्ट संबंधी संचालकालय की सूची (क)

१—महादेवी कन्या पाठशाला, कालेज, देहरादून
२—श्री जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, रानीपुर, आजमगढ़ ।
३—श्री रणधीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमेठी सुल्तानपुर ।
४—हीरालाल राम निवास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय खलीलाबाद, बस्ती ।
५—हिन्दू इन्टर कालिज कांधला, मुज्जफरनगर ।
६—गांधी विद्यालय इन्टर कालिज, सिंधौली, सीतापुर ।
७—सेन्ट चार्ल्स इन्टर कालिज, सरधना, मेरठ ।
८—वैश्य इन्टर कालिज शामली, मुज्जफरनगर ।
९—सेकसरिया किसान उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गौड़ बस्ती ।
१०—श्री सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, करखिया, आजमगढ़ ।

कैम्पस ग्रान्ट सम्बन्धी शासन की सूची (ख)

१—महादेवी कन्या पाठशाला कालिज, देहरादून
२—श्री जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय रानीपुर, आजमगढ़
३—हिन्दू इन्टर कालिज-कांधला, मुजफ्फरनगर ।
४—श्री रणधीर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, अमेठी, सुल्तानपुर ।
५—हीरालाल राम निवास उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, खलीलाबाद, बस्ती ।
६—गांधी विद्यालय इन्टर कालिज, सिंधौली, सीतापुर ।
७—सेन्टर चार्ल्स इन्टर कालेज, सरधना, मेरठ ।
८—वैश्य इन्टर कालिज शामली, मुजफ्फरनगर
९—श्री सुभाष उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, करखिया, आजमगढ़ ।
१०—उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, पिन्डी, जिला देवरिया ।

अविकल सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न १७ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७८९ पर)

नटवर लाल के जिला जेल, लखनऊ से भाग जाने के सम्बन्ध में स्पेशल जज, लखनऊ की अदालत से दंडित व्यक्तियों का विवरण ।

नाम	अपराध की धारा	सजा
१—सत्य नारायण २—सोने लाल ३—कृष्ण दत्त	.. १२०—बी०, १६१,२२२ आई० पी० सी० तथा धारा ५(२) आफ ऐक्ट २ आफ १९४७ । धारा ४२ प्रिजन्स ऐक्ट	प्रत्येक धारा में २ वर्ष कठोर कारावास । ५० रु० जुर्माना या १ माह का कठोर कारावास ।
४—राम दास	.. १२०—बी० १६५—ए, आई० पी० सी० धारा ५ (२) आफ ऐक्ट २ आफ १९४७ रेड विद १०९ आई० पी० सी० ४२ प्रिजन्स ऐक्ट ।	प्रत्येक धारा में ६ माह का कठोर कारावास । ५०रु० जुर्माना या १ माह का कठोर कारावास ।
५—राम अवध ६—श्रीमती राजकुमारी ७—श्रीमती पारवती ८—श्रीमती राम प्यारी	.. १२०—बी, १६५—ए, आई० पी० सी० धारा ५ (२) आफ ऐक्ट २ आफ १९४७ रेड विद १०९ आई० पी० सी०	प्रत्येक धारा में ३ माह का कठोर कारावास ।
९—विश्राम सिंह १०—गनेश सिंह	.. १२०—बी०, २२, १६१ आई० पी० सी० धारा ५ (२) आफ ऐक्ट २ आफ १९४७	प्रत्येक धारा में २ वर्ष का कठोर कारावास ।
११—गंगा प्रसाद	.. १२०—बी, आई० पी० सी०, तथा धारा ५(२) आफ ऐक्ट २ आफ १९४७ रेड विद १०९ आई० पी० सी०	प्रत्येक धारा में १ वर्ष का कठोर कारावास ।
१२—नन्द प्रकाश कपर १३—धनी राम	.. १२०—बी, आई पी० सी०	.. १ वर्ष का कठोर कारावास ।
१४—बाबू राम पांडे	.. ४२ प्रिजन्स ऐक्ट	.. ५० ० जुर्माना या १ माह का कठोर कारावास ।
१५—नटवर लाल	.. १२०—बी०, २२४ आई पी० सी०, धारा ५(२) आफ ऐक्ट २ आफ १९४७ रेड विद १०९, आई० पी० सी० ४२ प्रिजन्स ऐक्ट	प्रत्येक धारा में २ वर्ष का कठोर कारावास । .. ५० रु० जुर्माना या १ मास का कठोर कारावास ।

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ७९३ पर)

प्रश्न संख्या २८ से संबंधित सूचना

दिनांक ३१-१२-६० तक नौकरी से निकाले गये अस्थायी कर्मचारियों की पदानुसार संख्या

रोडवेज रीजन का नाम	ड्राइवर	कन्डक्टर	बुकिंग क्लर्क	योग
कानपुर रीजन	३	..	..	३
मेरठ रीजन	१	..	..	१
लखनऊ रीजन	८	२	२	१२
योग	१२	२	२	१६

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ८०० पर)

तालिका

मद्यनिषेध क्षेत्र (Dry area) के विभिन्न जिलों में शराब के परमिट लिये हुये सरकारी कर्मचारियों का विवरण ।

क्रम-संख्या	जिले का नाम	शराब की परमिट लिये हुए सरकारी कर्मचारियों की संख्या
१	कानपुर	२
२	रायबरेली	१
३	सुल्तानपुर	१
	योग	४

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० २९ एल० ए०-१९६१—८४५ ।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश